लोक-सभा
वाद-विवाद

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

तृतीय माला

खण्ड ४, १९६२/१८८४ (शक)

[२६ मई से ७ जून, १९६२/५ से १७ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)]

Chamber Fumigated..18/X/75..

3rd Lok Sabha

Preservation Unit
14-5-90
Fumigated
On 3-12-83
Parliament Library

पहला सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड ४ में अंक ३१ से ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय सूची

[तृतीय माला, खण्ड ४—अंक ३१ से ४०—२६ मई से ७ जून, १९६२ / ५ से १७ ज्येष्ठ १८८४ (शक)]

अंक ३१—शनिवार, २६, मई १९६२ / ५ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	३२५१
सभा का कार्य	३२५१–५२
अनुदानों की मांगें .	३२५२—३३३२
स्वास्थ्य मंत्रालय . .	३२५१—७९
शिक्षा मंत्रालय . .	३२८०—३३३२
दैनिक संक्षेपिका	३३३३

अंक ३२—सोमवार, २८ मई, १९६२ / ७ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १०७०, १०७२, १०७४, १०७५, १०७७ से १०८०, १०८५, १०८१, १०८३, १०८४, १०८६ और १०९० से १०९३	३३३५—३३५८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १०७१, १०७३, १०७६, १०८२, १०८७, १०८८, १०८९, १०९४ से १११३	३३५८—६८
अतारांकित प्रश्न संख्या २०२६ से २०३८, २०४० से २०६० और २०६२ से २११५	३३६८—३४०२
स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . .	३४०२—०४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना .	३४ ०५—०७
(१) गोरखपुर और बस्ती जिलों में चीनियों का कथित प्रवेश .	३४०५–०६
(२) डकोटा विमान का गिरना	३४०६–०७
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	३४०७—०९
तारांकित प्रश्न संख्या १२५ के उतर में शुद्धि . .	३४०९
तारांकित प्रश्न संख्या ८६४ पर अनुपूरक प्रश्न के उतर के बारे में वक्तव्य .	३४०९
अनुदानों की मांगें	३४०९—५४
शिक्षा मंत्रालय	३४०९—१२

सूचना और प्रसारण मंत्रालय . . ३४१३—५४
दैनिक संक्षेपिका . . ३४५५—६२

अंक ३३—मंगलवार, २९ मई, १९६२ / ८ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११४, १११६ से १११९, ११२२ से ११२६, ११२८ से ११३२, ११३४ और ११३५ . . . ३४६३—८९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ . . . . . ३४९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११५, ११२०, ११२१, ११२७, ११३३क, ११३६ से ११६३ . . . . . ३४९०—३५०५
अतारांकित प्रश्न संख्या २११६ से २१६७ . ३५०५—२९
प्रक्रिया के बारे में . . . ३५२९
स्थगन प्रस्ताव—
अमरीका में भारत के राजदूत द्वारा भारतीय प्रतिरक्षा सेनाओं के बारे में वक्तव्य . . . . . ३५३०—३१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—
१. अमरीका में भारत के राजदूत द्वारा भारतीय प्रतिरक्षा सेनाओं के बारे में वक्तव्य ३५३२
२. अमरीका में भारत के राजदूत द्वारा प्रतिरक्षा मंत्री के बारे में कही गई बातें . . . . . ३५३२—३३
३. सदर बाजार में हुआ अग्नि कांड . ३५३३
सभा पटल पर रखे गये पत्र ३५३४
अनुदानों की मांगें . . . . . ३५३३—८०
सूचना और प्रसारण मंत्रालय . . ३५३४—४८
विधि मंत्रालय . . . . . ३५४९—७०
प्रतिरक्षा मंत्रालय . . . . ३५७०—८०
दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३५८१—८६

अंक ३४—बुधवार, ३० मई, १९६२ / ९ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६४ से ११६६, ११६८ से ११७०, ११७२, ११७४ से ११७६, ११७८, ११७९, ११८१, ११८३ और ११८४ . ३५८७—३६१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६७, ११७१, ११७३, ११७७, ११८०, ११८२, ११८५ से ११९५ . . . . ३६१०—१६

अतारांकित प्रश्न संख्या २१६८ से २२७८ और २२८० से २३१५ . ३६७६—८४

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३६८४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

पहला प्रतिवेदन . . ३६८४

समितियों के लिये निर्वाचन —

(१) भारत की क्षय रोग संस्था की केन्द्रीय समिति . ३६८५

(२) राष्ट्रीय खाद तथा कृषि संगठन सम्पर्क समिति ३६८५

अनुदानों की मांगें —

प्रतिरक्षा मंत्रालय . . ३६८४—३७२६

दैनिक संक्षेपिका . . . . ३७२७—३४

अंक ३५—गुरुवार, ३१ मई, १९६२/१० ज्येष्ठ १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११९६ से १२०१, १२०४ से १२१३ और १२१५ . . . . . ३७३५—६१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ . . ३७६१—६२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०२, १२०३, १२१४ और १२१६ से १२२० अतारांकित प्रश्न संख्या २३१६ से २३७८ . ३७६३—६६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ३७६६—९२

उत्तर प्रदेश में भारत-नेपाल सीमा पर स्थित नौटवना में कथित विस्फोट ३७९३

पाकिस्तान द्वारा टिड्डी दल के आक्रमण के बारे में सूचना न देना ३७९३—९५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ३७९५

समितियों के लिये निर्वाचन—

(१) दिल्ली विश्वविद्यालय का कोर्ट . . . . ३७९५—९६

(२) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का कोर्ट . . ३७९६

(३) विश्वभारती की संसद् (कोर्ट) ३७९६

अनुदानों की मांगें —

प्रतिरक्षा मंत्रालय . . ३७९६—३८१३

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . . ३८१३—४३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३८४४—४९

अंक ३६—शुक्रवार, १ जून, १९६२/११, ज्येष्ठ १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२२६, १२२७, १२२९ से १२३२, १२३४ से १२३८, १२४० से १२४४ और १२२५ . . . ३८५१—७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२२१ से १२२४ ,१२२८, १२३३, १२३९ . ३८७७—८१

अतारांकित प्रश्न संख्या २३७९ से २४१२ . . ३८८१—९६

निधन संबंधी उल्लेख ३८९६

३१-५-६२ को उठाये गये एक औचित्य प्रश्न के बारे में . ३८९७-९८

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३८९८-९९

फिलेटिलिक ब्यूरो द्वारा डाक-टिकट संग्रह कर्ताओं को टिकटों के फोल्डर दिये जाने के बारे में याचिका . . . ३८९९

सभा का कार्य ३८९९

राष्ट्रपति की पेंशन (संशोधन) विधेयक, १९६२—पुरःस्थापित . ३९०

अनुदानों की मांगें—

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . . . ३९००—२४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति— ३९२५

पहला प्रतिवेदन ३९२५

मूलभूत सहकारी कृषि समिति के बारे में संकल्प—वापस लिया गया . ३९२५—३७

अस्पृश्यता निवारण संबंधी संकल्प . ३९३७—४५

दैनिक संक्षेपिका . . ३९४६—४९

अंक ३७—सोमवार, ४ जून, १९६२/१४ ज्येष्ठ १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२४६ से १२४९, १२५१ से १२५४ और १२५६ से १२६१ . . . . ३९५१—७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर— .

तारांकित प्रश्न संख्या १२५०, १२५५ और १२६२ से १२७० . ३९७३—७९

अतारांकित प्रश्न संख्या २४१३ से २४३१, २४३३ से २४७४ और २४७६ से २५१० . . . . ३९७९—४०२३

सभा पटल पर रखे गये पत्र—

पूर्वी पाकिस्तान में हुए उपद्रवों और उस के परिणामस्वरूप हुए प्रवजन के बारे में वक्तव्य—

श्री जवाहरलाल नेहरू . . . . . ४०२४—२६

अनुदानों की मांगें—

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . . ४०२६

गृह-कार्य मंत्रालय . . . ४०३९–४०

हुगली के पास हुई रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . ४०७०

दैनिक संक्षेपिका . . . . ४०८१—८६

अंक ३८—मंगलवार, ५ जून, १९६२/१५ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२७१, १२७३, १२७४, १२७७ से १२८०, १२८२ और १२८४ से १२८९ . . . . ४०८७—४११०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२७५, १२७६, १२८१, १२८३ और १२९० से १३०८ . . . . . ४११०—१९

अतारांकित प्रश्न संख्या २५११ से २६०७, २६०९ से २६१९, २६२२ से २६३० और २६३२ से २६३४ . . . . ४१२०—७२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—

(१) अमरीकी राजदूत द्वारा भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं के बारे में कथित उद्गार . . . ४१७२

(२) कनाट प्लेस में आग . . . . ४१७२—७४

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४१७४–७५

सभा पटल पर एक प्रतिवेदन के रखे जाने के बारे में ४१७५

लोक सभा की बैठकों का रद्द किया जाना . . ४१७५

समितियों के लिये निर्वाचन—

भारत के वानस्पतिक सर्वेक्षण और भारत के प्राणिकीय सर्वेक्षण के लिये केन्द्रीय जीव-विज्ञान सलाहकार बोर्ड . . . ४१७५–७६

अनुदानों की मांगें—

गृह-कार्य मंत्रालय . . . . . ४१७६—४२३३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४२३४—४२

अंक ३९—बुधवार, ६ जून १९६२/१६ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३१०, १३११ से १३१३, १३१७ से १३१९, १३२४ से १३२७, १३१६, १३१५, १३२२, १३२०, १३२३, १३१४ और १३२१ . . . . . ४२४३—६८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०९ . . . ४२६८

अतारांकित प्रश्न संख्या २६३५ से २६४३ और २६४५ से २७०५ . ४२६८—९९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

भारत तिब्बत करार की समाप्ति और चीनी व्यापारिक दूतावासों का बन्द किया जाना . . . ४२९९

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४३००

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . ४३०१

अनुदानों की मांगें—

गृह-कार्य मंत्रालय . . . ४३०१—९७

श्रम और रोजगार मंत्रालय . . . ४३८८—५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . ४३५४—५८

अंक ४०—गुरुवार, ७ जून, १९६२/१७ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३२८ से १३३१, १३३४, १३३७ से १३४४, १३४६, १३४७, १३४९ और १३४८ . . ४३५९—८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३३२, १३३३, १३३५ १३३६, १३४५ और १३५० से १३५२ . . . . . ४३८२—८५

अतारांकित प्रश्न संख्या २७०६ से २७८६ . . ४३८५—४४२१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —

दिल्ली के टाउन हाल में आग का लगना . . . ४४२२–२३

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	४४२३
समितियों के लिये निर्वाचन —	
(१) प्राक्कलन समिति ; तथा .	४४२३—२४
(२) लोक लेखा समिति	४४२४
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के बारे में . . .	४४२४
लोक लेखा समिति के साथ राज्य सभा के सदस्यों को सम्बद्ध करने के बारे में प्रस्ताव . . .	४४२५
अनुदानों की मांगें	४४२५—७८
श्रम और रोजगार मंत्रालय	४४२५
मत विभाजन के परिणाम के बारे में घोषणा .	४४७७—७८
दैनिक संक्षेपिका	४४७९—८४

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

सोमवार, ४ जून, १९६२

१४ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भारत-अखिल अफ्रीका विमान सेवा[1]

+
†*१२४६. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाइजेरिया भारत-अखिल अफ्रीका विमान सेवा चालू करने के लिए **एयर-इंडिया** इंटरनेशनल का सहयोग प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या नाइजेरिया भारत से प्रशिक्षित कर्मचारी चाहता है ;

(ग) यदि हां, तो कितने ; और

(घ) क्या नाइजेरिया के विमान चालकों को भारत में प्रशिक्षण दिया जायेगा ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री महीउद्दीन)** : (क) से (घ). में अपेक्षित जानकारी वाला विवरण सभापटल पर रखता हूं ।

विवरण

कुछ समय पूर्व नाइजेरिया एयरवेज़ ने एयर इंडिया को यह सुझाव दिया था कि लागोस और बम्बई के बीच विमान सेवायें चलाने के लिये दोनों कम्पनियों का एक संग्रह (पूल) बना दिया जाये। कुछ कठिनाइयों के कारण एयर इंडिया ने इस सुझाव पर अमल नहीं किया। नाइजेरिया एयरवेज़

†मूल अंग्रेजी में

1. Indo-Pan-African Air Sevice

1196(Ai)LS--1.

के अधिकारी हाल ही में विमान चालकों को नियुक्त करने के लिये भारत आये तो आगे बातचीत हुई और मार्ग के यातायात सर्वेक्षण की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

नाइजीरिया एयरवेज के कहने पर इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने १० पाइलट, १ प्लानिंग इंजीनियर, १ चीफ इंस्पैक्टर और ३ एयरक्राफ्ट मेनटेनेंस इंजीनियरों की सेवायें उधार दे दी है । इसके अतिरिक्त एक वरिष्ठ पदाधिकारी (इंजीनियर मैनेजर) को जनरल मैनेजर के रूप में नियुक्त किये जाने के लिये नाइजीरिया एयरवेज को सौंप दिया गया है ।

नाइजीरिया एयरवेज ने भारत में उन के पाइलटों का प्रशिक्षण करने की संभावना के बारे में भी इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन से पूछताछ की थी । योजना के ब्यौरे का परीक्षण किया जा रहा है ।

†**श्री स० च० सामन्त :** नाइजीरिया एयरवेज का सुझाव स्वीकार करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : पहली बात तो यह कि इस लम्बे मार्ग पर यातायात सर्वेक्षण नहीं किया गया था । लागोस–कानो–काहिरा–बेरूत बेहराइन–कराची–बम्बई–अदन–नैरोबी–ल्योपोड विल्ले–लागोस के रूट का सुझाव दिया गया था । यह रूट जहां से आरम्भ होता था वहीं पर आ कर समाप्त होता था । बाद में यह भले ही लाभप्रद सिद्ध हो परन्तु इस समय यातायात के उपलब्ध होने में कठिनाइयां हैं। दूसरे इस रूट पर पड़ने वाले कई हवाई अड्डे इस योग्य नहीं कि वहां बोइंग ७०७ उतर सकें ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** विवरण से पता चलता है कि १० पाइलट और अन्य कर्मचारी भेजे गये हैं । इसकी सेवा की शर्तें क्या हैं ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : शर्तें वाजब हैं । इंडियन एयरलाइन्स और नाइजीरिया एयरवेज के बीच हुए एक करार के अधीन उन्हें भेजा गया है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : विवरण से पता चलता है कि नाइजीरिया की सरकार ने भारत सरकार से उनके पाइलेटों को प्रशिक्षण देने की प्रार्थना की है । यह देखते हुए कि हमारे देश में प्रशिक्षित पाइलटों की संख्या काफी है क्या नाइजीरिया सरकार से यह प्रार्थना की जायेगी कि इस की बजाये वह भारतीय पाइलटों को ही नियुक्त कर लें ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** यदि वे हमारे पाइलट मांगेंगे तो हम अवश्य देंगे । परन्तु अभी उन्हों ने अपने नागरिकों को प्रशिक्षित करने के लिये कहा है ।

†**श्री वी० चं० शर्मा** : क्या इस चकरदार रूट का यातायात सर्वेक्षण किया जा चुका है अथवा करने की कोई संभावना है ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** हमें बताया गया है कि नाइजीरिया एयरवेज ने सर्वेक्षण किया है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** नाइजीरिया एयरवेज में किस प्रकार के विमान हैं और हमारी बोइंग सेवा से उनका सम्पर्क कैसा रहेगा ? उन्हों ने इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन से कुछ पाइलट लिये हैं जिन्हें बोइंग विमानों का अनुभव नहीं है । इस का यह अभिप्राय है कि उन के पास बोइंग नहीं हैं ?

†**श्री मुहीउद्दीन:** उन के पास डकोटा और फ्रैंडशिप विमान हैं । मुझे निश्चित रूप से यह पता नहीं कि उन के पास बाइकाऊंट हैं या नहीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बसुमतारी** : क्या भारत से नाइजीरिया तक कोई गैर-सरकारी विमान सेवा चल रही है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : मुझे यह निश्चित रूप से मालूम नहीं परन्तु बम्बई से अफ्रीका के कुछ स्थानों तक गैर-सरकारी सेवा चालू है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मेरा प्रश्न यह था कि नाइजीरिया एयरवेज के पास बोइंग विमान नहीं हैं और एयर इंडिया के पास केवल बोइंग विमान हैं। इस स्थिति में दोनों मिल कर विमान सेवा कैसे चला सकते हैं ? परन्तु मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानकारी अन्य साधनों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : हम तो यह आशा करते हैं कि मंत्री महोदय से जानकारी प्राप्त करने में आप हमारी सहायता करेंगे । प्रश्न पूछने का अभिप्राय यही होता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि प्रश्न के उत्तर में यदि माननीय मंत्री पूर्ण जानकारी नहीं दे पाते तो उस के लिये अन्य साधनों का प्रयोग किया जाता है। जब माननीय मंत्री को निश्चित रूप से मालूम नहीं कि नाइजीरिया एयरवेज के पास बोइंग हैं या नहीं तो मैं उन्हें निश्चित उत्तर देने के लिये कैसे मजबूर कर सकता हूं ।

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा औषधालय

+

†*१२४७. { **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंशदायी स्वास्थ्य सेवा औषधालयों के डाक्टर, नर्सें और दूसरे कर्मचारी उन औषधालयों में प्रदर्शित निर्धारित समय के अनुसार अपना अपना काम करते हैं ;

(ख) क्या उपस्थिति की नियमितता जांचने के लिये वहां कोई कर्मचारी होता है ;

(ग) क्या उस से फायदा उठाने वालों को कीमती या खास खास दवाएं देने का कोई आधार है ; और

(घ) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० इ० स० राजू)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ) अंशदायी स्वाथ्य सेवा योजना के अंतर्गत दवाइयां देने के लिये एक विस्तृत सूत्र सूची तैयार कर दी गई है । इस सूची को विशेषज्ञ और सामान्य दो भागों में बांटा गया है । विशेषज्ञ सूची में उल्लिखित औषधियां केवल विशेषज्ञ ही दे सकता है और सामान्य सूची की औषधियां औषधालय के डाक्टर दे सकते हैं ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या सरकार को इस बारे में कोई शिकायत मिली है कि अधिक वेतन पाने वालों और कम वेतन पाने वालों के साथ दवाइयां देने के विषय में भेदभाव किया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० द० स० राजू :** कोई भेदभाव नहीं किया जाता है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि विनय नगर के और अन्य कई औषधालयों में दवाइयों की कमी रहती है ?

†**डा० द० स० राजू :** कई बार दवाइयां कम पड़ जाती है परन्तु सरकार को पता चलने पर यह कमी दूर कर दी जाती है ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** जब किसी रोगी को अंशदायी स्वास्थ्य सेवा औषधालयों के जरिये अस्पताल भेजा जाता है तो क्या कीमती दवाइयों आदि का खर्च सरकार वहन करती है ?

†**डा० द० स० राजू :** इलाज का सारा खर्च सरकार करती है ।

†**श्री त्यागी :** कार्य के समय के पश्चात् विशेषकर रात को जब डाक्टर रोगी को उसके घर पर देखने जाते हैं तो क्या उसके लिये उन्हें कोई विशेष भत्ता दिया जाता है ?

†**डा० द० स० राजू :** कोई प्रतिकर नहीं दिया जाता है ।

†**श्री भगवत झा आजाद :** क्या यह सच है कि केवल कीमती औषधियां ही नहीं बल्कि साधारण औषधियों की भी कमी रहती है जिन्हें मंगवाने में तीन-तीन दिन लग जाते हैं ? ऐसा क्यों होता है ?

†**डा० द० स० राजू :** माननीय सदस्य द्वारा दी गई जानकारी सही नहीं है । डाक्टर द्वारा लिखी गई साधारण औषधियां थोड़े समय के अन्दर ही दे दी जाती हैं कीमती और नशीली विशेष औषधियां प्राप्त करने में ही विलम्ब होता है क्योंकि वे विशेषज्ञों द्वारा ही दी जाती हैं ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए यह निर्णय किस आधार पर किया जाता है कि अमुक औषधियां साधारण डाक्टरों द्वारा और अमुक विशेषज्ञों द्वारा दी जायेंगी। ऐसा करते समय क्या मूल्य को आधार माना जाता है या उपयोगिता को ?

†**डा० द० स० राजू :** इसका आधार मूल्य नहीं है । यदि औषधालय का डाक्टर यह आवश्यक समझे कि केस अधिक गम्भीर है और विशेषज्ञ द्वारा देखा जाना चाहिये तो उसे विशेषज्ञ ही देखकर औषधि देगा ।

†**श्री विभूति मिश्र :** क्या यह सही नहीं है कि रविवार को अक्सर इन सी०एच०एस० डिस्पेंसरीज में डाक्टर नहीं आते हैं और रोगियों को बड़ी तकलीफ़ होती है ?

†**डा० द० स० राजू :** यह सही नहीं कि वे देर से आते हैं । कई बार उन्हें रोगियों को उनके घर पर देखने जाना पड़ता है और ऐसे अवसर पर उन्हें देर हो जाती है ?

खेती के लिये ट्रेक्टर

†१२४८. **श्री भागवत झा आजाद :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ट्रेक्टरों का उपयोग बढ़ रहा है या कम हो रहा है ; और

(ख) क्या धीरे धीरे ट्रेक्टरों का उपयोग करने के लिए किसानों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) बढ़ रहा है । १९५६ में ट्रेक्टरों की संख्या २१,००० थी । १९६१ में यह ३४,००० हो गई ।

(ख) भारत सरकार इसके लिये कोई विशेष प्रयत्न नहीं कर रही है । खाद्य की उपज को बढ़ाने के हेतु कृषकों को निम्नलिखित प्रोत्साहन दिये गये हैं :—

(एक) कृषि ट्रेक्टर सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क से मुक्त होते हैं ।

(दो) अधिकतम राज्यों में कृषि ट्रेक्टर स्थानीय करों जैसे कि बिक्री कर आदि से भी मुक्त होते हैं ।

(तीन) कुछ एक राज्य सरकारें ट्रक्टरों और कृषि के अन्य औजारों की खरीद के लिये तकावी ऋण देती रही हैं । कुछ एक ने किसानों को किराये पर ट्रेक्टर देने की योजना बनाई है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाया है कि कृषि देश शीघ्र ट्रेक्टर द्वारा खेती को क्यों नहीं अपना रहे हैं ?

†**श्री राम सुभग सिंह** : क्यों कि वे परम्परागत तरीकों के अभ्यस्थ हो गये हैं । इसके इलावा ट्रक्टरों का मूल्य बहुत अधिक होता है और साधारण कृषक उसे नहीं खरीद सकता ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या यह सच है कि पुर्जों की कमी के कारण अधिकतम ट्रक्टर खराब पड़े हुए हैं ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : मैं ने बताया कि १९५६ से १९६१ तक ट्रेक्टरों की संख्या २१,००० से बढ़ कर ३४,००० हो गई है । सम्भव है कि कुछ ट्रेक्टर खराब पड़े हों परन्तु उन्हें प्रयोग में लाने का प्रयत्न किया जावेगा ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : ट्रेक्टरों के चिरकालीन प्रयोग का भूमि के उपजाऊ होने पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : सम्भव है कि कुछ क्षेत्रों में ट्रेक्टर द्वारा खेती के कारण भूमि कम उपजाऊ हो गई हो परन्तु अधिकतम क्षेत्रों में ट्रेक्टर उपयोगी हैं ।

डा० गोविन्द दास : अभी माननीय मंत्री जी ने ट्रेक्टरों की जो संख्या बताई है, उसमें से कितने ट्रेक्टर सरकारी जो भिन्न भिन्न फार्म हैं, उनमें काम में आते हैं और कितने ट्रक्टर किसानों के काम में आते हैं ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : जो संख्या मैं ने बताई है वह सारी संख्या किसानों के काम की है ।

†**श्री पू० र० पटेल** : यदि खेती में ट्रेक्टर प्रयोग किये जाने हैं तो क्या हम बैलों का प्रयोग कहीं और कर सकते हैं ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : यह सम्भव नहीं है क्योंकि देश में छः करोड़ कृषक परिवार हैं और केवल ३४,००० ट्रेक्टर ।

†**श्री पू० र० पटेल** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला । यदि हल जोतने के लिये ट्रेक्टरों का प्रयोग किया जाये तो क्या बलों का प्रयोग अन्य कृषि कार्य के लिये आवश्यक होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० राम सुभग सिंह :** जैसा कि मैं ने पहले बताया बैलों का प्रयोग छोड़ना आसान नहीं है । माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि हमारे देश में एक करोड़ बलों की कमी है । हम तो यह प्रयत्न कर रहे हैं कि बैल और ट्रेक्टर दोनों से काम लें ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि गत वर्ष कलकत्ता के राष्ट्रीय कृषि मेले में अमरीकी कक्ष में प्रदर्शित किये गये छोटे ट्रेक्टर सरकार को बहुत पसन्द आये थे और यदि हां तो क्या सरकार ने देश में उन छोटे ट्रेक्टरों का प्रयोग आरम्भ करने की संभावना की छानबीन की है ?

†**डा० राम सुभग सिंह :** जी हां ।

†**डा० ब० ना० सिंह :** क्या सरकार का विचार है कि हमारे देश में छोटे-छोटे खेत होने पर भी ट्रेक्टरों का प्रयोग सफल रहेगा ?

†**डा० राम सुभग सिंह :** छोटे ट्रेक्टर बनाने का कार्यक्रम है । इसके अतिरिक्त सहकारिता के कारण धीरे-धीरे खेतों का आकार भी बड़ा हो जायेगा ।

†**श्री मे० क० कुमारन :** क्या बढ़िया किस्म के कृषि औजारों सम्बन्धी सम्मेलन द्वारा की गई इस सिफारिश को कार्यान्वित किया जा रहा है कि विस्तार खण्डों में अपनी-अपनी कर्मशालायें होनी चाहियें ?

†**डा० राम सुभग सिंह :** उस कार्यक्रम पर अमल किया जा रहा है । माननीय सदस्य को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि प्रत्येक कृषि जिले में बड़ी अच्छी कर्मशाला स्थापित की जा रही है ।

आन्ध्र प्रदेश और राजस्थान में पंचायती राज

†***१२४९. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **सामुदायिक विकास पंचायती राज तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश और राजस्थान ने, जो पंचायती राज के मामले में अगुआ थे, अपने अनुभव के आधार पर इस मामले पर पुनः विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो ये राज्य किन निष्कर्षों पर पहुंचे हैं ; और

(ग) इन राज्यों ने अपने यहां पंचायती राज को बढ़ावा देने तथा उसे शक्तिशाली बनाने के लिये कोई कार्यक्रम बनाया हो तो वह क्या है ?

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :** (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । पंचायती राज एक नवीन और प्रगतीशील कार्यक्रम है और केन्द्र और राज्यों में उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर कठिनाइयों को दूर करने और पंचायती राज को अधिक सक्रिय बनाने के हेतु निरन्तर विचार तथा अध्ययन किया जा रहा है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** गत सामान्य निर्वाचनों में पंचायती राज संस्थाओं ने किस हद तक भाग लिया और सरकार ने उस से क्या सबक सीखा था कि सरकार ने जानबूझ कर इस की ओर ध्यान नहीं दिया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब० सू० मूर्त्ति :** सामान्य निर्वाचन हाल ही में हुए हैं। इसका पूरी तरह अध्ययन करना पड़ेगा। यदि माननीय सदस्य के पास कोई जानकारी हो तो वह हमें दे दें।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि हाल ही में वरिष्ठ जिला अधिकारियों का सम्मेलन हुआ जिसमें कलक्टर और जिला दण्डाधिकारी उपस्थित थे और उस सम्मेलन में निर्वाचनों के सिलसिले में पंचायती राज संस्थाओं की बड़ी आलोचना की गई। उन्होंने क्या-क्या बुराइयां बताईं और उसके क्या उपचार बताये ?

†**श्री ब० सू० मूर्त्ति :** पंचायती राज संस्थाओं और उनके कार्य संचालन का मूल्यांकन किया जा रहा है। सभा को विदित है कि कुछ समय पूर्व संसदीय कांग्रेस पार्टी का एक अध्ययन दल आंन्ध्र प्रदेश और राजस्थान गया था। बाद में ग्राम्य विकास के स्वयं सेवक अभिकरणों का एक दल भी कुछ स्थानों के दौरे पर गया था। उसके बाद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने श्री मुकुट बिहारी लाल के सभापतित्व में एक अध्ययन दल भेजा था। उसके भी बाद योजना आयोग. . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य ने अधिकारियों के एक सम्मेलन विशेष के बारे में पूछा है। माननीय मंत्री ने वहां गये अध्ययन दलों के परिणाम तो बता दिये हैं परन्तु माननीय सदस्य द्वारा निर्दिष्ट सम्मेलन के बारे में कुछ नहीं बताया।

†**श्री ब० सू० मूर्त्ति :** वह हमारी जानकारी में नहीं है।

†**श्री हेडा :** क्या सरकार ने आंन्ध्र प्रदेश में जिला परिषदों के सभापतियों के सम्मेलन द्वारा पास किये गये संकल्पों पर विचार किया है ? यद्यपि औपचारिक रूप से संकल्प पारित नहीं किया गया था परन्तु कलैक्टरों के सम्मेलन में समस्या पर चर्चा की गयी थी।

†**श्री ब० सू० मूर्त्ति :** आंध्र राज्य सरकार उन संकल्पों को छांट रही है। वह यह भी पता लगाने का प्रयत्न कर रही है कि क्या आंध्र प्रदेश एक्ट के कुछ उपबन्धों का संशोधन करने की कोई आवश्यकता है। वह सरकारी और गैर-सरकारी कर्मचारियों के विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये बाद में एक विधान बनाने का प्रयत्न कर रही है। आगे चल कर वह संकल्पों में बताई गई त्रुटियों में से कुछ एक पर विचार करना चाहती है। अभी उनका अध्ययन किया जा रहा है।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या यह सच है कि पंचायती राज के कारण स्थानीय गुटबन्दी इतनी बढ़ गई है कि इस से परस्पर सम्बन्ध बहुत बिगड़ गये हैं ? अध्ययन दलों ने इस समस्या के बारे में क्या कहा है और वे इसे कैसे दूर करना चाहते हैं ?

†**श्री ब० सू० मूर्त्ति :** यह सही नहीं है कि पंचायतों के स्तर पर गुटबन्दी अधिक कठोर हो गई है बल्कि पंचायती राज संस्थाएं तो दलबन्दी आदि से दूर ही रहती हैं।

†**श्रीमती रेणका राय :** क्या सरकार को ज्ञात है कि आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पंचायती राज की सब से बड़ी त्रुटि यह अनुभव की गई है कि समुदायिक पिछड़े वर्गों जैसे कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पर्याप्त परित्राणों की व्यवस्था नहीं की गयी है और उनकी हालत सुधारने की बजाये उनका शोषण किया जा रहा है ?

श्री सद्धेश्वर प्रसाद : राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक में पंचायतों के चुनाव के सम्बन्ध में कुछ आदर्श या मान्यतायें निर्धारित की गई हैं और यदि हां तो वे क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

अध्यक्ष महोदय : यह तो एक अलहदा सवाल हो गया ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कोई निश्चय किया है कि ग्राम पंचायतों के चुनाव में पोलिटिकल पार्टीज़ अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करेंगी ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति :** यह प्रश्न पूछा जा चुका है और मैंने कहा था कि सरकार यह नियम नहीं बना सकती कि राजनैतिक दल ग्राम पंचायतों के निर्वाचन में भाग न लें ।

†**अध्यक्ष महोदय :** हम प्रश्न के विषय से बाहर जा रहे हैं ।

†**श्री जसवन्त मेहता :** क्या सरकार ने दलबन्दी की समस्या पर विचार किया है और क्या ग्राम पंचायतों के अप्रत्यक्ष निर्वाचन करने की बजाये प्रत्यक्ष निर्वाचन करने के बारे में कोई निर्देश जारी किया है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न ।

विदेशी पर्यटकों द्वारा की गई शिकायतें

†*१२५१. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी पर्यटकों ने इस देश के खराब भोजन और मार्ग-दर्शकों की बेइमानी और अकुशलता के बारे में हाल में शिकायतें की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन शिकायतों के कारणों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राज बहादुर) :** (क) और (ख) स्वीकृत गाइडों की बेईमानी और आकुशलता बारे केमें विशिष्ट शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं । देश में भोजन की किस्म के सम्बन्ध में हाल ही में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन्हें दूर करने के लिये सम्बन्धित प्रतिष्ठानों के साथ कार्यवाही की जा रही है ।

†**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :** क्या भारत सरकार के पर्यटक विभाग ने जनमत जानने और पर्यटकों के विचार मालूम करने के लिये कि क्या उन्हें भारत यात्रा में आनन्द प्राप्त हुआ है कोई व्यवस्थाबद्ध प्रयत्न किये हैं ?

†**श्री राज बहादुर :** ऐसा कभी कभी किया जाता है । हम पर्यटक पत्रकार दलों और इस विषय के अन्य विशेषज्ञों को प्रोत्साहन देते हैं और विभिन्न सुविधाओं के बारे में उनके विचार जानने का प्रयत्न करते हैं । हम यह दावा तो नहीं करते कि हम सन्तोषजनक स्थिति में पहुंच गये हैं किन्तु हम सुधार का प्रयत्न कर रहे हैं और सुधार हुआ भी है ।

डा० गोविन्द दास : अभी मंत्री जो ने कहा कि कुछ शिकायतें खाने के सम्बन्ध में आई हैं । मैं जानना चाहता हूं कि यह शिकायतें किन क्षेत्रों से आई हैं और जिन क्षेत्रों से यह शिकायतें आई हैं उनके वास्ते क्या कार्यवाही की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री राज बहादुर : किन क्षेत्रों से अर्थ अगर शिकायत करने वालों के क्षेत्र से है तो कुछ शिकायतें तो आस्ट्रेलियन ट्रैवल एजेंट्स के जरिये आई हैं और इसी प्रकार से कुछ लिकायतें होटलों के बारे में विभिन्न टूरिस्ट एंड अदर बोडीज से आई हैं। इम्पीरियल होटल आगरा और इम्बैसी होटल बंगलोर के बारे में शिकायत आई है। ग्रांड होटल दिल्ली और जनपथ होटल के बारे में भी शिकायत आई है। रायल होटल के बारे में भी इसी तरह की शिकायत आई है।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या यह सच नहीं है कि भारत में पर्यटकों की संख्या बहुत बढ़ जाने के पश्चात् भोजन के बारे में इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और व शिकायतें विगत दस वर्ष से आ रही हैं ? सरकार ने स्थिति में सुधार करने अथवा शिकायतें दूर करने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

†**श्री राज बहादुर :** जैसा मैंने अभी बताया है कुछ पर्यटकों और दूसरी निकायों से विशिष्ट शिकायतें हाल ही में प्राप्त हुई हैं। मैंने अभी हिन्दी में दिये गये उत्तर में बताया है कि आंस्ट्रेलियन ट्रेवल एजेंट्स से इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के भोजन के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई थीं इस मामले को इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के व्यवस्थापकों से निर्दिष्ट कर दिया है। इम्पीरियल होटल ऑर एम्बेसी होटल, आगरा स्वीकृत होटल प्रतिष्ठानों की सूची में थे उनकी स्वीकृति समाप्त कर दी गयी है। दिल्ली में ग्रांड होटल के बारे में भी यही कार्यवाही करने का विचार है। वोल्गा रेस्टरां के भोजन के ठेकेदार के विरुद्ध भी शिकायत थी, वे होटल जनपथ में भोजन-व्यवस्था के प्रभारी हैं। रायल होटल के बारे में भी एक शिकायत थी और सम्बन्धित होटल के साथ इस मामले पर बातचीत की जा रही है।

†**श्री त्यागी :** इसे दूर करने के लिये क्या किया गया है ?

†**श्री राज बहादुर :** कार्यवाही का प्रयत्न किया जा रहा है।

†**श्री अंसार हरवानी :** जो यात्रा एजेंसियां पर्यटकों को पथ-प्रदर्शक आदि की व्यवस्था करती हैं उन पर नियंत्रण करने के लिये विधान बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री राज बहादुर :** यह सर्वथा प्रथक है प्रश्न है।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ :** क्या जम्मू के पर्यटन केन्द्र के समय समय पर मिलने वाली शिकायतों के बारे में सरकार को जानकारी है कि पर्यटकों को न केवल अच्छा भोजन मिलता है किन्तु अनेक मामलों में उन्हें वहां ठहरने की अवधि में समुचित सेवायें भी नहीं मिलती हैं ? पर्यटकों को उपयुक्त सेवाये और अच्छा भोजन उपलब्ध कराने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

†**श्री राज बहादुर :** मैं यह जानकारी नोट कर लेता हूं और इसे राज्य सरकार के अधिकारियों की सूचना में ला दूंगा।

†**डा० ब० ना० सिंह :** इस बात को दृष्टिगत करते हुये कि भोजन की किस्म के बारे में लगातार शिकायतें आ रही हैं क्या सरकार भारत के समग्र पर्यटन केन्द्रों में राज्यकीय होटल खोलने का विचार कर रही है ?

†**श्री राज बहादुर :** जहां तक परिवहन मंत्रालय के पर्यटन विभाग का सम्बन्ध है हम इन होटल आदि में भोजन के लिये प्रभारी नहीं हैं। जो शिकायतें हमारे पास आतीं हैं हम उनकी जांच करने का प्रयत्न करते हैं और इन्हें दुर करने के उपाय उठाते हैं। जहां तक सरकारी हाथों में होटल उद्योग लेने का सम्बन्ध है हमारी नीति यह है कि यह गैर सरकारी क्षेत्र में ही रहे। जब

---

†मूल अंग्रेजी में

इनमें गुंजाइश हो और असंतोषजनक अवस्था हो तो हम कदम उठाते हैं जैसा दिल्ली में अशोक होटल और जनपथ होटल के सम्बन्ध में हमने किया है ।

मुधेरा मन्दिर

†*१२५२. **श्री पु० र० पटेल :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय और विदेशी पर्यटक बड़ी सख्या में गुजरात राज्य में स्थित मुधेरा मन्दिर को देखने के लिये आते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि मेहसाना और मुधेरा के बीच कोई कंक्रीट या डामर की सड़क न होने से पर्यटकों को कठिनाई होती है ; और

(ग) क्या सरकार का सड़क बनाने का इरादा है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय मे राज्य मन्त्री (श्री राज बहादुर) :** (क) मुधेरा मदिर जाने वाले पर्यटकों की संख्या उपलब्ध नहीं है । गुजरात सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार पर्याप्त संख्या में भारतीय पर्यटक इस मंदिर को देखने जात हैं । वस्तु-कला में रुचि रखने वाले कुछ विदेशी पर्यटक भी संभवत: इसे देखने आते हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) मिट्टी को स्थायित्व प्रदान करने के प्रमाप के अनुसार सड़क का कुछ भाग ठीक करने के लिये केन्द्रीय सड़क निधि (सामान्य) रिजर्व से ५० प्रतिशत लागत को पूरा करने के लिये १,२७,०५० रुपये का सहायता अनुदान दिया गया है ।

†**श्री प० र० पटेल :** इस सड़क के निर्माण का काम कब प्रारम्भ हो जायेगा और यह कब पूरा होगा ?

†**श्री राज बहादुर :** इसके पूरा होने का निश्चित समय नहीं बताया जा सकता है । किन्तु उसकी स्वीकृति हाल ही में दी गई है और रकम मंजूर कर दी गई है ।

श्री रघुनाथ सिंह : पर्यटकों के यहां पर ठहरने के लिये क्या इतजाम है ? यहां पर कोई होटल या धर्मशाला आदि है ?

श्री राज बहादुर : मुधेरा हमारा एक पुराना मंदिर है । उस को देखने के लिये बहुत से अपने देश के ही पर्यटक जाते हैं और वह स्वयं अपने ठहरने का वहां इंतजाम करते हैं ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी :** क्या मुधेरा मंदिर की प्राचीनता और ऐतिहासिक महत्व का वर्णन करने वाली कोई पुस्तिका सरकार द्वारा प्रकाशित की गई है ?

†**श्री राज बहादुर :** जी हां । महाराष्ट्र राज्य (बम्बई) के बारें में पर्यटक पथ-प्रदर्शन पुस्तिका में इस मंदिर की सम्पूर्ण सुन्दर वस्तुकला और इंजीनियरिंग कला का वर्णन किया गय है । इसका निर्माण इस ढंग से किया गय। है कि उदीयमान सूर्य की किरणें आंगन में होकर सीधे सभा मण्डप में आती हैं और फिर वे सूर्य की मूर्ति को आलोकित करती हैं । सूर्य की मूर्ति इस समय वहां नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रोगाणु नियंत्रण की राष्ट्रमण्डलीय संस्था

†*१२५३. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के कृषि विभाग ने रोगाणु नियंत्रण की राष्ट्रमंडलीय संस्था के बंगलौर केन्द्र को "विचवीड" (एक प्रकार का परजीवी तृण) को नष्ट करने वाले कीटाणुओं के सर्वेक्षण और उनके प्रकार का अध्ययन करने के लिये ९५,३८८ डालर का अनुदान मंजूर किया है; और

(ख) इस अध्ययन में क्या प्रगति की जा चुकी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री शिंदे) :** (क) अमरीकी कृषि विभाग ने इस योजना के लिये ४,५४,०५० रुपये मंजूर किये हैं। यह रकम पी० एल ४८० निधि में से दी जायेगी। जो भारत में अमेरिका सरकार के उपयोग के लिये निर्धारित है।

(ख) यह अध्ययन १ अगस्त, १९६२ से प्रारम्भ होगा जो इसकी मंजूरी के लिये कार्य आरम्भ करने की स्वीकृत तारीख है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** इस योजना में विदेशी मुद्रा का कितना अंश है तथा क्या अमेरिका के कृषि विभाग द्वारा दिया गया अनुदान इस कार्य के लिये पर्याप्त है ?

†**श्री शिंदे :** जी नहीं इसमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं है। जहां तक इस योजना का सम्बन्ध है मंजूर की गई रकम इसके लिये पर्याप्त है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** यह अनुमान किस रूप में प्राप्त होगा—डालर में या किन्हीं वस्तुओं के रूप में ? क्या विदेशी विशेषज्ञ यहां आयेंगे ?

†**श्री शिंदे :** यह रकम पी० एल० ४८० में से दी जायेगी यह अमेरिका की सरकार के ऊपर है। पी० एल० ४८० की कुछ रकम भारत में अमेरिका की सरकार द्वारा उपयोग करने के लिये निर्धारित है। इस रकम में से ही यह दी जायेगी।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :** क्या वित्तीय सहायता के अतिरिक्त अमेरिका ने विशेषज्ञों की सेवाएं भी ऋण स्वरूप प्रदान की हैं ?

†**श्री शिंदे :** जहां तक वर्तमान योजना का सम्बंध है इसमें विदेशी विशेषज्ञ प्रयुक्त नहीं किये जायेंगे।

चिकित्सा का लाइसेंसिएट कोर्स

†*१२२४. **श्री महेश्वर नायक :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकित्सा के पुराने लाइसेंसिएट कोर्स को पुनः आरम्भ करने के बारे में कोई अन्तिम निश्चय हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो आजकल प्रस्ताव किस स्थिति में है;

(ग) आजकल देश में प्रति वर्ष कितने व्यक्ति चिकित्सा-स्नातक बनते हैं और कितनों की आवश्यकता होती है; और

(घ) हमारी आवश्यकता की पूर्ण पूर्ति में कितना समय लगेगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) :** (क) से (घ). लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७५**]

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री महेश्वर नायक** : विवरण से यह प्रतीत होता है कि तीसरी पंच वर्षीय योजना के अंत में ९६,००० डाक्टरों की आवश्यकता का अनुमान है जब कि हर वर्ष लगभग ३३८७ डाक्टर तैयार होते हैं । सरकार इस कमी को किस प्रकार दूर करने का विचार रखती है ?

†**डा० द० स० राजू** : यथार्थ स्थिति यह है । इनकी कमी सापेक्ष रूप में है । शहरों और नगरीय क्षेत्रों में डाक्टरों की बहुतायत है । नगरीय क्षेत्रों में प्रति २,००० व्यक्तियों के पीछे एक डाक्टर है जब कि ग्राम्य क्षेत्रों में इनका अनुपात अत्यंत अल्प है । मेडिकल कालेजों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव के अधीन तीसरी पंच वर्षीय योजना में १८ मैडिकल कालेज और खोले जायेंगे इससे कुछ कमी पूरी हो जायेगी। किन्तु आवश्यकता पूरी होने में दो योजनाओं का समय और लग जायेगा। अस्थायी रूप में कुछ व्यवस्था की जा रही है । डाक्टरों के वेतन-ग्रम में वृद्धि, ग्राम्य भत्ते तथा कुछ अन्य सुविधायें देकर इन्हें गांवों की ओर आकृष्ट करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। इन्हें यात्रा सम्बन्धी और बच्चों की शिक्षा के बारे में सुविधाएं दी जायेंगी । इनकी पदोन्नति की दिशा में ग्राम्य सेवा का भी ध्यान रखा जायेगा । कुछ सेवानिवृत्त चिकित्सकों को भी गांवों में भेजने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

†**श्री महेश्वर नायक** : विवरण से प्रकट है कि लाइसेंसिएट्स एसोसिएशन ऑफ भारत की चिकित्सा परिषद् ने लाइसेंससिएट कोर्स का तीव्र विरोध किया है । कुछ राज्यों में अपकालीन एकीकृत कोर्स से सरकार अवगत है और क्या अब उसे ही पुनः चालू किया जा रहा है ?

†**डा० द० स० राजू** : इस प्रश्न पर सन् १९६० में केन्द्रीय स्वस्थ्य परिषद् ने विचार किया था वहां इस पर मत विभाजन था । वे एक निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। अतः राज्य सरकारों पर ही यह बात छोड़ दी गई कि जैसा चाहें निर्णय करें । अन्य किसी राज्य ने तो नहीं किन्तु मैसूर ने शिमोगा और बीजापुर में दो स्कूल खोलकर यह योजना प्रारम्भ कर दी । बाद में वे भी इस पर पछताये क्योंकि देश में विभिन्न क्षेत्रों से इसका तीव्र विरोध किया गया । भारतीय चिकित्सा एसोसिएशन इसके विरूद्ध थी । अखिल भारतीय लाइसेंससिएटस एसोसिएशन इसके विरूद्ध थीं; भारतीय चिकित्सा परिषद् भी इसके विरुद्ध थी । और अब उन्होंने इन स्कूलों के भावी विकास को रोक दिया है ।

†**श्री भगवत झा आजाद** : डाक्टरों को गावों में जाकर काम करने के लिये प्रलोभन देने पर भी क्या उनकी संख्या तीसरी पंचवर्षीय योजना के अनुमान से कम नहीं है ।

†**डा० द० स० राजू** : बंगाल ने इस दिशा में वस्तुतः भावी प्रदर्शन किया है। वहां ग्राम्य क्षेत्रों में डाक्टरों की कमी नहीं है ।

†**श्री बी० चं० शर्मा** : डाक्टरों की कमी पूरी करने के लिये हम आपात अल्पकालीन कोर्स प्रारम्भ कर रहे हैं । क्या देश में डाक्टरों की कमी दूर करने के लिये स्वास्थ्य मंत्रालय भी ऐसा ही कोर्स प्रारम्भ करने का विचार रखता है ।

†**डा० द० स० राजू** : इस षिय पर चर्चा हो सकती है समान्यतया इसका अनुमोदन नहीं किया जाता है । अध्यापकों के लिये भी अल्पकालीन कोर्स स्वीकृत नहीं किया जाता है । इसके लिये नियमित और निर्दिष्ट नियम एवं विनियम हैं । क्या माननीय सदस्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की ओर निर्देश कर रहे हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : विवरण और माननीय उपमंत्री के उत्तर से यह स्पष्ट है कि डाक्टरों की तीव्र कमी अगले पंद्रह या बीस वष तक रहेगी और ग्राम्य क्षेत्रों में डाक्टरों की पर्याप्त कमी है । डाक्टरों की भरती ग्राम्य क्षेत्र अथवा नगरीय क्षेत्र के लिये पृथक् पृथक् नहीं की जाती है किन्तु उनको

---

†मूल अंग्रेजी में

सामान्य सेवा है तब फिर डाक्टरों का ग्राम्य क्षेत्रों में सरकार क्यों नहीं रखती है। एक सरकार की कमजोरी ही है।

†**डा० द० स० राजू :** सारे देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जा रहे हैं। डाक्टर कम हैं इसलिये इन केन्द्रों में भी इनकी कमी है।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि जब डाक्टर सामान्य सेवा के लिये भरती किए जाते हैं तो उन्हें ग्राम्य क्षेत्रों में क्यों नहीं भेजा जाता ?

†**डा० द० स० राजू :** डाक्टरों की कमी है।

†**श्री बसुमतारी :** देश के सम्पूर्ण क्षेत्रों के लिये कितने डाक्टरों की आवश्यकता है ?

†**श्री प्र० के० देव :** विवरण से यह स्पष्ट है कि तीसरी योजना में ९६,००० डाक्टरों की आवश्यकता है जब कि हर वर्ष केवल ३,३८७ डाक्टर ही तैयार होते हैं। क्या सरकार तीसरी योजना में निर्धारित संख्या से अधिक मेडिकल कालेज खोलने का विचार कर रही है ?

†**श्री नाथ पाई :** माननीय मंत्री के वक्तव्य और उनके पूर्वाधिकारी श्री करमरकर के वक्तव्य में, जो उन्होंने दिसम्बर में लोक-सभा में दिया था कि देश में डाक्टरों की अधिकता है, कौनसा सही है? उस समय तत्कालीन अध्यक्ष श्री आंगार ने अपने अनुभव का जिक्र किया था। आज हमें यह बताया जा रहा है कि डाक्टरों की कमी है। इस विषय में सही तस्वीर क्या है ?

†**डा० द० स० राजू :** मैंने उत्तर दे दिया है कि डाक्टरों की कमी सापेक्ष है।

†**श्री नाथ पाई :** आप 'सापेक्ष' शब्द का प्रयोग कर श्री करमरकर के वक्तव्य से नहीं बच सकते।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य मंत्री महोदय को लिखकर इसका स्पष्टीकरण कर सकते हैं।

†**श्री नाथ पाई :** मुझे यह आश्वासन चाहिये कि स्थिति में सुधार हो रहा है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या ग्राम्य पृष्ठ भूमि के आधार पर मेडिकल शिक्षा के इंस्टीट्यूट खोलने का प्रस्ताव है ताकि शहरी मेडिकल संस्थाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों की तुलना में उन्हें गांवों में काम करने के लिये शीघ्र तैयार किया जा सके ?

†**डा० द० स० राजू :** ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

†**श्री त्यागी :** क्या यह सच है कि केवल कम अनुभव और कम योग्यता वाले डाक्टर ही गांवों में काम करते हैं जब कि अच्छे डाक्टर शहरों में रखे जाते हैं।

†**डा० द० स० राजू :** मेरा विचार है कि यह सही नहीं है।

†**डा० मा० श्री अणे :** कुछ लाइसेंसिएट स्कूल में भी विद्यार्थी पढ़ते हैं। वे पास कर लेने पर वे मेडिकल कालेजों में दाखिला ढूंढ़ते हैं किन्तु उन्हें भरती नहीं किया जाता है क्या सरकार इससे अवगत है ?

†**डा० द० स० राजू :** इन लाइसिएनसिएट्स को मेडिकल कालेजों में दाखिले के सम्बन्ध में कुछ नियम है।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ :** एम० बी० बी० एस० डाक्टरों के लिये छः वर्ष का कोर्स है पांच वर्ष कालेज में और एक वर्ष किसी स्थान पर काम करना लाइसिएनसिएट कोर्स को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार क्या कर रही है जब तक यह नहीं किया जायेगा डाक्टरों की कमी कैसे पूरी हो सकती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० द० स० राजू :** यदि हम डाक्टरों को नागरीय क्षेत्रों से ग्राम्य क्षेत्रों में जाने के लिये प्रोत्साहन देने में सफल हो जायें तो आंशिक समस्या हल हो जायेगी ।

†**श्री वारियर :** क्या सरकार ६ वर्षीय कोर्स के स्थान पर अधिक एल आई एम कालेज खोलने पर विचार कर रही है ?

†**डा० द० स० राजू :** अभी ऐसा विचार नहीं है ।

†**श्री उमानाथ :** क्या यह सच है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अधिक चिकित्सकों के प्रशिक्षण के लिए नवीन सहायता प्रदान की है ; यदि हां, तो इसका ब्योरा और सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**डा० द० स० राजू :** मुझे इस के लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

खजुराहो में हवाई अड्डा

†*१२५६. **श्रीमती जमना देवी : क्या परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार मध्य प्रदेश के दर्शनीय स्थान खजुराहों में एक हवाई अड्डा बनाने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो तत् सम्बन्धी प्रस्ताव का क्या विवरण है ;

(ग) इस प्रस्ताव के कब कार्यान्वित होने की सम्भावना है ; और

(घ) उसे पूरा होने में कितना समय लगेगा ।

†**परिवहन संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) से (घ). खजुराहो में एक एयरोड्रोम के बनाने की स्कीम पर गौर हो रहा है और उसकी तफसील तैयार की जा रही है ।

श्रीमती जमुना देवी : केन्द्रीय सरकार कब तक हवाई अड्डा बनाने के काम को शुरू करेगी ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** उम्मीद है कि जल्दी ही शुरू कर दिया जाएगा ।

श्रीमती जमुना देवी : कब तक पूर्ण हो जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : जल्दी का क्या कुछ बता सकते हैं कि जल्दी का क्या मतलब है ?

श्री मुहीउद्दीन : यह बताना मुश्किल है ?

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** इस विषय पर सरकार कब से विचार कर रही है ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** लगभग एक सौ या दो सौ से अधिक एयरोड्रोम पर सदा ही विचार होता रहता है यह कहना कुछ कठिन है कि इस एयरोड्रोम पर कब से विचार हो रहा है । आज कल विमान सर्विस पन्ना तक जाती है यह गैर अनुसूचित सर्विस इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन गत तीन वर्ष से चला रही है । पन्ना और खजुराहो में लगभग ३५ से ४० मील का फासला है । खजुराहो के समीप एयरोड्रोम बनाने का विचार गत एक या दो वर्ष पहले किया गया था और यह अब भी विचाराधीन है । हमने मध्य प्रदेश सरकार से एयरोड्राम बनाने के लिए निःशुल्क भूमि देने के लिये कहा है ।

श्री रघुनाथ सिंह : इस एयरोड्राम के वास्ते क्या रुपया अलग से रख दिया गया है और क्या यह अन्दाजा लगाया गया है कि इस पर कितना खर्च होगा ?

---

†मल अंग्रेजी में

†**श्री मुहीउद्दीन :** अनुमान है कि एयरोड्रोम पर १२ से १४ लाख रुपये लगगे। इस रकम का उपबन्ध कर दिया गया है।

डा० गोविन्द दास : अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार को उन्होंने लिखा है जमीन के बारे में। मैं जानना चाहता हूं कि यह कब लिखा गया है और मध्य प्रदेश को क्या जमीन देने में कोई आपत्ति है ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** शीघ्र उत्तर मिलने की आशा है।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी :** पत्र कब भेजा गया था ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** तारीख की जानकारी मेरे पास नहीं है। माननीय सदस्य चाहें तो मैं मालूम कर दूंगा।

दिल्ली में यातायात

†*१२५७. **श्री शिवचरण गुप्त :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगर आयोजन संगठन और दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली में यातायात की दशाओं सम्बन्धी सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली में यातायात कम करने और यातायात के खतरों को रोकने की सिफारिशें की गई हैं ; और

(ग) वर्ष १९६२-६३ में और तीसरी पंचवर्षीय योजना काल की शेष अवधि में भी यदि कोई सिफारिशें क्रियान्वित की जायेंगी तो वे क्या हैं ?

†**स्वास्थ्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० द० स० राजू) :** (क) दिल्ली में आने और वहां से जाने वाले सवारी यातायात के उद्भव और अन्तिम स्थानों के बारे में सन् १९५७ में नगर नियोजन संगठन ने सर्वेक्षण किया था।

(ख) ये सिफारिशें दिल्ली मास्टर प्लान के मसविदे में ही दी हुई हैं। यह सरकार के विचाराधीन है।

(ग) सरकार द्वारा स्वीकृत कर लेने के पश्चात् सम्बन्धित एजेंसियां मास्टर प्लान की विभिन्न सिफारिशों को क्रियान्वित करेंगी।

†**श्री शिवचरण गुप्त :** क्या यह सच है कि भारत सरकार ने सात वर्ष पहले साइकल रिक्शा समाप्त कर देने का विचार किया था ? इस प्रस्ताव की अब कितनी प्रगति हुई है ?

†**डा० द० स० राजू :** प्रश्न का वर्तमान विषय से क्या सम्बन्ध है ?

†**श्री शिवचरण गुप्त :** क्या धीमे चलने वाले यातायात, जिनमें ट्रामें भी शामिल हैं, यातायात के संकट के लिये काफी अंश तक उत्तरदायी हैं तथा क्या इन्हें स्थानान्तरित करने के लिये कोई क्रमबद्ध कार्यक्रम है ?

†**डा० द० स० राजू :** ये सब सिफारिशें दिल्ली मास्टर प्लान में सम्मिलित हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शिवचरण गुप्त :** अन्तरिम मास्टर प्लान सन् १९५६ में प्रस्तुत की गई थी अब छः वर्ष बीत चुके हैं। सरकार ने इन छः वर्षों में इस पर विचार नहीं किया ?

†**डा० द० स० राजू :** अन्तरिम योजना के पश्चात् मास्टर प्लान और फिर सम्पूर्ण प्रश्न पर विचार करना आवश्यक समझा गया। अतः इस पर अब विचार किया जा रहा है।

†**श्री प्र० के० देव :** यातायात के निर्बन्ध आने जाने के लिये क्या दिल्ली परिवहन के जनरल मेनेजर ने जमीन के नीचे और ऊपर रेलों के उपबन्ध की योजना तैयार की है।

†**डा० द० स० राजू :** वित्त व्यवस्था होने पर मास्टर प्लान में यह भी विचाराधीन है।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ :** क्या सरकार यातायात के घंटों पर विशेष रूप से रात्रि में प्रतिबन्ध लगाने का विचार कर रही है ?

†**डा० द० स० राजू :** इस आशय की भी सामान्य सिफारिश की गयी है।

†**श्री महेश्वर नायक :** भारत सरकार के सामने कितनी योजनायें प्रस्तुत की गयी हैं ; कितनी पर विचार किया गया है और कितनी एक ओर रख दी गई हैं ?

†**डा० द० स० राजू:** जुलाई १९६० में जनता के सामने रखी गई मास्टर प्लान में सब कुछ दिया है। माननीय सदस्यों ने इसका अध्ययन किया होगा। यह विशाल ग्रंथ है।

विद्युत् जनन

+

†*१२५८. **श्री डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विष्णु चन्द्र सेठ :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब यह समझा जाता है कि तीसरी योजना में निर्धारित विद्युत जनन के लक्ष्य में निश्चित रूप से काफी कमी रह जायेगी क्योंकि रूस से विद्युत यंत्र मिलने में काफी देर हो गई है ?

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी रहेगी ;

(ग) इसका किन विशेष परियोजनाओं पर प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) कमी दूर करने या न्यूनतम करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) इस बात की संभावना है कि कमी रहेगी, फिर भी उपकरण के संभरण की तिथियां बढ़ाने की दृष्टि से संभरण कर्ताओं के साथ अभी बातचीत हो रही है।

(ख) यह बातचीत के परिणाम पर निर्भर होगी। वर्तमान संकेतों के अनुसार, कुल १९ इकाइयों में से ५० मेगावाट प्रत्येक की दो से तीन इकाइयों तक का संभरण, चौथी योजना के पहले वर्ष तक चला जा सकता है।

(ग) उत्तर प्रदेश में सिंगरौली (ओब्रा) और बिहार में पथरातू।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) संभरण कर्ताओं के परामर्श से, यह देखने के लिये कि क्या समूचे उपकरण का संभरण शीघ्रतापूर्वक किया जा सकता है, प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : इस उपकरण के संभरण में विलंब होने के क्या कारण थे और बातचीत को अन्तिम रूप न दिये जाने में विलंब के लिये कौन सी बातें जिम्मेवार हैं ?

†**श्री अलगेशन** : यह मान लिया गया है और संभरण आदि के लिये कुछ तिथियां निश्चित की गई हैं । उन्हें यहां आना था और परियोजना सम्बन्धी रिपोर्टें आदि तैयार करने के लिये करारों पर हस्ताक्षर करने थे । इस मामले में अभी रूसी संभरणकर्ताओं के साथ बातचीत जारी है । हम केवल कुछ इकाइयों के सम्बन्ध में अपेक्षा करते हैं कि वे चौथी योजना के पहले वर्ष में आयेंगी ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : हम बातचीत पूर्ण होने से पहले कैसे उपकरण प्राप्त कर सकते हैं ने हम कैसे यह योजना बना सकते हैं कि हमें यह उपकरण प्राप्त होगा जब कि बातचीत अभी अन्तिम रूप से तय नहीं हो पाई है ?

†**श्री अलगेशन** : रूसी लोगों ने रूबील ऋण और रूस व्यापार करार के अधीन यह उपकरण देने की प्रतिज्ञा की है । जब वे मोटे तौर पर इससे सहमत हो जायेंगे उसके बाद यह ब्योरा तैयार किया जायेगा ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : रूस द्वारा किस विशिष्ट प्रकार का उपकरण या संयंत्र नहीं दिया गया है जिस के लिये संभरण कर्ताओं के साथ बातचीत उठी थी ? क्या यह उपकरण और कहीं उपलब्ध नहीं है ?

†**श्री अलगेशन** : हम अन्य साधनों से अन्य परियोजनाओं के लिये भी इन को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं । क्योंकि इस उपकरण की खरीद के लिये विदेशी मुद्रा की जरूरत है, हमें विदेशी ऋण के लिये विविध साधन ढूंढने पड़ेंगे ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या इस उपकरण के बेवक्त संभरण के अतिरिक्त अन्य कोई बात इस डर के लिये जिम्मेदार है कि तीसरी योजना में बिजली के उत्पादन में कमी रहेगी ? यदि हां, तो अन्य बात--कोयला उत्पादन आदि क्या है ?

†**श्री अलगेशन** : यह पूर्णतया रूसी संभरणकर्ताओं से संबंद्ध है । अन्य कोई बात इसमें अन्तर्ग्रस्त नहीं है ।

†**डा० क० ल० राव** : क्या कमी को मिटाने के लिये सरकार कुछ परियोजनाओं की पूर्णता की तिथियों को आगे बढ़ा रही है, जहां कहीं ऐसा करना संभव है, तभी हमें पहले लाभ प्राप्त हो सकें, उदाहरणार्थ यमुना, राणाप्रताप सागर, शेरावटी और पम्बा आदि परियोजनायें ?

†**श्री अलगेशन** : हम इस सुझाव पर विचार करेंगे ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि इस इकाई की प्राप्ति रूसी ऋण और व्यापार समझौते के साथ संबंधित है? यदि हां, तो क्या यह सच है कि इन व्यापार समझौते और रूसी ऋण के कारण ही, ये कार्यक्रम सन्तोषजनक तरीके से नहीं चल रहे हैं? क्या यह संभरण में विलम्ब होने का एक कारण है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री अलगेशन :** जी हां। मैंने बताया कि यह ऋण से पैदा होता है — रूबल ऋण जो हमें रूस से और व्यापार करार से मिला है। ये चीजें करार से उत्पन्न हैं ?

†**श्री हेम बरुआ :** दूसरा बहुत महत्वपूर्ण अंग है। क्या ये व्यापार करार और रूसी ऋण करार अच्छी तरह और संतोषजनक ढंग से नहीं चल रहे हैं और यह संभरण में होने वाले विलम्ब का एक कारण है ?

†**श्री अलगेशन :** नहीं।

†**श्री वारियरः** यदि रूस से यह उपकरण प्राप्त करने में विलम्ब है, तो सरकार हाइडल प्लांट क्यों नहीं अपनाती ?

†**श्री अलगेशन :** ये सब थर्मल संयंत्र हैं।

†**श्री भागवत झा आजाद :** क्या सरकार ने इस बारे में कोई अनुमान लगाया है कि यदि संभरण निश्चित तिथि तक करने में बातचीत असफल रहीं तो परिणाम क्या होगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह उत्तर दे चुके हैं कि वे अन्य साधनों को भी जुटा रहे हैं।

†**श्री भगवत झा आजाद :** क्या सरकार ने यह अनुमान लगाया है कि यदि यह बातचीत उस प्रकार सफल न हुई जिस प्रकार हम चाहते हैं, तो क्या परिणाम होगा ?

†**श्री अलगेशन :** मुख्य प्रश्न इसके सम्बन्ध में है। इन दो या तीन ५० मिगावाट वाली इकाइयां चौथी योजना के पहले वर्ष तक जा सकती हैं।

†**श्री महेश्वर नायक :** क्या मूल करार में संभरण के लिये किसी समय सीमा का विचार नहीं किया गया ? इस का हमारी तीसरी योजना से सम्बन्ध था। करार में मशीनरी के सम्भरण के लिये कोई समय सीमा क्यों नहीं रखी गई ?

†**श्री अलगेशन :** यह अपेक्षा की गई थी कि संभरण कार्य तीसरी योजना की समाप्ति तक पूरा हो जायेगा और अब हम अपेक्षा करते हैं कि यह चौथी योजना के पहले वर्ष तक चला जा सकता है। किन्तु प्रत्येक प्रयत्न किया जाता है। मामले के बारे में अभी बातचीत जारी है। रूसी आर्थिक सलाहकार भी इस काम के लिये मास्को गया है। अतः हम अपेक्षा करते हैं कि काम में शीघ्रता लाई जायेगी।

छोटे पैमाने के नमक व्यापारियों को माल डिब्बों का आवंटन

†*१२५९. **श्री याज्ञिक :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे मंत्रालय एक ही वस्तु—हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी, अन्य बड़े उत्पादकों और १० एकड़ तक के क्षेत्र में छोटे व्यापारियों द्वारा बिना लाइसेंस बनाये जाने वाले नमक—को भिन्न भिन्न प्राथमिकता देती है ;

(ख) पिछले छः महीनों में वीरमगांव—खरगोदा लाइन पर विभिन्न स्टेशनों पर छोटे पैमाने के नमक व्यापारियों को कितने माल डिब्बे आवंटित किये गये ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या पिछले कुछ महीनों में छोटे पैमाने के नमक व्यापारियों को वर्तमान साफ मौसम में बनाये गये नमक के बड़े भंडार के परिवहन के लिये कोई भी माल डिब्बा नहीं दिया गया; और

(घ) क्या अगले कुछ महीनों में छोटे पैमाने के व्यापारियों को अधिक माल-डिब्बे दिये जायेंगे ताकि वर्षा से पूर्व वे अपने नमक को नष्ट होने से बचा सकें ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) नमक आयुक्त द्वारा कार्यक्रमित तथा रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक क्षेत्रीय नमक के नाम से जाना जाने वाला नमक गैर-कार्यक्रमित या गैर-क्षेत्रीय नमक की तुलना में अधिक प्राथमिकता पर ढोया जाता है । इस विनियमन के अन्तर्गत रहते हुये अल्प स्तर निर्माताओं और बड़े पैमाने के निर्माताओं के बीच कोई भेद नहीं है; बाद वालों के पहले की अपेक्षा रेल संवहन के लिये कोई उच्च प्राथमिकता प्राप्त नहीं होती । गैर-कार्यक्रमित नमक के वहन के लिये की गई मांगों के अन्दर प्राथमिकता पंजीयन की तिथि के आधार पर निर्धारित की जाती है अर्थात् पहले आने वाले की सेवा पहले की जाती है ।

(ख) छोटे पैमाने के और बड़े पैमाने के निर्माताओं के बारे में नमक की ढुलाई के पृथक आंकड़े नहीं रखे जाते । ढुलाई संबंधी आंकड़े केवल क्षेत्रीय और गैर-क्षेत्रीय नमक के बारे में ही उपलब्ध हैं । १ दिसम्बर, १९६१ से २० मई, १९६२ के बीच की अवधि में, ६२६८ वैगन क्षेत्रीय नमक और १५२२ वैगन और क्षेत्रीय नमक विरामगाम—खाराघोडा लाइन पर खाराघोडा से लादे गये थे ।

(ग) भाग (ख) के उत्तर की दृष्टि से यह सवाल पैदा नहीं होता ।

(घ) क्षेत्रीय नमक की आवश्यकता पूरी करने के पश्चात् जो उच्च प्राथमिकता के अंतर्गत ढोया जाता है, गैर-मंडलीय नमक को मौनसून आरम्भ होने से पूर्व उपलब्ध वैगन संसाधनों के अन्दर ढोने का प्रत्येक प्रयत्न किया जाता है ।

†**श्री याज्ञिक** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नमक आयुक्त नमक कारखाना निगम का सभापति है, क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान नमक कारखाना द्वारा उत्पादित नमक को हमेशा छोटे और बड़े पैमाने के निर्माताओं द्वारा उत्पादित अन्य किस्मों के नमक की अपेक्षा कार्यक्रमित नमक के तौर पर उच्च प्राथमिकता मिलती है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : विभिन्न पक्षों को दैनिक अभ्यंश के आवंटन हमारे पास नहीं हैं, यह नमक आयुक्त के पास है । यदि मा० सदस्य अनुभव करते हैं कि कोई अन्तर या भेद है, तो उसे वह मामला वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के साथ उठाना चाहिये ।

†**श्री याज्ञिक** : क्या कार्यक्रमित नमक और गैर-कार्यक्रमित नमक के बीच कोई अनुपात निर्धारित किया जाता है ? उदाहरणार्थ, क्या यह बात है कि यदि कार्यक्रमित नमक के दो वैगन ढोये जाने दिये जाते हैं, तो गैर-कार्यक्रमित नकक का एक वैगन ढोने दिया जायगा ? जब तक कार्यक्रमित और गैर-कार्यक्रमित नमक के बीच कोई अनुपात निश्चित न किया जाए, स्पष्टतः हिन्दुस्तान कारखाने द्वारा उत्पादित सारा नमक ढोया जाएगा, जब कि गैर-कार्यक्रमित सारा नमक बिल्कुल नहीं उठाया जाएगा और उस नमक का उत्पादन करने वाले लोगों में बहुत दुख और बेकारी फैल जाएगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** क्षेत्रीय और गैर-क्षेत्रीय नमक के बीच कोई अनुपात निश्चित नहीं किया जाता । क्षेत्रीय नमक के लिये प्रतिदिन बहुत से वैगन का आवंटन संबद्ध पक्षों के लिये किया जाता है। जो कुछ बचता है वह विशिष्ट रेलवे के लिये निश्चित वस्तु अभ्यंश में से उठाया जाएगा। इस अभ्यंश के अतिरिक्त उपलब्ध होने पर कुछ वैगन भी गैर-क्षेत्रीय नमक के वहन के लिये दिये जाएंगे ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** इस विवरण में हम देखते हैं कि छोटे पैमाने के और बड़े पैमाने के निर्माताओं के बारे में नमक की ढुलाई के पृथक आंकड़े नहीं रखे जाते । क्या सरकार ने इस उद्देश्य के लिये कोई कार्रवाई की है कि छोटे निर्माताओं को हानि न उठानी पड़े और क्या वे उन को कोई अधिमान देंगे ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** यह समावेदन वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से किया जाना चाहिये, जिस के अधीन नमक आयुक्त कार्य करता है ।

†**श्री हेडा :** अब तक दिये गये वैगनों के अभ्यंश के अतिरिक्त, हिन्दुस्तान नमक संबंधी अभ्यंश की क्रियान्विति बड़े और छोटे गैर-सरकारी निर्माताओं के अभ्यंश की तुलना में कैसी है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** जैसा मैं ने पहले बताया, विभिन्न दलों को किये गये अभ्यंशों का आवंटन हमारे पास नहीं है । उन्होंने हिन्दुस्तान साल्ट को अन्यों की अपेक्षा अधिक दिया है । हमें यह पता नहीं कि वह क्यों और कैसे यह करता है ।

४२२ डाउन चक्रधरपुर-गोमोह पैसेंजर गाड़ी से ट्रक की टक्कर

†*१२६०. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २० मई, १९६२ को बिना व्यक्ति वाले एक लेवल क्रासिंग पर ४२२ डाउन चक्रधरपुर–गोमोह पैसेंजर गाड़ी की एक ट्रक से टक्कर हो गयी

) क्या एक व्यक्ति घटनास्थल पर ही मारा गया और कुछ अन्य सख्त घायल हुए;

(ग) जांच करने और चिकित्सा की व्यवस्था करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) क्या मारे गये व्यक्ति के परिवार और घायल व्यक्तियों के लिये भी अनुग्रहात सहायता मंजूर की गई है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी नहीं । किन्तु इस प्रकार की एक दुर्घटना १९–५–६२ को हुई थी।

(ख) कोई भी व्यक्ति तुरन्त नहीं मरा । तीन व्यक्ति घायल हुए जिन में एक को गहरी चोटें लगीं और वह बाद में अस्पताल जाते जाते मर गया।

(ग) एक सहायक अफसर संयुक्त जांच की गई है । गाड़ी के गार्ड ने प्रथमोपचार किया । दो घायल व्यक्ति गोमोह रेलवे हस्पताल ले जाए गए, जब कि तीसरा व्यक्ति स्वयं असैनिक अस्पताल धनबाद में दाखिल हो गया ।

(घ) जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** बहुत सी दुखद घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए, क्या सरकार ऐसे फाटकों को बन्द करने का विचार करती है जहां आदमी नहीं रखे जाते और यदि हां, तो कब तक ?

†**श्री शाहनवाज खां :** सरकार का इन फाटकों को हटाने का कोई विचार नहीं है ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या यह सच नहीं है कि प्रत्येक दुखद घटना के बाद जो जांच समितियां बनाई जाती हैं, वे दुर्घटना के संबंध में कुछ विशिष्ट कारणों को पहुंचती हैं और यदि हां, तो क्या सरकार उन निष्कर्षों की जांच करके कार्रवाई करती है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** जी हां । हम नियुक्त की गई प्रत्येक जांच समिति के प्रतिवेदन को पढ़ते हैं और बताये गये कारणों को हटाने या कम करने का प्रयत्न करते हैं।

†**श्री मुहम्मद ताहिर :** सरकार सभी फाटकों पर आदमी क्यों नहीं रखती ?

†**श्री शाहनवाज खां :** क्योंकि उन की संख्या बहुत अधिक होती है ।

श्री विभूति मिश्र : अक्सर इन लेविल क्रासिंग पर इस तरह के एक्सीडेंट हो जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस के लिए कोई ऐसा इन्तिजाम सोच रही है कि इस तरह के एक्सीडेंट न हों ?

श्री शाहनवाज खां : जी, वहां सरकार रेलवे ट्रेक के ऊपर बड़ा सा बोर्ड लगा देती है रेलवे इंजिन्स के लिए कि "व्हिसिल"। और सड़क के ऊपर रोड आथारिटी भी बोर्ड लगाती है कि आगे अनमैंड लेविल क्रासिंग है, होशियारी से चलो ।

परिवार नियोजन

†*१२६१. **श्री हेम बरुआ :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषत: ग्राम्य क्षेत्रों में परिवार नियोजन कार्यक्रमों को लोकप्रियता का पता लगाने के लिये कोई सरकारी व्यवस्था है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग इन कार्यक्रमों के विरुद्ध हैं ; और

(ग) यदि हां, तो परिवार नियोजन को अधिक प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने क्या विशेष उपाय किये हैं ?

†**स्वास्थ्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० द० स० राजू) :** (क) जी, हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सही है कि परिवार नियोजन के संबंध में किये गये क्षेत्रीय अध्ययन से विशेषकर दिल्ली और लखनऊ में, पता चला है कि केवल २८ प्रतिशत लोगों को गर्भनिरोध साधन मिलते हैं और उन में से केवल १४ % लोग उनका नियमित रूप से उपयोग करते हैं। यदि हां, तो क्या सरकार हाल ही में इंगलड में ईजाद हुई मौखिक गोलियां जारी करने का विचार करती है या डा० चन्द्र शेखर के

†मूल अंग्रेजी में

सुझाव को मानने का विचार करती है कि पुरुष का सर्जिकल वंध्यकरण करना चाहती है ?

†**डा० द० स० राजू**: मौखिक गोलियां बहुत संतोषजनक नहीं समझी जातीं ; वे बहुत अच्छे परिणाम नहीं देतीं । दूसरी बात यह है कि पुरुष को बंध्यीकरण करने की वह स्वेच्छा का मामला है ; और लोगों के ऊपर छोड़ दिया गया है । यह अनिवार्य उपाय नहीं है ।

†**श्री हेम बरुआ**: इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि परिवार नियोजन के कार्यक्रम हम लोगों में बहुत लोकप्रिय नहीं हैं, क्या सरकार ने लोगों के ध्यान में देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के परिणामों को लाने के लिये और उन के मनोविज्ञान को इस प्रकार पुनर्वास करने की आवश्यकता की ओर दिलाने के लिये, ताकि वे गर्भ निरोधक साधनों को अपनायें या परिवार नियोजन के कार्यक्रम को अपना लें, कोई आन्दोलन चलाया है ?

†**डा० द० स० राजू**: मैं माननीय सदस्य के वक्तव्य से सहमत नहीं हूं । परिवार नियोजन कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय हो रहा है । उदाहरणार्थ मैं बता सकता हूं कि हाल ही में सतारा में लगे एक शिविर में लगभग एक सप्ताह की अल्पावधि में १४०० बंध्यीकरण अप्रेशन किये गये हैं। यदि कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय न हुआ होता तो, ऐसा न हुआ होता।

†**श्री नाथ पाई**: किस राज्य ने इस दिशा में अधिकतम कार्य किया है और सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त किये हैं ?

†**श्री त्यागी**: पिछली बार यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक डाक्टर को इस अप्रेशन के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसका उल्लेख किया गया है, और यह अप्रेशन हर किसी व्यक्ति को निःशुल्क दिया जाएगा । क्या यह प्रथा अब भी प्रचलित है ?

†**डा० द० स० राजू**: जी हां, यह अभी प्रचलित है ।

डा० गोविन्द दास: परिवार नियोजन के ऊपर अब तक सरकार का कितना खर्च हुआ है और परिवार नियोजन के पहले इस देश की जनसंख्या जिस प्रकार बढ़ रही थी उस में क्या कोई फर्क पड़ा है ?

अध्यक्ष महोदय: अभी कुछ देर इंतजार कीजिये ।

†**श्री दी० चं० शर्मा**: क्या यह सच नहीं है कि कुछ राज्य सरकारें उन लोगों को प्रोत्साहन दे रही हैं जो अप्रेशन करवाते हैं और क्या केन्द्रीय सरकार भी यही करने वाली है ?

†**डा० द० स० राजू**: जी हां, केन्द्रीय सरकार इन बंध्यीकरण अप्रेशनों के लिये शत प्रति शत सहायता देती है और गर्भ निरोधक सामग्री निशुल्क दी जाती है ।

†**श्री बसुमतारी**: क्या यह सच है कि परिवार नियोजन केवल नागरिक क्षेत्रों तक सीमित है और गांवों में नहीं ? यदि हां, तो गांवों तक इस को ले जाने के लिये क्या कार्रवाई की गई है ?

†**डा० द० स० राजू**: यह सही नहीं है कि परिवार नियोजन केवल नगरीय क्षेत्रों तक सीमित है। ४२०० परिवार नियोजन केन्द्रों में से, जो स्थापित किये गये हैं, १००० नागरिक क्षेत्रों में और ३००० ग्राम्य क्षेत्रों में हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सही है कि सरकार मदन तरंग प्रणाली को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न कर रही है और यदि हां, तो क्या सरकार का ध्यान इस आशय के बयान की ओर दिलाया गया है कि मदन तरंग प्रणाली एक अत्याचार है क्योंकि यह पुरुष को प्राकृतिक भावना को रोकती है जो एक महिला सदस्य ने ब्रिटेन के हाउस में कामन्स में दिया था ?

†**डा० द० स० राजू** : इस दृष्टिकोण से ये सब उपाय स्वाभाविक भावनाओं के लिये रुकावट हैं ।

†**श्री हेडा** : क्या सरकार का ध्यान दो बातों की ओर आकर्षित किया गया है, अर्थात् जहां तक गर्भ निरोधक सामग्री के संभरण का संबंध है, विशेष कर गांवों में, यह अपर्याप्त है और दूसरे ग्रुप प्रक्रम भी इतना अच्छा नहीं है ?

†**डा० द० स० राजू** : जब तक हम भारत में इनका निर्यात नहीं करते यह अपर्याप्त रहेगा । ग्रुप प्रक्रम भी बहुत अच्छा नहीं है ।

†**श्री खाडिलकर** : क्या सरकार का ध्यान मौखिक गर्भ निरोधक सामग्री की ओर दिलाया गया है, जिस का ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है और क्या सरकार ने भारत में उसका प्रयोग किया है ?

†**डा० द० स० राजू** : जहां तक गर्भनिरोधक सामग्री का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि ब्रिटेन में **रबड़ शीथ** बहुत लोकप्रिय है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

खाद्य उत्पादन

१२५०. श्री रामेश्वरानन्द : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह जानने के लिये कोई कार्यवाही की है कि कृषकों को अधिक अन्नोत्पादन में क्या कठिनाइयां हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख). संविधान के अन्तर्गत 'कृषि' का सम्बन्ध राज्य सरकारों से है और विभिन्न कृषि कार्यक्रमों को क्रियान्वित कराने का कार्य राज्य सरकारों का है, जो कि किसानों से अपना सीधा सम्बन्ध बनाये रखती हैं। केन्द्र केवल एक समन्वय करने वाली सत्ता है । व्यापक रूप में देखने पर अधिक खाद्यान्न उत्पादन में किसानों द्वारा आमतौर पर अनुभव होने वाली कुछ मुख्य कठिनाइयां निम्नलिखित हैं :—

(१) ऋण सुविधाओं की कमी ।

(२) अपर्याप्त सिंचाई-सुविधायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) उत्पादन की अपेक्षित वस्तुओं जैसे उर्वरक, कीटनाशी दवा, बीज और औजार इत्यादि की कमी और असमय पर उनकी उपलब्धि ।

(४) उन्नत कृषि विधियों के बारे में ज्ञान की कमी ।

इन कठिनाईयों की समाप्ति करने के लिये पंचवर्षीय योजनाओं क अन्तर्गत आवश्यक कदम उठान का अयोजन किया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं होता ।

रेलवे के बुकिंग क्लर्कों द्वारा दशमिक सिक्का प्रणाली का दुरुपयोग

†*१२५५. **श्री जेधे :**
श्री प० ला० बारुपाल :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ५ नये पैसे की भिन्न के मूल्य वाले रेलवे टिकटों के लिये यात्रियों से पूरे ५ नये पैसे लिये जाते हैं क्योंकि बुकिंग-क्लर्कों के पास एक या दो नये पैसे के छोटे सिक्के नहीं होते और इस प्रकार वे टिकट पर छपे मूल्य से अधिक मूल्य लेते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार किराया निर्धारित करने में ५ नये पैसे की भिन्न को समाप्त करने के प्रश्न पर विचार कर रही है, जैसा कि दिल्ली परिवहन उपक्रम ने किया है ; और

(ग) यदि प्रश्न के उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) और (ग). १ जुलाई १९६२ से यात्री भाड़ों की अधिसूचना ५ नये पैसों में होगी, केवल कुछ तीसरी श्रेणी के अल्प दूरी के भाड़ों को छोड़कर जहां अधिक वृद्धि को रोकने के लिये ५ नये पैसों में भाड़े नहीं रखे गये हैं ।

तटवर्ती जहाजों की रफ्तार

†*१२६२. **श्री वारियर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में तटवर्ती जहाजों की अधिकतम रफ्तार केवल ११ 'नौट' (नावीय मील) है ;

(ख) क्या खरीदे जाने वाले नये जहाजों की भी यही रफ्तार है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने नौवहन सार्थों को तेज रफ्तार वाले जहाज खरीदने के निदेश देने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी नहीं। हमारे तटीय जहाजों की गति ७ नौटों से १७ नौटों तक है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). जहाजों की कितनी गति रखनी चाहिये यह नौवहन समवायों द्वारा निधि का विषय है, व्यापार की किस्म, संचालन के लाभ और हानी, मार्ग में आने वाले पत्तनों आदि का ध्यान रखते हुए। तथापि अनुभव से यह पता चला है कि ९१/२ से १० १/२ नौटों तक की औसत गति वाले जहाज भारतीय तटीय व्यापार की आवश्यकताओं की पर्याप्त पूर्ति करते हैं।

नौ परिवहन के लिये गंगा नदी को गहरा करना

†*१२६३. **श्री विश्राम प्रसाद** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौपरिवहन के लिये पश्चिम बंगाल से ले कर इलाहाबाद तक गंगा नदी को गहरा करने की सरकार की कोई प्रस्थापना है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस काम को कब हाथ में लेने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय मे नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

पश्चिम कोसी नहर

†*१२६४. **श्री प्रिय गप्त :**
श्री योगेन्द्र झा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम कोसी नहर के निर्माण का काम शुरु किया जा चुका था।

(ख) क्या यह भी सच है कि इस नहर के निर्माण कार्य के लिये टेंडर मांगे गय थे ;

(ग) क्या यह भी सच है कि नेपाल में हो रहे आन्दोलन के कारण, इस नहर के निर्माण कार्य में विलम्ब हो गया है ; और

(घ) यदि हां, तो काम को शीघ्र करने के लिये सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार करती है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ग). जी, हां।

(घ) नेपाल के राज्य क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने मांग की है कि नहर के वर्तमान बंध को उधर की उधर आगे किया जाए ताकि अधिक क्षेत्र घेरा जाए। कोसी परियोजना के प्राधिकारी नेपाल सरकार सम्बंद्ध अधिकारियों के परामर्श के साथ इस मामले को निपटाने के लिये प्रत्येक प्रयत्न कर रहे हैं।

स्टील कन्वर्टर का निर्माण

†*१२६५. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अजमेर कारखाने में एक नये किस्म के 'स्टील कनवर्टर' का पूर्णरूपेण निर्माण किया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इस का काम संतोषजनक रहा है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) एक इस्पात परिवर्तक आयोजन कारखाने द्वारा १९६३ से अजमेर के गाड़ी तथा माल डिब्बे कारखाने में इस्पात फाउंडरी में उपयोग के लिये बनाया गया था। इसी प्रकार का एक और परिवर्तक, जिसमें कुछ सुधार किये गये हैं, अभी हाल में ही पूर्णतः अजमेर करारखाने में बनाया गया है और इस वर्ष के प्रारम्भ में चालू किया गया है ।

(ख) नवीन-परिवर्तक संतोषजनक काम कर रहा है ।

प्रसंकर मक्का के बीज[1]

†१२६६. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी सरकारी अभिकरण द्वारा प्रसंकर मक्का के बीज तैयार करने का कोई सस्ता और सरल तरीका निकालने का कोई प्रयत्न किया गया हैं, जिसे किसान आसानी से सीख सकें और समूचा काम अपने निजी खेतों में कर सकें;

(ख) यदि हां, तो किसानों में इस तरीके को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि बीज खेतों के स्तर पर पैदा नहीं किया जा सकता, तो सरकार द्वारा इस की अत्यधिक कमी को दूर करने तथा इस की सुगमता पूर्वक तथा उचित कम दामों पर उपलब्धि करवाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) प्रसंकर मक्का उत्पादन के प्रसिद्ध माने हुए तरीके का, किसानों की सहकारी संस्थाएं स्थापित करके बड़े इकट्ठे खंडों में प्रयोग किया जाता है। अकेले किसानों के खेतों में उत्पादन संभव नहीं है मक्का की प्रसंकर खेती के कारण।

(ख) बीज उत्पादकों की सहायता के लिये निम्न कार्य किये गये हैं:—

(१) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा रौक फैलर फांउंडेशन से, जो कि मक्का कार्यक्रम में सहयोग दे रहा है, विशेषज्ञ ज्ञान और साहित्य इस कार्य में प्रविष्ट होने के लिये किसानों को दिया जा रहा है।

(२) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के सीधे तत्वावधान में उत्पादित नींव का बीज किसानों को दुहरा प्रसंकर मक्का उत्पादन के लिये किया जाता है।

(ग) भारत सरकार ने राष्ट्रीय बीज निगम स्थापित करने का फैसला कर लिया है, जो तीसरी योजना अवधि में कुल मक्का भूमि के ५५ प्रतिशत को पूरा करने के लिये प्रसंकर मक्का बीज उत्पादन करेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Hy brid maize seed

अन्तर्राष्ट्रीय टेलक्स सेवा

†*१२६७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में ही भारत तथा इजरायल के बीच अन्तर्राष्ट्रीय टेलैक्स सेवा चालू कर दी गई है; और

(ख) यदि हां तो उसकी लागत क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) जी हां, १४ मई, १९६२ से।

(ख) कोई अतिरिक्त व्यय नहीं किया गया, क्योंकि सेवा की व्यवस्था लन्दन से इजराइल तक वर्तमान सीधे टेलेक्स संबंध को बढ़ा कर की गई है।

सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली

†*१२६८. **श्री शिवचरण गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, फरवरी, मार्च तथा अप्रैल, १९६२ में सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के फिजियोथिरेपी यूनिट में प्रतिदिन औसतन कितने रोगियों की चिकित्सा की जा रही है;

(ख) क्या रोगियों की संख्या बढ़ रही है ;

(ग) फिजियोथिरेपी यूनिट में कितने कर्मचारी हैं;

(घ) क्या सरकार समझती है कि रोगियों की संख्या को देखते हुए कर्मचारी पर्याप्त संख्या में हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार का विचार यूनिट में चिकित्सा कराने की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाने का है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)**:

(क) जनवरी १९६२— ८३

फरवरी „ —११३
मार्च „ —१२३
अप्रैल „ —१४७

(ख) जी हां।

(ग) तीन ।

(घ) और (ङ) कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का प्रश्न विचाराधीन है।

दुधारू पशुओं का निर्यात

†*१२६९. **श्री याज्ञिक** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कि:

(क) गत तीन वर्षों में भारत से कितने दुधारू पशुओं (गाय तथा भैंस) का निर्यात किया गया; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन मूल्यवान दुधारू पशुओं के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

†**खाद्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) जून, १९५९ से मई १९६२ तक तीन वर्षों में ५७२ दुधारू पशू (७१ गायें और ५११ बछिया) और ५४ भैंसें (५० गाये और ४) भारत से निर्यात किये गये। इसी अवधि में ५३ बछड़े भी निर्यात किये गये।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

विदेशों को पशुओं का निर्यात केवल नस्ल पैदा करने या खेती के लिए, बहुत सीमित मात्रा में, करने की अनुमति दी गयी है। दूसरे देशों के प्रति सद्भावना के तौर पर या विदेशी खरीदारों द्वारा दिये गये लाभदायक मूल्यों के कारण नस्ल पैदा करने वालों को प्रोत्साहन प्राप्त होने के कारण ये निर्यात करने की अनुमति दी गयी है।

२. साहीवाल, थारपारकर और लाल सिन्धी किस्म के पशुओं का जो विभाजन के बाद देश में नहीं रहे, निर्यात करने की अनुमति नवम्बर, १९६० से नहीं दी गयी है। लेकिन इसमें कुछ विशेष परिस्थितियां अपवाद रूप हैं ।

३. केन्द्रय गोसंवर्धन परिषद् के अध्यक्ष ने अभी हाल में सिफारिश की है कि ओंगोले, गिर, कंकरेज और हरियाना किस्म के पशुओं का निर्यात भी इसी ढंग से सीमित किया जाना चाहिये। सरकार इस सिफारिश पर विचार कर रही है।

केरल में कन्द-मूल फसल अनुसंधान केन्द्र

†*१२७०. **श्री प्र० चं० बरूआ :**
श्री मे० क० कुमारन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में पूर्णांग केन्द्रीय कन्दमूल फसल अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने की योजना को स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की क्या लागत है ;

(ग) संस्था की स्थापना के लिये कौन सा स्थान चुना गया है ; और

(घ) योजना की रूपरेखा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख) कन्दमूल फसल के जोरदार अनुसंधान की एक व्यापक योजना जिसकी कुल लागत २५ लाख रुपया होगी, तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गयी है। इसके अधीन, केरल (त्रिवेन्द्रम) में एक केन्द्रीय स्टेशन और (१) बिहार (२) पंजाब, (३) उत्तर प्रदेश (४) मैसूर और (५) उड़ीसा में पांच प्रादेशिक उपकेन्द्र स्थापित करने का विचार है।

(ग) केन्द्रीय कंदमूल फसल अनुसंधान केन्द्र के लिये जो जगह चुनी गयी है वह त्रिवेन्द्रम जिले के चेरूविक्कूल गांव में श्री कार्यमा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) टैपीओका तथा अन्य कंदमूल फसलों (जैसे कोलोरेशिया, अलोरेशिया, डिस्कोरिया आदि) के सुधार के सभी पहलुओं पर विचार करना। इसमें अच्छी किस्मों का बढ़ाना भी। शामिल है और कृषि संबंधी सर्वोतकृष्ट प्रथाओं तथा कीड़े और रोगों के नियंत्रण के तरीके भी ढूंढे जायेंगे। इस योजना में उन उन राज्यों में और अधिक वृद्धि के लिये समुन्नत किस्मों का स्टाक भी तैयार किया जायगा।

उत्तर रेलवे में नियुक्त आकस्मिक मजदूर

†२४१३. **श्री कर्णीसिंह जी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन पदों के लिये नियमित रूप से नियुक्ति करना आवश्यक होता है, क्या उनके लिये भी आकस्मिक मजदूर रखने की कोई स्थायी पद्धति है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में निम्नलिखित ब्यौरे सभा पटल पर रखे जायेंगे ;

(१) १९६१–६२ में उत्तर रेलवे के प्रत्येक डिविजन में नियुक्त किये गये आकस्मिक मजदूरों की संख्या, जिलेवार उनके आंकड़ों सहित ;

(२) आकस्मिक मजदूरों को सामान्यतः दिये जाने वाले काम का प्रकार;

(३) क्या आकस्मिक मजदूरों के लिये निर्धारित किसी पद को स्थायी पद के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है ;

(४) आकस्मिक तौर पर नियुक्त किये गये उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें स्थायी प्रकार का काम दिया जाता है और जिलेवार उनकी संख्या ;

(५) आकस्मिक तौर पर नियुक्त किये गये उन व्यक्तियों की संख्या जो निरंतर अपने पदों पर काम कर रहे हैं और जिनकी नियुक्ति हर चौथे महिने एक या अधिक दिन के लिये समाप्त कर दी जाती है, और जिलेवार उनकी संख्या ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उपन्न नहीं होता।

केरल में पेरियर बांध

†२४१४. **श्री मे० क० कुमारन् :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल सरकार से केरल के ६७ वर्ष पुराने पेरियर बांध की खतरनाक स्थिति के बारे में कोई सूचना प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

टैपीओका उत्पादन

†२४१५. **श्री मे० क० कुमारन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टैपीओका का उत्पादन अभी हाल के वर्षों में काफी घट गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कितना ; और

(ग) उसके कारण क्या हैं ?

†**खाद्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) जी नहीं। टैपीओका का उत्पादन बढ़ गया है। १९५६–५७ से १९६०–६१ तक टैपीओका का उत्पादन दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७६]**

(ख) और (ग), प्रश्न उपन्न नहीं होते।

दक्षिण में यात्रा सुविधाएं

†२४१६. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरलीय केंद्र संघटना बृहत्तर बम्बई से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें दक्षिण को और खासकर केरल में जाने के लिये रेल यात्रा सुविधाओं में सुधार करने की प्रार्थना की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं ; और

(ग) क्या उसपर कोई कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) से (ग). केरलीय केन्द्र संघटना बम्बई से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें निम्नलिखित मुख्य मांगें प्रस्तुत की गयी हैं :—

(१) बम्बई और कोचीन के बीच साप्ताहिक जनता एक्सप्रेस गाड़ियां चलाना, जिनमें मंगलौर के लिये स्पेशल डिब्बे हों ;

(२) जनता हालिडे स्पेशल्स एक्सप्रेस और मेल गाड़ियों में तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिये स्लीपिंग बर्थों की व्यवस्था ;

(३) विक्टोरिया टरमिनस और पूना, कोचीन बन्दरगाह टरमिनस और ओलावकोट और मंगलौर और कालीकट के बीच जिन स्टेशनों पर एक्सप्रेस गाड़ियां रुकती हैं उन सभी स्टेशनों से टिकटें रिजर्व कराने की सुविधाओं की व्यवस्था करना;

(४) वैकेशन स्पेशल गाड़ियों में सफर करने वाले यात्रियों को जो कठिनाइयां, खासकर भोजन, पंखा और रोशनी की व्यवस्था है और देर कम करने के संबंध में होती हैं, उन्हें दूर करना ;

(५) प्रादेशिक रेलवे उपभोक्ता परामर्शदात्र समितियों में मलयाली संगठनों का नाम-निर्देशन ।

इन मांगों की छानबीन की जा चुकी है और सारी स्थिति केरलीय केन्द्र संघटना, बम्बई के अवैतनिक जनरल सेक्रेटरी के नाम ३०–५–१९६२ को भेजे गये एक पत्र द्वारा उसे बता दी गयी है।

रूपड़-नंगल बांध सेक्शन में यात्री सुविधाएं

†२४१७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे में रूपड़-नंगल बांध सेक्शन में यात्री सुविधाओं की व्यवस्था के लिये आधी आधी रकम खर्च करने के बाबत पंजाब सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच एक समझौता १९६८ तक है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सच है कि भाखड़ा बांध अब पूरा होने वाला है और पंजाब सरकार इस सेक्शन में यात्री सुविधाओं पर कोई रकम खर्च करना नहीं चाहती ; और

(ग) यदि हां, तो इस सेक्शन में यात्री सुविधाएं देने के लिये क्या कदम उठाने का सरकार का विचार है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) उत्तर रेलवे का रूपड़-नंगल बांध सेक्शन इस आधार पर बनाया गया है और चलाया जा रहा है कि उसके खर्च में कुछ हिस्सा दिया जाय, न कि इस आधार पर कि उसका खर्च आधा-आधा बांट दिया जाये । यात्री सुविधाओं की व्यवस्था का खर्च उसी करार की शर्तों के अनुसार बांटा जाता है ।

(ख) जी हां ।

(ग) इस विषय की छानबीन की जा रही है ।

उर्वरकों के लिये उड़ीसा की मांग

†२४१८. **श्री उलाका :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६०, १९६०-६१ और १९६१-६२ में उर्वरकों की सप्लाई के लिये उड़ीसा सरकार की वार्षिक मांग कितनी रही ;

(ख) उपर्युक्त अवधि के लिये कितनी मात्रा नियत की गयी थी और कितनी मात्रा दी गयी ;

(ग) १९६२-६३ के लिये कितनी मांग है ; और

(घ) क्या यह मांग रूरकेला के उर्वरक कारखाने से, जहां चालू वर्ष में उत्पादन आरम्भ होने वाला है, पूरी की जा सकती है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७७**]

टीकमगढ़ से जतारा तक टेलीफोन लाइन

२४१९. **श्री माते :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टीकमगढ़ से जतारा वाली टेलीफोन एवं तार की लाइन लगभग पिछले ६ मास से खराब पड़ी है और लाइन के खम्भे नीचे गिरे पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त आवश्यक कार्य की मरम्मत करने में देर क्यों की जा रही है ; और

(ग) यह काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

परिवहन तथा संचार मन्त्री (श्री जगजीवन राम): (क) टीकमगढ़ और जतारा के बीच एक फोन-तार परिपथ अर्थात् तारों को टेलीफोन पर भेजने का एक परिपथ है । यह परिपथ पिछले एक साल से कुछ ठीक काम नहीं कर रहा है और पिछले दो महीने से उसमें गड़बड़ी चल रही है ।

(ख) सामान की भारी कमी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जब तक कि परिपथ को पूरी तरह से बनाने के लिये सामान प्राप्त हो उसे अस्थायी रूप से तुरन्त ही फिर से चालू करने के अनुदेश जारी कर दिये गये हैं। संबंधित कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा रही है।

निवाड़ी में टेलीफोन सुविधायें

२४२०. **श्री माते :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तहसील निवाड़ी जिला टीकमगढ़ की जनता ने वहां पर टेलीफोन की व्यवस्था के लिये सरकार को कोई पत्र लिखा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा संचार मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). निवाड़ी में एक सार्वजनिक टेलीफोन पर १ जनवरी, १९६१ से ही कार्य कर रहा है।

निवाड़ी (मध्य प्रदेश) में यात्री सुविधायें

२४२१. **श्री माते :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में निवाड़ी रेलवे स्टेशन (मध्य रेलवे) पर ऊंचे प्लेटफार्म नहीं हैं और न प्रथम व द्वितीय श्रेणी का प्रतीक्षालय तथा गुड्स शैड हैं ; और

(ख) यदि हां, तो जिले का एकमात्र स्टेशन होने के साथ-साथ व्यापारिक केन्द्र होने के कारण क्या सरकार वहां पर उपरोक्त सुविधाओं की व्यवस्था करेगी ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) और (ख). निवाड़ी एक छोटा स्टेशन है और यहां दरमियानी ऊंचाई का एक प्लेटफार्म पहले से मौजूद है । इस स्टेशन पर ऊंचे दर्जे के यात्री-यातायात को देखते हुए ऊंचे दर्जे का एक अलग प्रतीक्षालय बनान का कोई औचित्य नहीं है । माल की लदाई के लिएएक प्लेटफार्म और माल व पार्सल यातायात के लिए एक कमरा बनाने के सवाल पर विचार किया जा रहा है।

सड़क निर्माण की नयी प्रणाली

†२४२२. **श्री ललित सेन :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय भवन निर्माण अनुसन्धान प्रयोगशाला तथा भारतीय सड़क अनुसन्धान शाला ने सड़क बनाने की एक ऐसी नयी प्रणाली निकाली है जो वर्तमान प्रणालियों और तरीकों से कहीं अधिक सस्ती है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस प्रणाली को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है और उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस नयी प्रणाली का उपयोग करने का सरकार का विचार है और यदि हां, तो सड़क निर्माण के लिए रखे जाने वाले मजदूरों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) क्या यह सच है कि पहाड़ियों में सड़कें बनाने के लिए इस नयी प्रणाली का विशेष उपयोग हो सकता है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

देश की अनेक सड़क अनुसन्धान शालायें समय समय पर सड़क निर्माण की नयी प्रयोगात्मक प्रणालियों का सुझाव देती रहती हैं। अनुमान है कि उन्हें लागू करने पर बचत होगी। फिर भी इस दशा में विभिन्न प्रयोगात्मक प्रणालियों से होने वाली बचत या उनके अन्य लाभों का अनुमान लगाना संभव नहीं है । निम्नलिखित क्षेत्रों में उन नयी प्रणालियों का प्रयोग करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

२. नयी प्रणालियों की उपयुक्तता मालूम करने और यह निर्धारित करने के लिये कि उनका कहां प्रयोग किया जाना चाहिये, एक केन्द्रीय निर्धारण समिति कायम की गयी है । जहां कहीं शिल्पिक और आर्थिक दृष्टि से उचित हो, वहां उन प्रणालियों को काम में लाने के लिये राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई है प्रयोगों पर अतिरिक्त व्यय या हानि को पूरा करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने "रिस्क फंड" के तौर पर ७५ लाख रुपये की रकम अलग रखी है । कुछ राज्य सरकारों को कुछ नयी प्रणालियों की प्रारंभिक लागत के ५० प्रतिशत के बराबर सहायक अनुदान भी दिये गये हैं।

भारत में पारेषण[1] क्षति

†२४२३. **श्री कृ० चं० पन्त** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (१) अमरीका (२) रूस (३) पश्चिम जर्मनी (४) जापान और (५) फ्रांस की दरों की तुलना में भारत में पारेषण क्षति की दरें कम हैं या ज्यादा ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन)** : उपर्युक्त विदेशों और भारत में पारेषण क्षति की प्रतिशतता इस प्रकार है :

	प्रतिशत
भारत	३.६
अमरीका	८.८
रूस	१२.४
पश्चिम जर्मनी	७.७
जापान	१२.७
फ्रांस	१०.०

†मूल अंग्रेजी में

[1]Transmission Losses.

उड़ीसा को केन्द्रीय सहायता

†२४२४. **श्री उलाका :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में उड़ीसा में मछलीपालन के विकास और पशुपालन तथा दूध सप्लाई के कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिये कितनी रकम का अनुदान उड़ीसा सरकार को दिया ;

(ख) प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक योजना पर वास्तव में कितनी रकम खर्च की गयी ; और

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में उपर्युक्त योजनाओं के लिये कितनी रकम नियत की गयी है ?

†**खाद्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस):** (क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में पशु-पालन, दुग्धशाला और मछली पालन कार्यक्रमों के लिये उड़ीसा सरकार को ५०.७ लाख रुपये का अनुदान दिया गया था ।

(ख) प्रत्येक वर्ष में इन कार्यक्रमों पर राज्य सरकार ने जो खर्च किया वह इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

विकास का वर्ष	१९५६–५७	१९५७–५८	१९५८–५९	१९५९–६०	१९६०–६१	कुल १९५६–६१
१. पशु पालन	११	३२	३२	३३	४१	१५५
२. दुग्धशाला और दूध सप्लाई	१	१	३	१		
३. मछली पालन	११	१४	२१	१८	१३	७७
कुल	२३	४७	५६	५२	५४	२३२

(ग) उड़ीसा की तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत खर्च इस प्रकार है :—

(लाख रुपये में)

१. पशुपालन	२२८
२. दुग्धशाला और दूध सप्लाई	४४
३. मछली पालन	१९०
कुल	४६२

उड़ीसा में गन्ने की खेती

†२४२५. **श्री उलाका :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने १९५९ से मार्च, १९६२ तक की अवधि के दौरान उड़ीसा राज्य में गन्ने की खेती के विकास के लिये उड़ीसा को कोई वित्तीय सहायता दी है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त अवधि में प्रत्येक वर्ष में कितनी कितनी सहायता दी गयी ?

†**खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) जी हां।

(ख) १९५९ से मार्च १९६२ तक राज्य सरकार की गन्ना विकास योजना के लिये उसे जितनी सहायता दी गयी वह इस प्रकार है :—

वर्ष	(लाख रुपये में)
१९५९–६०	०.२८
१९६०–६१	०.२३
१९६१–६२	०.२१ (अनुमानित)

प्रादेशिक मुर्गी पालन फार्म, उड़ीसा

†२४२६. **श्री उलाका** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१–६२ में उड़ीसा के प्रादेशिक मुर्गीपालन फार्म में कितने अंडे पैदा किये गये ;

(ख) क्या इस फार्म में अंडों का उत्पादन १९६०–६१ में कुल उत्पादन की तुलना में कम होता हुआ दिखायी पड़ा है ;

(ग) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ;

(घ) इस फार्म ने १९६१–६२ में कितनी मुर्गियां बांटी ; और

(ङ) १९६०–६१ में विवरण की तुलना में वह कम है या अधिक ?

†**खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) और (ख). प्रादेशिक मुर्गीपालन फार्म, भुबनेश्वर (उड़ीसा) ने १९६०–६१ में ५२,५५१ अंडों के मुकाबले में १९६१–६२ में ८८,८५३ अंडे पैदा किये।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) १९६०–६१ में १४,२२६ मर्गियों के वितरण की तुलना में १९६१–६२ में ९,०८१ मुर्गियां फार्म ने वितरित कीं। कमी का कारण यह था कि पड़ोसी राज्यों से मांग कम आयी।

उड़ीसा में वन विकास कार्यक्रम

†२४२७. **श्री उलाका** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में उड़ीसा में वन विकास कार्यक्रमों के लिये उड़ीसा सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी है ;

(ख) प्रत्येक योजना के अधीन खर्च की गयी रकम का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि रखी गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)**: (क) दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में वन विकास कार्यक्रम के लिये उड़ीसा सरकार को केन्द्रीय सरकार की ओर से दी गयी वित्तीय सहायता इस प्रकार है :—

वर्ष	ऋण	अनुदान	कुल
			(लाख रुपयों में)
१९५६–५७	२.३८०	०.४५५	२.८३५
१९५७–५८	४.०४०	०.७१७	४.७५७
१९५८–५९	६.७६०	८.३८०	१५.१४०
१९५९–६०	५.५२०	९.७३०	१५.२५०
१९६०–६१	६.१२०	६.३१०	१२.४३०
	२४.८२०	२५.५९२	५०.४१२

१९५८–५९, १९५९–६०, और १९६०–६१ के आंकड़ों में वनों और भूमि संरक्षण के लिये रखी गयी रकमें शामिल हैं। १९५८–५९ से लागू की गयी संशोधित वित्तीय प्रक्रिया के अनुसार वन और भूमि संरक्षण के लिये एक ही इकट्ठी रकम के रूप में अदायगी की मंजूरी जारी की जाती है।

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) १६० लाख रुपया, जिसमें राज्य का हिस्सा शामिल है।

उड़ीसा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

†२४२८. **श्री उलाका** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में उड़ीसा में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे ;

(ख) इस कार्य के लिये कितना धन आवंटित किया गया है ; और

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में केन्द्रीय सरकार द्वारा उड़ीसा को कितनी वित्तीय सहायता दी गयी ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) १९६।

(ख) १०३ लाख रुपये।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में प्रथम प्रावस्था खंडों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने की योजना के अन्तर्गत प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को इमारतों पर अनावर्ती व्यय का ६०,००० रुपये से अधिकतम ६७,५०० रुपये तक अथवा वास्तविक व्यय का ७५ प्रतिशत जो भी कम हो, (परिवार नियोजन रुजालय के लिये उपयुक्त स्थान समेत केन्द्र के लिये तथा कर्मचारियों के लिये रिहायशी क्वार्टरों के लिये) और उपकरण, फर्नीचर, बिस्तर और कपड़ों के लिये ७,५०० रुपये मिलता था। आवर्ती व्यय के लिये केन्द्रीय सरकार प्रत्येक केन्द्र को औषधि के लिये २,००० रुपये प्रति वर्ष और कर्मचारियों पर व्यय के लिये ६,५०० रुपये प्रति वर्ष तक देती थी—

†मूल अंग्रेजी में

बाकी धन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दिया जाता था। केन्द्रीय सहायता में स्वास्थ्य मंत्रालय और सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय का योग था और स्वास्थ्य मंत्रालय का अंश सीमित था, अर्थात् ५२,५०० रुपये अथवा इमारत पर कुल व्यय का २१/३२ वां भाग (जो भी कम हो)।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में ३१-३-१९५८ तक राष्ट्रीय विस्तार खंडों में खोले गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना और उनके बनाये रखने के लिये व्यय पर स्वास्थ्य मंत्रालय के अंश के रूप में उड़ीसा सरकार को १,७८,००० रुपये का सहाय्य अनुदान मंजूर किया गया और १ अप्रैल, १९५८ से स्वास्थ्य मंत्रालय के अंश के सहाय्य अनुदान की राशि सीधे उड़ीसा के महालेखापाल द्वारा दी जा रही है। सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय द्वारा इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये केन्द्रीय सहायता त्रैमासिक व्यय विवरण द्वारा खंड आयव्ययकों से ली जाती थी।

मार्च, १९६१ तक यूनिसेफ ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में उड़ीसा में खोले गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये ४६ सेट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उपकरण, ८५ सेट उपकेन्द्र उपकरण, ४६ सेट योजना और औषधि और ३२ गाड़ियां दी हैं।

एस० सी० बी० मेडिकल कालिज, कटक

†२४२९. **श्री उलाका** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा एस० सी० बी० मेडिकल कालिज कटक (उड़ीसा) को भैषज्य विज्ञान में डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिये वर्ष १९६१-६२ में कितनी वित्तीय सहायता दी गयी है ; और

(ख) भैषज्य विज्ञान में कालिज की क्या क्षमता है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उड़ीसा में मलेरिया और फाइलेरिया के रोगी

†२४३०. **श्री उलाका** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० से १९६२ तक के वर्षों में उड़ीसा में विभिन्न अस्पतालों और औषधालयों में मलेलिया और फाइलेरिया के कितने मरीजों का इलाज किया गया ;

(ख) उपरोक्त अवधि में कितने व्यक्तियों को अच्छा किया गया और कितने व्यक्ति मरे ; और

(ग) उड़ीसा में विशेषत : ग्रामीण क्षेत्रों में रोग की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है अथवा की जायगी ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी उड़ीसा सरकार से एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ;

(ग) उड़ीसा में विशेषत : ग्रामीण क्षेत्रों में रोग की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा की गयी अथवा की जाने वाली कार्यवाही निम्न प्रकार है :

---

†मूल अंग्रेजी में

(१) मलेरिया की रोकथाम के लिये कदम

राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, जो १९५३ में आरम्भ किया गया था और राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम जो १९५८-५९ में आरम्भ किया गया था, से देश से मलेरिया को नष्ट करने की आशा की जाती है, । जहां तक उड़ीसा का संबंध है, सभी रोगों से मलेरिया की प्रतिशतता जो १९५३–५४ में १४.४ प्रतिशत थी, वर्ष १९६०–६१ में घट कर ४.२ प्रतिशत रह गयी है।

(२) फाइलेरिया की रोकथाम के लिये कदम

राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन उड़ीसा को ४ सर्वेक्षण यूनिट और ५ नियंत्रण यूनिट दिय गये हैं। ५,२९,२७० व्यक्तियो को टीके लगाये गये हैं। तथापि क्योंकि टीके लगाने और अन्य कीटाणुनाशक उपाय अधिक कार्यकारी सिद्ध नहीं हुए हैं, अब नगरीय क्षेत्रों में केवल कृम्ण्ड नाशक उपाय अपनाये जा रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में फाइलेरिया नियंत्रण के लिये अभी सर्वेक्षण किया जाना है। राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिये भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा नियुक्त की गयी समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में फाइलेरिया के निमंत्रण के लिये ठोस उपाय निकालने के ख्याल से उड़ीसा में दो अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की सिफारिश की है। ग्रामीण फाइलेरिया के पुनर्गठन और उपाय संबंधी अनुसंधान करने के अतिरिक्त ये केन्द्र, जिनमें से प्रत्येक लगभग २०,००० व्यक्तियों की देखभाल करेगा, राज्य में विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों को प्रशिक्षण भी देंगे। परीक्षण क्षेत्र कार्यक्रम में प्रशिक्षण क्षत्र का काम देंगा। राज्य सरकार से ये केन्द्र स्थापित करने की प्रार्थना की गयी है और उसको सूचित कर दिया गया है कि इन केन्द्रों पर भारत सरकार ५० प्रतिशत व्यय वहन करेगी।

उड़ीसा में कोढ, तपेदिक और याज रोग

†२४३१. **श्री उलाका** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० से १९६२ के बीच की अवधि में उड़ीसा में कोढ़, तपेदिक और याज बीमारियों से उड़ीसा में कितने व्यक्ति रोगी थे :

(ख) उक्त अवधि में अब तक कितने ऐसे रोगियों की मृत्यु हुई ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा में इन रोगों के नियंत्रण के लिये कितनी वित्तीय सहायता दी है या देने का विचार किया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमन्त्री (डा० द० स० राजू)** : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायगी।

(ग) केन्द्र द्वारा सहायित स्वास्थ्य योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता देने की प्रक्रिया के अनुसार अनुदान राज्य सरकारों को इकट्ठी राशि के तौर पर दिये जाते हैं न कि व्यक्तिगत योजनाओं के लिये ५४.८१ लाख रुपये और ५८.५९ लाख रुपये (१९६०–६१ में ४०.५७ लाख रुपये और १९६१–६२ में ३४.७३ लाख रुपये की राशि तक मलेरिया और फिलेरिया के

†मूल अंग्रेजी में

लिये जिनस के रूप में सहायता को निकाल कर की राशि तक के सहाय-अनुदान क्रमशः १९६०-६१ और १९६१-६२ में केन्द्र द्वारा सहायित सब योजनाओं के लिये जिन में कोढ़ नियंत्रण और तपेदिक योजना शामिल हैं भारत सरकार द्वारा उड़ीसा सरकार के लिये मंजूर की गयी थी। मास के नियंत्रण के लिये केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तीसरी पंच वर्षीय योजना में कोई नियतन नहीं किया गया था। १२०० और ४४४०० रुपये के अनुदान कोष्ठ रोग के निदान के लिये क्रमशः १९६०-६१ और १९६१-६२ में उड़ीसा की स्वयंसेवी संस्थाओं के लिये मंजूर किये गये थे।

रेल के चोर

२४३३. { **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त : }

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १४ मार्च, १९६२ को और उसके बाद रेलवे माल के चोरों के जिस गुट को गिरफ्तार किया गया था उसके कुल कितने व्यक्ति १५ अप्रैल, १९६२ तक पकड़े जा चुके हैं ;

(ख) क्या इस गुट के और भी व्यक्ति अभी गिरफ्तार होने बाकी हैं और यदि हां, तो कितने

(ग) इस गुट ने रेलवे मंत्रालय की सूचना के अनुसार कितनी चोरियां विभिन्न गाड़ियों में कीं और इस चुराये गये माल का क्या मूल्यांकन है ;

(घ) चोरी गया कितना माल कहां और किसके पास से बरामद हुआ है ; और

(ङ) क्या इस तरह के और भी कुछ गिरोह रेलगाड़ियों में सक्रिय हैं ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) सात।

(ख) (ग) अभी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन इस गिरोह द्वारा चुराये गये माल की कुल कीमत ३७,६०६ रुपये ५३ नये पैसे आंकी गयी है।

(घ) एक बयान साथ नत्थी है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७८]

(ङ) जी नहीं।

गांवों में डाक वितरण सेवा

†२४३४. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के कितने गांवों में साप्ताहिक या सप्ताह से अधिक समय पर डाक बांटव का काम अभी जारी है ;

(ख) क्या निकट भविष्य में इस संख्या को कम से कम करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम):** (क) ८००९८।

(ख) और (ग). जी हां। अधिक डाक घर खोल कर, अतिरिक्त डाकिये रख कर, डाकियों के भत्ते बढ़ाकर और मोटर गाड़ियों, साइकिल वाहकों आदि परिवहन के अधिक शीघ्रवाही साधनों के द्वारा डाकियों को बदल कर।

---

†मूल अंग्रेजी में

परिवार नियोजन

२४३५. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या परिवार नियोजन के लिये जो खाई जाने वाली गर्भनिरोधक औषधियां का परीक्षण चल रहा था, वह पूर्ण हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस में कहां तक सफलता मिली है ;

(ग) परिवार नियोजन के लिये आपरेशन और औषधि प्रयोग के अतिरिक्त क्या सामाजिक स्तर पर प्रचार की भी कोई योजना है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस में गैर-सरकारी संस्थाओं का सहयोग भी प्राप्त किया गया है, और यदि हां, तो इस का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) जी नहीं । खाये जाने वाले गर्भ निरोधकों पर अनुसंधान कार्य चल रहा है ।

(ख) बहुत सी औषधियां जिनका परीक्षण किया गया था अप्रभाव कारी पाई गयी हैं । एक औषधि (मेटाक्सिलोहाइड्रोक्विनान) लग भग ५० प्रतिशत मामलों में प्रभाव कारी जान पड़ती है ।

(ग) और (घ). जी हां । सामाजिक स्तर पर परिवार नियोजन का प्रचार राज्य सरकारों, स्थानिय निकायों, अवैतनिक परिवार नियोजन शिक्षा नेताओं, तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम में लगे स्वयंसेवी संगठनों द्वारा चालू किये गये परिवार नियोजन के निर्धारण कैम्पों द्वारा किया जाता है । भारत सरकार ६० व्यक्तियों को त्रिदिवसीय परिवार नियोजन निर्धारण कैम्प के लिये ६०० रुपये अथवा ४० व्यक्तियों के ऐसे ही कैम्प के लिये ४०० रुपये का व्यय स्वीकृत करती है । इन कैम्पों को चलाने के प्रस्ताव सामान्यतः राज्यों के स्वास्थ्य सेवा निदेशकों की सिफारिशों पर स्वीकृत किये जाते हैं ।

इसके अतिरिक्त अवैतनिक डिवीजनल परिवार नियोजन शिक्षा नेता तथा अवतनिक जिला परिवार नियोजन शिक्षा नेता भी परिवार नियोजन का प्रचार करते हैं । इन्हें कुल मिला कर क्रमशः ४०००) रु० तथा २०००) रुपये वार्षिक सहाय्यानदान दिया जाता है ताकि वे यात्रा अपने ठहरने, खाने और अपने क्षेत्रों में परिवार नियोजन पर सामूहिक बैठकों तथा चर्चाओं के आयोजन के संबंध में अपेक्षित क्लेरिकल सहायता पर होने वाले खर्च की पूर्ति कर सकें ।

उत्तर और पश्चिम रेलवे में राज्य पुलिस

†२४३६. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर और पश्चिम रेलवे की सवारी गाड़ियों के अन्दर अभी तक राज्य सरकारों की पुलिस काय कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो जनवरी, १९५८ से जनवरी ,१९५९ तक उन्होंने कितने चोरी के मामलों को पकड़ा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां । सम्बन्धित राज्यों की रेलवे पुलिस अपने-अपने क्षेत्र की सभी रेलों पर कार्य करती है, जिन में उत्तर और पश्चिम रेलें भी शामिल हैं।

(ख) जनवरी, १९५७ से जनवरी, १९५९ तक की अवधि में रेलवे पुलिस ने उत्तर और पश्चिम रेलों में सवारी गाड़ियों में चोरी के क्रमशः २१८ और ५०३ मामले पकड़े ।

कृषि संबंधी शिक्षा और अनुसंधान

†२४३७. श्री सुबोध हंसदा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि शिक्षा और अनुसंधान विषयक दूसरे संयुक्त भारत अमरीकी प्रतिवेदन दल के प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा विचार किया जा चका है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सभी सिफारिशें स्वीकार करली हैं। ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). कृषि, शिक्षा और अनसंधान विषयक दूसरे संयुक्त भारत-अमरीकी दल का प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है ।

खोवाई नदी द्वारा भूमि कटाव

†२४३८. श्री दशरथ देव : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खोवाई नदी पर पूर्व पाकिस्तान की सरकार द्वारा बांधों के निर्माण के कारण, त्रिपुरा में खोवाई, दुर्गापुर में खोकई नदी के द्वारा लगातार भूमि कटाव रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस भूमि कटा व को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). त्रिपुरा प्रशासन ने सूचना दी है कि त्रिपुरा में दुर्गापुर में सामान्य तौर पर कोई भमि कटाव नहीं , हालांकि कछ लोगों की कुछ भूमि प्रभावित अवश्य हुई है । खोवाई में कुछ भूमि कटाव अवश्य हुआ है जिसे उपयुक्त उपायों के द्वारा रोक दिया गया है । खोवाई नगर के दूसरी ओर पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा टीला निर्माण के प्रभाव का जहां तक संबंध है, प्रशासन न कहा है कि इसका मुकाबला खोवाई में विद्यमान बान्धों और टीलों को मजबूत करके किया जाता है । स्थानीय प्रशासन पाकिस्तान द्वारा टीलों के निर्माण के प्रभाव पर लगातार निगरानी रखता है और जब कभी आवश्यक होगा, नगर को बचाने के लिये पर्याप्त कारवाई की जाएगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आंध्र प्रदेश में सड़कें

†२४३९. **श्री वेंकटा सुब्बैय्या :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में गांव सड़क विकास से सहकार योजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण के लिये आंध्र प्रदेश के लिये कितना आवंटन किया गया है ; और

(ख) अब तक इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार ने कितनी राशि का उपयोग किया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) आंध्र प्रदेश को तीसरी योजना में गांव सड़क विकास सहकार योजना के अन्तर्गत नई सड़कों के निर्माण के लिये कोई धन नियत नहीं किया गया क्योंकि इस बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया कि आया यह योजना चालू योजना में जारी रखी जाएगी या नहीं ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा अब तक पहली और दूसरी योजना अवधियों में गांव सड़क विकास सहकार योजना के अन्तर्गत मंजूर सड़क निर्माण कार्यों के लिये अब तक २५·१९ लाख रुपये खर्च किये गये हैं ।

मचेरिया से नागार्जुनसागर तक यात्री गाड़ियां

†२४४०. **श्री यलमंदा रेड्डी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में मचेरिया से नागार्जुनसागर बांध तक यात्री गाड़ियों का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कब, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) से (ग) . मचेरिया से नागार्जुनसागर बांध तक और वापिस यात्री गाड़ियों के विस्तार की संभाव्यता तथा उपयुक्तता का प्रश्न विचाराधीन है और जांच के द्वारा जो कार्रवाई करनी उचित होगी वह इस मामले में की जाएगी ?

डाक व तार कर्मचारी

†२४४१. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक व तार विभाग के उन कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा को कोई मान्यता दी गई थी, जिन्होंने १९६० की आम हड़ताल में भाग न लेकर वफादारी के साथ सरकार की सेवा की थी ;

(ख) यदि हां, दो उन को किस प्रकार की मान्यता दी गई थी ; और

(ग) कितने कर्मचारियों को मान्यता दी गई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†परिवहन तथा सचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) (१) योग्य कर्मचारियों को प्रशंसा पत्र जारी किये गये ।

(२) उनके चरित्र वरित्तों में उचित शब्द लिखे गये ।

(३) पहली विभागीय पदोन्नति परीक्षा में, जो हड़ताल के बाद हुई, ५ परसेंट अंकों का बोनस दिया गया ।

(४) योग्य कर्मचारियों को धन के परितोषक दिये गये, जो अपनी निजी सुरक्षा को जोखिम में डालकर हड़ताल की अवधि में अपने पदों पर बने रहे।

(५) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बीकानेर डिवीजन में रेलवे स्टेशनों पर साइडिंग

२४४२. श्री प० ला० बारूपाल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीजन में कितने ऐसे छोटे व बड़े स्टेशन हैं जिन में माल आदि उतारने व चढ़ाने के लिए साइडिंग नहीं हैं जिसके कारण स्थानीय नागरिकों को काफी कष्ट उठाना पड़ता है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : हुडेरा, गुरुसर—सेहरेवाला और "डी" श्रेणी के सोलह स्टेशनों को छोड़कर बीकानेर डिवीज़न के सभी स्टेशनों पर मालगोदाम—साइडिंग बनाये गये हैं। हुडेरा और गुरुसर-सेहरेवाला स्टेशनों पर साइडिंग इसलिए नहीं बनाये गये क्योंकि ये स्टेशन माल-यातायात के लिये नहीं खोले गये हैं। हसियावास के अलावा "डी" श्रेणी के सोलह स्टेशनों पर माल चढ़ाने—उतारने की सुविधा देने के सम्बन्ध में कोई मांग नहीं की गयी है । हंसियावास पर इस प्रकार की सुविधा देने की मांग की गयी है, जिस पर विचार किया जा रहा है।

कुसीनगर में आउट एजेंसी

†२४४३. श्री विश्वनाथ राय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न वस्तुओं के परिवहन के लिये विविध रेलवे लाइनों के नई आउट एजेंसियां खोलने का विचार करती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर पूर्व रेलवे के समीप कुछ महत्व के स्थानों को भी यह सुविधा प्रदान की जाएगी ; और

(ग) क्या सरकार जिला देवरिया (उत्तर प्रदेश) में कुसीनगर (कासिया) में उत्तर पूर्व रेलवे की एक आउट एजेंसी स्थापित करने का इरादा करती है ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां। सरकार जितनी अधिक संभव हो उतनी आउट एजेंसियां खोलने का इरादा रखती है यदि उसके लिये यातायात काफी हो और उचित ठेकेदार मिल जाएं।

(ख) जी हां ।

(ग) एक आउट एजेंसी खोलने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कलकत्ता पत्तन के लिये 'हौपर' नौकाएं

†२४४४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि कलकत्ता पत्तन न्यास ने स्काटलैंड की जहाज निर्माण फर्म को दो 'हौपर' नौकाओं के लिये आर्डर दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां ।

(ख) विश्व जनीन आकार पर टेंडर मंगवाने के पश्चात्, कलकत्ता पत्तन न्यास ने अप्रैल, १९६२ में मैसर्स साइमन्ज लौबनिटज सीमित एक स्काटलैंड की फर्म को जिस की पेशकश निम्नतम थी, १४०० टन 'हौपर' क्षमता वाली और ७१२४५० पौंड लागत वाली जिस में पुर्जों और प्रासंगिक व्यय शामिल हैं, डीजल से चलने वाली दो 'हौपर' नौकाएं बनाने के लिये आर्डर दिया है ।

दिल्ली दुग्ध संभरण योजना

†२४४५. { **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दिल्ली के आसपास के ग्राम्य क्षेत्र से दूध इकट्ठा करने के कारण, वहां की ग्रामीण जनता अपने दैनिक भोजन के लिये दूध, घी, मक्खन आदि से वंचित हो जाती है और उस कमी ने उन के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाला है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने दिल्ली दुग्ध योजना की मांग की पूर्ति करने के लिये अपने निजी फार्म बनाने की कोई योजना बनाई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में खाद्य उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी, नहीं । दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दिल्ली के आसपास के ग्राम्य क्षेत्रों में दूध के उत्पादकों से एक निर्धारित मूल्य पर दूध इकट्ठा किये जाने से उनको अधिक दूध तैयार करने का प्रोत्साहन मिला है ।

(ख) और (ग). सवाल पैदा नहीं होता ।

पश्चिम बंगाल में चीनी की मिल

†२४४६. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में दूसरी चीनी मिल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या यह सरकारी क्षेत्र में खोला जाएगा या गैर सरकारी क्षेत्र में,

(ग) यदि सरकारी क्षेत्र में, तो सरकार कितना धन लगाएगी ; और

(घ) क्या इसका खर्च राज्य सरकार देगी या केन्द्रीय सरकार ?

†**खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) पश्चिम बंगाल में दूसरी चीनी मिल स्थापित करने के लिये लाइसेंस नहीं दिया गया।

(ख) से (घ). सवाल पैदा नहीं होता।

दिल्ली में क्षय रोगियों का घर पर इलाज

†२४४७. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर पालिका निगम क्षय रोगियों के लाभार्थ एक 'घर पर इलाज योजना' आरम्भ करने का विचार करता है; और

(ख) प्रस्तावित योजना बिस्तरों की कमी के कारण हस्पताल में भरती न होने का अवसर प्राप्त न कर सकने वाले रोगियों की कहां तक सहायता करेगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) दिल्ली नगरपालिका निगम ने पहले से क्षय रोगियों के लाभार्थ एक 'घर पर इलाज' योजना आरम्भ कर रखी है। इस योजना का अग्रतर विस्तार करने का भी विचार है।

(ख) इस योजना से हस्पताल में इलाज के लिये भरती होने की मांग और आवश्यकता बहुत कुछ घट जायेगी।

खाद्यान्नों का आयात और परिवहन

†२४४८. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२ के पहले तीन महीने में और १९६१ में पी० एल० ४८० के अन्तर्गत कितने खाद्यान्न का आयात किया गया ;

(ख) खाद्यान्न का आयात करने के लिये कितने भारतीय जहाजों का प्रयोग किया गया और कितना माल इस प्रकार आयात किया गया।

(ग) देश में खाद्यान्न ढोने के लिये कितनी रेलवे बैगनें काम में लाई गईं ; और

(घ) क्या सरकार ने रेलवे बैगनों से भिन्न किसी वैकल्पिक परिवहन का उपयोग करने की कोई योजना बनाई है, जिसके द्वारा रेलवे बैगनों को उद्योगों के उपयोग के लिये कोयला और अन्य अत्यावश्यक सामग्री ढोने के लिये दे दिया जाये ?

†**खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) २९,३९,३१२ मीट्रिक टन।

(ख) ४७ भारतीय जहाजों द्वारा ३०१९४७ मीट्रिक टन माल आयात किया गया।

(ग) लगभग २ लाख बैगन (बी० सी० वैगन) १९६१ में और १९६२ के पहले तीन महीनों में ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) जहां तक आवश्यक या वैकल्पिक परिवहन साधनों का उपयोग किया गया।

नैरोबी म एयर इंडिया इन्टरनेशनल का इंजीनियर कारावास में

†२४४९. **श्री अ० सि० सहगल** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री ११ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ६६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने पर कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने बम्बई में भी एयर इंडिया इंटरनेशनल के इंजीनियर के परिवारिक मकान पर छापा मारा है

(ख) क्या नैरोबी सरकार को कहा गया है कि उसे भारत सरकार को सौंप दिया जाये ; और

(ग) ऐसे तस्कर व्यापारी को दंड देने के लिये सरकार ने क्या कार्रवाई की है या करने का विचार किया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री महीउद्दीन)** : (क) से (ग). क्योंकि जांच अभी जारी है, इस स्तर पर कोई ब्यौरा बताना लोक हित की दृष्टि से उचित नहीं होगा।

अगरतला नगरपालिका

†२४५०. **श्री धीरेन दत्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगरतला नगरपालिका ने धालेश्वर-प्राटलागार क्षेत्र में नाली, टट्टी और सड़क व्यवस्था की कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की अनुमानित लागत क्या होगी ; और

(ग) इसमें पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी, हां।

(ख) धालेश्वर समेत समूचे अगरतला नगरपालिका क्षेत्र के लिये एक सामान्य नाली व्यवस्था योजना है जिस की लागत ३०.४२ लाख रुपये है। धालेश्वर-प्राटालगार की सड़क योगना की लागत का अनुमान १५.४२ लाख रुपये लगाया गया है। गहरी खोदी गई स्वच्छता टट्टियों की व्यवस्था दोनों क्षेत्रों में धीरे धीरे की जा रही है।

(ग) सड़कों का विकास कार्य मार्च १९६३ तक और नाली व्यवस्था मार्च १९६४ तक पूरी होने की अपेक्षा की जाती है।

त्रिपुरा में गैर-आदिम जातियों के लिये भूमि की बिक्री

†२४५१. **श्री दशरथ देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में त्रिपुरा भूमि राजस्व तथा भूमि सुधार अधिनियम १९६० लागू होने के पश्चात् गैर आदिम जातियों को आदिम जातियों की भूमि बेचने के लिये सरकार की अनुमति प्राप्त करने के लिये कितनी याचिकाएं आई हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कितने मामलों में यह अनुमति दी गई ; और

(ग) अनुमति देने के कारण क्या थे ?

†**खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

त्रिपुरा में बिजली का उत्पादन

†२४५२. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजली पैदा करने के लिये त्रिपुरा की कितनी नदियों की जांच पड़ताल की गयी है ;

(ख) उस जांच पड़ताल से क्या नतीजा निकला ;

(ग) क्या "दम्बारो जल विद्युत् परियोजना" रद्द कर दी गयी है ;

(घ) इन जांच पड़तालों पर कितनी रकम खर्च की गयी है ; और

(ङ) क्या कोई जल विद्युत् परियोजना सरकार आरम्भ करेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) इस प्रयोजन के लिये चार नदियों अर्थात्, गुमती, खोवाई, मनु और देव तथा नौ छोटे छोटे झरनों की जांच पड़ताल की गयी है ।

(ख) गुमती नदी पर एक जलविद्युत् परियोजना उपयुक्त प्रतीत होती है । खोवाई और देव नदियों पर योजनाएं आर्थिक तथा शिल्पिक कारणों से उपयुक्त प्रतीत नहीं हुईं । मनु नदी पर योजना के संबंध में परियोजना रिपोर्ट की छानबीन केन्द्रीय पानी और बिजली आयोग कर रहा है । नौ छोटे छोटे झरनों के जांच पड़ताल के बारे में परियोजना रिपोर्टों की छानबीन भी की जा रही है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) लगभग ५.३ लाख रुपया ।

(ङ) अभी तक कोई अन्तिम निश्चय नहीं किया गया है ।

मोटरगाड़ी के किराये

†२४५३. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में मोटर गाड़ियों के प्रतिमील किराये क्या हैं ; और

(ख) क्या उन्हें जल्दी ही कम करने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) आवश्यक जानकारी नीचे दी गयी है :—

स्टेट कैरेजेस	किराये की दरें
(१) पहाड़ी सड़कों पर	७ नये पैसे प्रति मील प्रति यात्री
(२) समतल क्षेत्रों में काली सड़कों पर	५ नये पैसे प्रति मील प्रति यात्री

†मूल अंग्रेजी में

(३) पक्की सड़कों पर . . ६ नये पैसे प्रति मील प्रति यात्री

(४) कच्ची सड़कों पर . . . १० नये पैसे प्रति मील प्रति यात्री

मोटर कैब्स

किराये की दर सभी सड़कों पर ०.६२ नये पैसे प्रति मील है।

पब्लिक कैरियर्स	**भाड़ा दर**
१ अक्तूबर से ३१ मई तक . .	३ नये पैसे प्रति मन प्रति मील
१ जून से ३० सितम्बर तक . . .	५ नये पैसे प्रति मन प्रति मील

(ख) बस किराये कम करने के प्रश्न पर राज्य परिवहन प्राधिकार, त्रिपुरा अभी विचार कर रहा है।

टेलीफोन राजस्व पदाधिकारियों का वेतन-क्रम

†२४५४. **श्री नी० श्रीकान्तन् नायर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास, कलकत्ता बम्बई, और दिल्ली के टेलीफोन जिलों के सामान्य प्रबन्धकों तथा उनके अपने अपने पोस्ट मास्टर जनरलों के अधीन कोई टेलीफोन राजस्व पदाधिकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनके वेतनक्रम अलग अलग हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

रायपुर जगदालपुर राष्ट्रीय राजपथ

†२४५५. **श्री बीरेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रायपुर–जगदालपुर राष्ट्रीय राजपथ टूटी फूटी हालत में पड़ा हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी सामान्य स्थिति सुधारने के लिये क्या प्रयत्न किया जा रहा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). इस राष्ट्रीय राजपथ का लगभग ६६ मील का यह टुकड़ा अच्छी हालत में है। दण्डकारण्य क्षेत्र का हिस्सा राष्ट्रीय राजपथ के स्तर का नहीं है। लगभग ७७ लाख रुपये की लागत की मरम्मत के लिये मंजूरी दी जा चुकी है। अनुमान है कि मध्य प्रदेश लोक निर्माण कार्य विभाग शीघ्र ही राष्ट्रीय राजपथ के इस हिस्से को अपने अधीन ले लेगा और जल्दी ही मरम्मत करायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली और बंगलौर को जोड़ने वाली मीटर गेज लाइन

†२४५६. **श्री बीरेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और बंगलौर को जोड़ने वाली एक मीटर गेज लाइन बनाने की कोई योजना सरकार के सामने है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) अगले पांच वर्षों में यह संभवतः कब कार्यान्वित की जायेगी ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी नहीं। दिल्ली और बंगलौर के बीच मीटर गेज लाइन पहले ही बनी हुई है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

१९६१ की बाढ़ में झाझा स्टेशन पर बेची गई खाने की चीजें

२४५७. **श्री भ० ना० मंडल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९६१ की भीषण बाढ़ के दौरान १, २, ३ अक्तूबर को बिहार राज्य के मूंगेर जिला के झाझा स्टेशन पर खाने पीने की चीजें यात्रियों को मनमाने दाम पर स्टेशन स्टाफ की जानकारी में खुले आम बेची गई थीं ;

(ख) क्या इस घटना की खबर और उन यात्रियों के नाम जिनको पूरी का अत्यधिक दाम देना पड़ा था, सरकार को दी गयी है ; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) से (ग). इस आशय की कुछ शिकायतें आई हैं कि १९६१ की बाढ़ के दिनों में झाझा स्टेशन पर किसी ठेकेदार ने खाने की चीजें ऊंचे दाम पर बेचीं। रेल प्रशासन द्वारा इसकी जांच की गयी है। जांच के निष्कर्ष की प्रतीक्षा है।

इडुक्की परियोजना

†२४५८. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री उमानाथ :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इडुक्की परियोजना क्षेत्र में निष्कासन की कोई धमकी दी गयी है ;

(ख) क्या उन निष्कासित व्यक्तियों के पुनर्वास की कोई योजना बनायी गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ग). इडुक्की जल विद्युत् परियोजना में निर्माणकार्य अभी तक आरम्भ नहीं किया गया है। जिन लोगों को निकाल बाहर किया जायेगा उनके पुनर्वास की योजना का ब्यौरा केरल सरकार तैयार करेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

केरल में गैर-सरकारी वनभूमि

†२४५९. { श्री अ० क० गोपालन :
श्री उमानाथ :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने गैर-सरकारी वनभूमि अपने अधीन ले लेने की कोई योजना भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या ये जमीनें उन लोगों को बांटने के लिये चाहिये जो परियोजनाओं के लिये भूमि अर्जन के परिणामस्वरूप निष्कासित किये जायेंगे ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख) राज्य में गैर-सरकारी वनों को अपने अधीन ले लेने की केरल राज्य सरकार की एक योजना है। राज्य सरकार का यह इरादा है कि सभी गैर-सरकारी वनों को राज्य के स्वामित्व और नियंत्रण के अधीन लाया जाये ताकि वनसम्पत्ति को सुरक्षित रखा जा सके, उसका उपयोग और विकास किया जा सके, भूमि कटाव रोका जासके और नदियों तथा झरनों के बांध क्षेत्रों का विकास, नियंत्रण और संरक्षण किया जा सके। राज्य की तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजन के लिये १०० लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। गैर-सरकारी वनों को हस्तगत करने के लिये राज्य सरकार ने विधेयक का एक प्रारूप भी तैयार किया है। अभी उस पर विचार हो रहा है।

(ग) जी नहीं। उपर्युक्त (क) और (ख) में उद्देश्य बनाया जा चुका है।

दोषसिद्ध रेलवे कर्मचारियों की बर्खास्तगी

†२४६०. **श्री याज्ञिक** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन लोगों का किसी न्यायालय द्वारा अपराध सिद्ध किया जा चुका है और जिनका अपराध सिद्ध न होने पर भी जिन्होंने मुखबिर के तौर पर अपराध में सहयोग मंजूर कर लिया है, क्या उन्हें नौकरी से बर्खास्त करने की उनके मंत्रालय की प्रथा है ;

(ख) यदि हां, तो इस नियम से कितने व्यक्तियों को, विशेष मामले के तौर पर, बरी किया जा चुका है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी नहीं। प्रत्येक मामले को उसके गुणदोष के आधार पर निबटाया जाता है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

समितियों और जिला परिषदों में विधान मंडलों के सदस्यों के मतदान अधिकार

†२४६१. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके इस सुझाव पर कि विधान मंडल के सदस्यों को समितियों और जिला परिषदों में मतदान का अधिकार नहीं होना चाहिये, राज्य सरकारों की ओर से कोई राय प्राप्त हुई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने अपनी राय पेश की है ; और

(ग) क्या उनकी राय बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जायगा ?

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) से (ग). विभिन्न राज्यों में पंचायत समितियों और जिला परिषदों में संसद सदस्य/विधान सभा के सदस्यों/ विधान परिषद् के सदस्यों की स्थिति बताने वाला, इस जानकारी के साथ कि उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त है या नहीं, एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७६]** ।

इस सुझाव पर कि संसद् सदस्यों/विधान सभा के सदस्यों/विधान परिषद् के सदस्यों को पंचायत समितियों और जिला परिषदों में मत देने का अधिकार नहीं होना चाहिये, संबंधित राज्य सरकारें विचार कर रही हैं। अन्तिम निश्चय उपयुक्त राज्य विधान मंडल करेंगे।

भारतीय कृषि अनुसन्धानशाला के हल जोतने वालों को वर्दियां

†२४६२. **श्री नम्बियार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधानशाला के हल जोतने वालों और कुछ अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों को वर्दी देने का निश्चय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें गर्मी की वर्दियां दी जा चुकी हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो किन-किन डिवीजनों में अभी तक गर्मी की वर्दियां नहीं दी गई हैं और क्यों नहीं दी गई हैं ?

†**खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी हां। भारतीय कृषि अनुसन्धानशाला में वर्ग ४ के कर्मचारियों की ३४ श्रेणियों को जैसे जमादार, चपरासी, माली, हल जोतने वाले, कामदार, लुहार, बढई, आदि को वर्दियां दी जाती हैं।

(ख) और (ग). एन्टयोलाजी डिविजन को छोड़ कर सभी डिविजनों में गर्मी की वर्दियां दी जा चुकी हैं। उस डिविजन में वर्दियां सिलाई के लिये भेजी गई हैं और वे अभी प्राप्त नहीं हुई हैं। दूसरे डिविजनों में लगभग दो तिहाई कर्मचारियों को वर्दियां दी जा चुकी हैं और बाकी को वर्दियां प्राप्त होने पर, जिनके लिये आर्डर दिया जा चुका है, दे दी जायेंगी।

मध्य रेलवे में लाटर-मिरज सेक्शन

†२४६३. **श्री तुलसीदास जाधव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे के लाटुर-मिरज सेक्शन में :

(१) सवारी गाड़ियां चलाने के लिये पर्याप्त इंजन नहीं हैं ;

(२) माल गाड़ियां चलाने के लिये पर्याप्त इंजन नहीं है;

(३) कई बार रात की गाड़ियों के इंजन बगैर रोशनी (हेड-लाइट्स) के चलते हैं ;

(४) सफर करने वाली जनता की मांगें पूरी करने के लिये किसी भी दर्जे के पर्याप्त डिब्बे नहीं हैं और यात्री प्रायः डिब्बों के छतों पर सफर करते हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(५) किसी भी दर्जे के डिब्बों में पंखों की व्यवस्था नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो ये कमियां दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†**रैलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) (१), (२), (३), और (४), जी नहीं ।

(घ) (५) जी हां ।

(ख) उन पुराने डिब्बों की जगह जिनमें तकनीकी कारणों से पंखे नहीं लगाये जा सकते, नये डिब्बे चलाये जायेंगे जिनमें पंखे लगे हुए होंगे ।

आमों का उत्पादन

†२४६४. **श्री विश्राम प्रसाद** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में १९६०–६१ और १९६१–६२ में आमों का कुल कितना उत्पादन रहा ;

(ख) उपर्युक्त अवधि में मौसम या और किसी कारण से नष्ट होने के कारण कुल कितनी हानि हुई ;

(ग) पिछले तीन वर्षों में कुल कितनी मात्रा निर्यात की गयी और कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ; और

(घ) मौसम के अलावा दूसरे समय इन आमों को सुरक्षित रखन के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये थे ।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) १९६०–६१ और १९६१–६२ के लिये उत्पादन आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, १९५६ के लिये, जब कि बिक्री और निरीक्षण निदेशालय ने आमों का अखिल भारतीय बिक्री सर्वेक्षण किया था, देश में आमों के उत्पादन का अनुमान ५,०६९ हजार मेट्रिक टन था ।

(ख) अनुमान है कि वार्षिक हानि उत्पादन के लगभग १६ से २० प्रतिशत के बीच है ।

(ग) १९५९–६२ के वर्षों में निर्यात की गई कुल मात्रा और उसका मूल्य इस प्रकार है :—

वर्ष	निर्यात की मात्रा	मूल्य (रुपये)
१९५९–६०	१,१८७ टन	११,५३,०००
१९६०–६१	२,०६४ टन	१६,३५,०००
१९६१–६२	१,९१२ टन	१७,१८,०००

(फरवरी, १९६२ तक)

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने हारमोन्स और रासायनिक द्रव्यों के उपयोग से आम तथा दूसरे फलों को सुरक्षित रखने के लिये कुछ प्रयोग किये थे और यह देखा गया कि इन द्रव्यों के उपयोग से इतने अधिक समय तक फलों कों सुरक्षित नहीं रखा जा सकता कि उन्हें मौसम के अतिरिक्त दूसरे समय में भी इस्तेमाल किया जा सके। आमों के सबन्ध

---

†मूल अंग्रेजी में

में, फल अनुसन्धान के कुछ प्रादेशिक केन्द्रों में और जांच पड़ताल आरंभ करने का विचार है ।

अतिरिक्त फलों से, आम की चटनी, आम का मुरब्बा और दूसरी दूसरी चीजें काफी मात्रा में तैयार की जाती हैं ।

रेलवे वर्कशाप

†२४६५. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न रेलवे वर्कशापों में काफी परिमाण में रद्दी (स्क्रेप), टर्निंग्ज और बोरिंग्ज बेकार पड़े हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन इकट्ठा हो जाने के क्या कारण ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

टिप्पणी : ३१-३-६२ तक के संग्रह को हिसाब में ले लिया गया है ।

उत्तर प्रदेश में सूअरों का बुखार

†२४६६. **श्री रघनाथ सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के जिलों में सूअरों का बुखार फैला हुआ है जो एक बड़े पैमाने पर सूअरों के लिये घातक सिद्ध हो रहा है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** जी हां । सूअरों का बुखार जिसका अभी तक इस देश में कोई पता नहीं था, उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में फैला हुआ है । यह बहुत ही अधिक घातक जहरीला रोग है । राज्य में यह रोग दूर करने के लिये उत्तर प्रदेश का पशुपालन विभाग आवश्यक कार्यवाही कर रहा है । वेब्रिज लैबोरेटरीज (इंगलैंड) से किस्टक वायोलेट स्वाइन फीवर वैक्सीन मंगाने की व्यवस्था भी की जा रही है । भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधानशाला, मुक्तेश्वर और राज्य पशु-रोग जांच पड़ताल पदाधिकारी भी यहीं पर यह टीका तैयार करने के लिये कार्यवाही कर रहे हैं । सहारनपुर, लखनऊ, रामपुर, मेरठ, अलीगढ़, मथुरा, आगरा और नैनीताल जिलों से इस रोग की अभी तक सूचना मिली है । पहले दो जिलों में ८ बार यह रोग फैसला हुआ देखा गया है जिसमें १७६ सूअर बीमार हुए और उनमें से १३६ सूअर मर गये । दूसरे जिलों के आंकड़े अभी तक नहीं मिले हैं ।

केरल में सिंचाई और परियोजनाएं

†२४६७. **श्री मे० क० कुमारन :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६२-६३ में केरल में कौन कौन सी सिंचाई और जलविद्युत् परियोजनाएं आरंभ की जाने वाली हैं; और

(ख) क्या निर्माण, कार्य आरंभ करने के लिये आवश्यक मंजूरी दी गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) वर्ष १९६२-६३ में केरल में निम्नलिखित सिंचाई और बिजली परियोजनाएं आरंभ करने का विचार है :

सिंचाई परियोजनाएं

१. कल्लड़
२. पंबा
३. कंजीरापुझा
४. चितुर बुझा
५. कुट्टीयाडी

योजना आयोग की स्वीकृति से तीसरी योजना में शामिल करने के बाद, वलपतनम् योजना भी आरंभ करने का सरकार का विचार है।

बिजली परियोजनाएं

१. इडुक्की
२. कुट्टीयाडी

(ख) योजना आयोग ने उपर्युक्त किसी भी योजना पर अपनी स्वीकृति नहीं दी है। केन्द्रीय पानी और बिजली आयोग ने पहली तीन सिंचाई परियोजनाओं की रिपोर्टों की छानबीन कर ली है और इन योजनाओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय पानी और बिजली आयोग की टिप्पणियों पर उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है। बाकी तीन के सम्बन्ध में परियोजना रिपोर्टें अभी तक राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई हैं। इडुक्की बिजली परियोजना के बारे में रिपोर्ट केन्द्रीय पानी और बिजली आयोग तैयार कर रहा है और कुट्टीयाडी बिजली परियोजना सम्बन्धी रिपोर्ट की छानबीन की जा रही है।

चन्द्रपुर गांव

†२४६८. **श्री दशरथ देब** : क्या सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में चन्द्रपुर गांव, धरमनगर के लोगों की ओर से पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के नाम पर आपत्ति उठाने वाला कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या राय है ?

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) और (ख). धरमनगर गांव (रेवेन्यू मौजा) के चन्द्रपुर क्षेत्र के कुछ निवासियों की ओर से, उनके लिये एक अलग गांव सभा स्थापित करने के लिए, एक अभ्यावेदन त्रिपुरा प्रशासन को प्राप्त हुआ था। त्रिपुरा में लागू उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, १९४७ की धारा ३ के अधीन, प्रत्येक गांव (रेवेन्यू मौजा) या गांवों के समूहों के लिये एक एक गांव सभा स्थापित करनी होती है। इसलिये धरमनगर मौजा का एक हिस्सा जिनमें केवल चन्द्रपुर क्षेत्र है, एक अलग गांव सभा बनाने के लिये अलग नहीं किया जा सकता। तदनुसार अंतिम संविहित अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोसी नहर

†२४६९. **श्री क० ना० तिवारी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने कोसी नहर के निर्माण-कार्य के लिये जनरेटर खरीदने हेतु विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराने के लिये उनके मंत्रालय को लिखा था ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ;

(ग) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग ने ड्राइंग और डिजाइन तैयार नहीं किये जिसके फलस्वरूप कोसी बांध के मुख्य रेगुलेटरों के ऊपर पुल का निर्माण-कार्य रुका हुआ है और बिहार सरकार द्वारा बार-बार स्मरण कराये जाने के बावजूद ये ड्राइंग और डिजाइन उसे भेजे नहीं गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेसन) :** (क) जी, हां ।

(ख) ६,६६,४५० रुपये की विदेशी मुद्रा उपलब्ध की जा चुकी है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अफजलगढ़ में डाक की सुविधायें

२४७०. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या **परिवहन तथा सचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में बन रहे कालागढ़ बांध के निकट बड़े नगर अफजलगढ़ में अभी तक विभागीय डाकघर नहीं खोला गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस स्थान पर तारघर भी नहीं है ; और

(ग) सीमावर्ती उस प्रदेश की महत्वपूर्ण स्थिति को ध्यान में रखते हुए तथा एक महत्वपूर्ण सिंचाई केन्द्र होने के कारण उस स्थान पर इन दोनों सुविधाओं को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध म क्या कोई विचार किया जा रहा है ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). अफजलगढ़ मे एक अतिरिक्त विभागीय डाकघर, जिसमें फोन तार प्रणाली की तार-सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, पहले से ही काम कर रहा है । इस डाकघर को विभागीय उप-डाकघर मे बदलने की मंजूरी दे दी गई है और जैसे ही विभागीय उप-डाकघर के लिए कोई उपयुक्त स्थान मिल जाएगा, डाकघर को पदोन्नत कर दिया जायेगा ।

कोरबा-चम्पा लाइन के लिये माल-डिबे

२४७१. **श्रीमती मिनीमाता :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बाताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या कोयले की बढ़ती हूई आवश्यकता और मांग को दृष्टि में रखते हुए सरकार ने कोरबा-चम्पा लाइन पर माल-डिब्बों की संख्या बढ़ाने का निर्णय किया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) कोयले के उत्पादन के अनुसार माल-डिब्बे दिये जायेंगे ।

(ख) तीसरी पंचवर्षीय आयोजना के अन्त तक कोरबा कोयला खान में प्रति वर्ष ३१ लाख टन कोयला निकाले जाने की आशा है । वर्तमान संकेतों के अनुसार कोरबा थर्मल पावर स्टेशन में लगभग ११ लाख टन कोयले की खपत होगी जिसके लिए रेल परिवहन की जरुरत नहीं होगी। बाकी २० लाख टन कोयला रेलवे से ढोये जाने की आशा है । इस यातायात के लिए कोरबा-चम्पा लाइन को दस मील और बढ़ाया जा रहा है और बढ़े हुए यातायात को सम्हालने के लिए कोरबा यार्ड में सभी आवश्यक सुविधाएं दी जा रही हैं ।

सोने के डिब्बे

२४७२. श्रीमती मिनीमाता : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यात्रियों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए विभिन्न ट्रेनों में सोने के डिब्बों (स्लीपिंग कोच) की संख्या बढ़ाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) एक बयान साथ नत्थी है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८०]**

दक्षिण रेलवे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी

†**२४७३. श्री इलयापेरूमाल** : क्या रेलवे मंत्री यह बतान की कृपा करेंग कि :

(क) दक्षिण रेलव के प्रधान कार्यालय मे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी श्रणी के रक्षित स्थानों को भरने के लियें जनवरी, १९६० से जवनरी, १९६१ तक कितन आवेदन प्राप्त हुए ;

(ख) साक्षात्कार के लिये कितने व्यक्ति बुलाये गये और कितने व्यक्ति चुने गये ; और

(ग) कितने व्यक्ति नियुक्त किये गये तथा कितने व्यक्तियों को भविष्य में नियुक्ति के लिये सूची (पैनल) मे रखा गया ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) से (ग). दक्षिण रेलवे के प्रधान कार्यालय द्वारा पहली और दूसरी श्रेणी के पदों के लिये कोई भर्ती नहीं की जाती । इसलिये उसे कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुए । जहां तक तीसरी और चौथी श्रेणी के पदों का

---

†मूल अंग्रेजी में

सम्बन्ध है, अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है :—

	तीसरी श्रेणी		चौथी श्रेणी	
	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां
प्राप्त आवेदनों की संख्या .	३१६	१४	१४२	..
साक्षात्कार के लिये बुलाये गये उम्मीदवारों की संख्या .	१४०	६	२६	..
चुन गये व्यक्तियों की संख्या .	४०	४	१०	..
नियुक्त व्यक्तियों की संख्या .	२३	२	५	..
पैनल मे रखे गये व्यक्तियों की संख्या	२	..	..	..

मद्रास में उद्यान विद्या का विकास

†२४७४. **श्री इलयापेरूमाल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य को उद्यान विद्या के विकास के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष में कितना अनुदान दिया गया ; और

(ख) ये अनुदान किन-किन योजनाओं के लिये दिये गये ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) मद्रास राज्य में उद्यान-विद्या के विकास के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष मे निम्नलिखित उपबन्ध किया गया था :—

वर्ष	अनुदान	ऋण	योग
१६५६–५७ .	..	..	..
१६५७–५८ .	४१,०००	१,००,०००	१,४१,०००
१६५८–५६ .	६२,०००	२,१०,०००	२,७२,०००
१६५६–६० .	७३,०००	२,००,०००	२,७३,०००
१६६०–६१ .	६६,०००	२,००,०००	२,६६,०००
योग .	२,४२,०००	७,१०,०००	६,५२,०००

(ख) योजनायें फल उत्पादन के विकास की थीं ।

†मूल अंग्रेजी में

भरमार रेलवे स्टेशन पर पीने के पानी की सुविधा

†२४७६. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांगड़ा वेली सेक्शन पर स्थित भरमार रेलवे स्टेशन पर विशेष कर प्रत्येक वर्ष जलाई-अगस्त में नाग मेले (शिव स्थान) के अवसर पर यात्रियों के लिये पीने के पानी का अत्यन्त अभाव रहता है ;

(ख) यदि हां, तो इस स्टेशन पर यह आवश्यक सुविधा प्रदान करने के लिये क्या कदम उठाय जा रहे हैं ;

(ग) क्या नलकूप के निर्माण का प्रस्ताव त्याग दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी, नहीं । पानी की गाड़ियों के जरिये पीने का पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध किया जाता है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी, हां ।

(घ) जमीन के नीचे पानी उपलब्ध न होने के कारण कुंए से और संकरे नलकूप से, जो हाथ से चलाया जाता है, पानी प्राप्त करने के प्रयत्न असफल रहे ।

ज्वार-भाटे से विद्युत् निर्माण

†२४७७. **श्री प्र० के० देव :**
श्री यो० ना० सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी ऐसे टर्बाइन से, जो ज्वार-भाटे से चलाया जायेगा, बिजली पैदा करन की कोई कोशिश की गई है ; और

(ख) ज्वार-भाटे से बिजली पैदा करने के केन्द्र के निर्माण का अध्ययन करने के लिये क्या वैज्ञानिकों को सोवियत रूस भेजने का इरादा है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, नहीं

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है ।

ए० एच० मेडिकल कालेज कोट्टायम् (केरल)

†२४७८. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री उमानाथ :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल राज्य में कोट्टायम् में सचिवोत्तमपुरम का ए० एच० मेडिकल कालेज केन्द्रीय सरकार से अनुदान प्राप्त करता रहा है ;

(ख) यदि हां, तो १९५९–६० और १९६०–६१ में उसे कितना अनुदान दिया गया ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या १९६०–६१ और १९६१–६२ में अनुसन्धान के लिये कोई अनुदान दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इन दो वर्षों में अनुसन्धान की प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). १९५९–६० में २,२०,००० रुपये की राशि दी गयी थी और १९६१–६२ में एक होमियोपैथिक मेडिकल कालेज खोलने के लिये २,५०,००० रुपये की राशि तथा मार्च, १९६१ में अनुसन्धान के लिये ३०,००० रुपये की राशि दी गई ।

(घ) इतनी जल्दी कोई निश्चित परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते।

हिमाचल प्रदेश में कृषि का विकास

†२४७९. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में कृषि के विकास के लिये भारत सरकार और पश्चिम जर्मनी के बीच कोई करार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस करार की शर्तें क्या हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी, हां ।

(ख) करार की एक प्रति संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये एल० टी०—१६९/६२**] ।

हिम्मतनगर-उदयपुर लाइन

†२४८०. **श्री मानसिंह पु० पटेल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे की जो हिम्मतनगर—उदयपुर लाइन बन रही थी उसके निर्माण मे क्या प्रगति हुई है ;

(ख) १९६१–६२ में किये गये उपबन्ध में से कितनी राशि खर्च की गयी ;

(ग) चालू वर्ष में इस कार्य के लिये कितना उपबन्ध किया गया है ; और

(घ) इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) अप्रैल, १९६१ तक कुल मिलाकर २२ प्रतिशत प्रगति हुई है ।

(ख) १९६१–६२ में २,०९,४२,००० रुपये की राशि का उपबन्ध किया गया था जो खर्च की जा चुकी है ।

(ग) ३,५०,००,००० रुपये ।

(घ) आशा है कि ३१ मार्च, १९६४ तक इस लाइन को काम में लाना शुरू हो जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेहसाना और पालनपुर तक दुहरी लाइन

†२४८१. **श्री मान सिंह पृ० पटेल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के मेहसाना और पालनपुर स्टेशनों के बीच लाइन को दुहरा करने के बारे में सर्वेक्षण-कार्य पूरा कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) मेहसाना–पालनपुर सेक्शन के ११.५ मील तक की लाइन को दुहरा करने के बारे में क्षेत्रीय-कार्य पूरा कर लिया गया है और प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है ।

(ख) प्रतिवेदन तैयार होने के बाद इस बात का पता लग सकेगा ।

हिसार के डाक व तार कर्मचारियों को वर्दियां दिया जाना

२४८२. **श्री भगत दर्शन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि हिसार (पंजाब) के डाकियों ने नंगे पांव डाक बांटने का निश्चय किया है, क्योंकि उन्हें पिछले दो वर्षों से सरकारी वर्दियां चप्पल व डाक के थैले नहीं दिये गये हैं और उन्हें फटी–पुरानी वर्दियों से ही काम करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या किन्हीं अन्य स्थानों से भी इस प्रकार की शिकायत मिली हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं ।

(ख) इस प्रकार की कोई भी शिकायत किसी और स्थान से नहीं मिली है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पश्चिम रेलवे के सेंदड़ा स्टेशन पर प्रतीक्षालय

२४८३. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के सेंदड़ा रेलवे स्टेशन पर एक प्रतीक्षालय की आवश्यकता है ;

(ख) क्या इस विषय में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ग) क्या सेंदड़ा रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षालय निर्माण करने की कोई योजना है ;

(घ) यदि हां, तो इस योजना को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग), (घ) और (ङ). जी नहीं । इस स्टेशन पर ऊंचे दर्जे के यात्री यातायात को देखते हुए ऊंचे दर्जे का प्रतीक्षालय बनाने का कोई औचित्य नहीं है। इस स्टेशन पर तीसरे दर्जे का प्रतीक्षालय पहले से ही मौजूद है ।

केरल के गांवों में बिजली लगाना

†२४८४. **श्री वारियर** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने गांवों में बिजली लगाने के लिये चालू वर्ष में ऋण प्राप्त करने के लिये प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो उसने कितना ऋण मांगा है ; और

(ग) क्या उसे ऋण मंजूर किया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

पूना से हड़पसर तक दुहरी लाइन

†२४८५. **श्री जेधे**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के पूना और हड़पसर स्टेशनों के बीच लाइन को दुहरा करने का इरादा है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी लाइन दुहरी की जायेगी ; और

(ग) इसके बारे में क्या कार्यक्रम बनाया गया है और इस कार्य पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) फिलहाल नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

पूना से घौंड तक अतिरिक्त शटल

†२४८६. **श्री जेधे** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूना–घौंड लाइन पर यात्रियों की भीड़भाड़ को ध्यान में रखते हुये इस लाइन पर अतिरिक्त शटल चलाने का इरादा रखती है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) पूना और घौंड के बीच एक और शटल चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। किन्तु लम्बी यात्रा वाली कुछ गाड़ियां चलाने के कुछ प्रस्ताव हैं और ये गाड़ियां पूना–घौंड लाइन पर भी चलेंगी इन गाड़ियों का चलना लाइन की क्षमता, बिजली और इंजन-डिब्बे के स्टाक पर निर्भर करता है ।

तुंगभद्रा परियोजना

†२४८७. **श्री रा० गि० दुबे :**
श्री सं० ब० पाटिल :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तुंगभद्रा परियोजना का निर्माण कब पूरा हुआ और उस पर कितना व्यय हुआ ;

(ख) इस परियोजना से कितने क्षेत्र की सिंचाई की जायेगी तथा अब तक कितना क्षेत्र सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया है ; और

(ग) सिंचाई के संसाधनों का अधिक अच्छा उपयोग तेजी से करने के लिये सरकार क्या उपाय काम में लाने का इरादा रखती है ताकि इस परियोजना मे लगाई बड़ी पूंजी से कोई लाभ प्राप्त हो सके ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन):** (क) तुंगभद्रा योजना के कई भाग हैं जिनमें से कुछ पूरे किये जा चुके हैं। मुख्य बांध का निर्माण जून, १९४८ म पूरा कर लिया गया। बायें किनारे की १२७ मील लम्बी नहर बना ली गई है किन्तु उसकी सहायक नहरों का काम जारी है और वह १९६३ मे पूरा हो जायेगा। दायें किनारे की २१७ मील लम्बी नहर का निर्माण १९५७ में पूरा हो चुका है तथा उसकी सहायक नहरों का काम १९६३ में पूरा कर लिया जायेगा। १२२ मील लम्बी हाइ लेवल नहर का काम जारी है और उसके १९६४–६५ मे पूरा हो जाने की आशा है ।

तुंगभद्रा परियोजना पर, जिसमें हाइ लेवल नहर का प्रथम प्रक्रम शामिल है, अनुमानतः ७४.११ करोड़ रुपये व्यय होगा ।

(ख) इस परियोजना से आंध्र प्रदेश की २,६९,७१५ एकड़ भूमि तथा मैसूर राज्य की ७,४०,५९४ एकड़ भूमि अर्थात् कुल मिलाकर १०.१० लाख एकड़ भूमि लाभान्वित होगी जिसमें आंध्र प्रदेश की १,२०,००० एकड़ तथा मैसूर राज्य की २,३०,००० एकड़ भूमि अर्थात् कुल मिलाकर ३.५ लाख एकड़ भूमि सिंचाई के अन्तर्गत लायी जा चुकी है।

(ग) आंध्र प्रदेश और मैसूर राज्य की सरकारों से कहा गया है कि वे १०० एकड़ तक के भू-खंडों के पानी ले जाने के रास्ते सरकारी खर्चे पर बनायें। खेतों में नालियां आम तौर पर किसानों द्वारा बनाई जाती हैं किन्तु यह सुझाव दिया गया है कि यदि किसान नालियां न बनायें तो सरकार उन्हें बना दे और किसानों से उसका खर्च वसूल कर ले। सिंचाई विभाग द्वारा निर्माण कार्य की आयोजना के साथ प्रत्येक विभाग समन्वित प्रयत्न और उचित आयोजना करे इसके लिये राज्य सरकारें विकास समितियां गठित कर रही हैं जिनमें संबंधित विभागों (सिंचाई, कृषि, राजस्व, सामुदायिक विकास संगठन और सहकार आदि) के प्रतिनिधि रहेंगे। भारत सरकार विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिये एक दल भेज रही है और यह दल इन परियोजनाओं के सिंचाई संसाधनों को समय पर काम में लाने के पहलू का भी अध्ययन करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैसूर राज्य में घटप्रभा के बायें किनारे की नहर

†२४८८. { **श्री रा० गि० दुबे :**
श्री सं० ब० पाटिल :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में घटप्रभा के बायें किनारे की नहर से कितने क्षेत्र की सिंचाई हो सकेगी और सिंचाई के अन्तर्गत वास्तव में कितना क्षेत्र लाया गया है ;

(ख) नहर की प्रगति को देखते हुये कुल कितना क्षेत्र सिंचाई के अन्तर्गत लाया जा सकता है ;

(ग) वास्तव मे कितना क्षेत्र सिंचाई के अन्तर्गत लाया जा चुका है ; और

(घ) यदि सिंचाई की पूरी क्षमता को काम में नहीं लाया जा सका तो उसके क्या कारण हैं ?

†**सिचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) से (घ). राज्य सरकार से अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

गारो पहाड़ियों तक रेलवे लाइन बनाना

†२४८९. **श्री रा० बरुआ :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गारो पहाड़ियों तक रेलवे लाइन बनाने का इरादा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस लाइन के निर्माण के कार्यक्रम को कब कार्यान्वित करने का इरादा रखती है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) और (ख) प्रस्तावित लाइन तीसरी योजना मे रेलवे के नई लाइनों के निर्माण के लिये बनाये गये कार्यक्रम में शामिल नहीं की गयी है । तीसरी योजनावधि मे इस लाइन के निर्माण की कोई संभावना नहीं है ।

जोरहाट और जोरहाट टाउन स्टेशन

†२४९०. **श्री रा० बरुआ :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोरहाट और जोरहाट स्टेशन को मिलाकर एक स्टेशन बनाने का इरादा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के कार्यान्विय में विलम्ब क्यों हो रहा है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उकई परियोजना

†२४९१. **श्री मान सिंह पृ० पटेल :** क्या **सिचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य की उकई सिंचाई योजना का अन्तिम प्रक्रम क्या है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस योजना के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना मे कितनी राशि रखी गई है ;

(ग) सरकार इस योजना को संभवतः कब तक अन्तिम रूप दे देगी ;

(घ) इस योजना पर अनुमानतः कुल कितना व्यय होगा ;

(ङ) इस योजना से कुल कितना क्षेत्र सिंचाई के अन्तर्गत लाया जा सकेगा ; और

(च) योजना से कुल कितने किलोवाट बिजली पैदा की जा सकेगी ?

†**सिचाई और विद्युत् मंत्रालय म राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) परियोजना के संबंध में एक प्रभारी नियंत्रण मंडल हाल में गठित किया गया है। प्रारम्भिक कार्य तथा जांच जारी है ।

(ख) ६ करोड़ रुपये ।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ।

(घ) ५८.२१ करोड़ रु० ।

(ङ) ३.९२ लाख एकड़ ।

(च) १,३०,००० किलोवाट ।

प्रादेशिक नारियल अनुसन्धान केंद्र

†२४९१. **श्री अ० व० राघवन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्कादीव, अमीनदीवी और मिनीकाय द्वीपों में प्रादेशिक नारियल अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का इरादा है ;

(ख) इन द्वीपों मे नारियल की फसल का कुल रकबा कितना है ; और

(ग) क्या इन द्वीपों में नारियल के वृक्ष पैदा करने के लिये बीज का एक चुनिन्दा बाग बनाने का भी कोई प्रस्ताव है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) ६,००० एकड़ ।

(ग) त्रिवेन्द्रम् में नवम्बर–दिसम्बर, १९६१ में नारियल विषयक खाद्य तथा कृषि संगठन का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें सुझाव दिया गया था कि लक्कादीव द्वीप मे बीज बनाने के एक चुनिन्दा फार्म की स्थापना की संभावनाओं की खोज की जाये।

तदनुसार, भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति के सचिव ने इन द्वीपों के हाल में अपने दौरे के दौरान इस सुझाव की संभावनाओं की जांच की है। उसने सूचित किया है कि इस तरह का बाग लगाने के लिये द्वीप मे कोई जमीन खाली नहीं है।

वाई० एम० सी० ए० और वाई० डब्ल्यू० सी० ए० को अनुदान

†२४९३. **श्री अ० व० राघवन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यम श्रेणी के पर्यटकों को पश्चिमी तरीके की सुविधायें देने के लिये केरल के वाई० एम० सी० ए० और वाई० डब्ल्यू० सी० ए० को सहायता देने का कोई प्रस्ताव है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये कितने केन्द्र चुने गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). मध्यम आय श्रेणी के पर्यटकों के लिये उपयुक्त स्तर की पश्चिमी तरीकों की आवास सुविधायें देने के लिये सरकार वाई० एम० सी० ए० और वाई० डब्ल्यू० सी० ए० को सहायता देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है और उन केन्द्रों के बारे में, जहां यह सहायता दी जानी चाहिये, अन्तिम रूप से कोई चयन नहीं हुआ है।

दिल्ली और नरेला में बिजली का सम्भरण

२४९४. **श्री जगदेव सिंह सिद्धांती** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घरेलू कार्यों के लिये (१) दिल्ली और (२) नरेला में बिजली की प्रति यूनिट दर क्या है ;

(ख) जब दोनों क्षेत्र एक ही कारपोरेशन के अधीन हैं, तो फिर दरों में विषमता के कारण क्या हैं ; और

(ग) इस विषमता का समाधान कब तक हो जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क)

उपभोक्ता श्रेणी	दिल्ली विद्युत् संभरण उपक्रम	नरेला
१. घरों में प्रकाश के लिये बिजली तथा पंखे	१८ नये पैसे प्रति यूनिट। जल्दी अदायगी के लिये इसमें से ५ प्रतिशत कटौती कर दी जाती है।	६२ नये पैसे प्रति यूनिट।
२. घरेलू विद्युत्	७ नये पैसे प्रति यूनिट।	३१ नये पैसे प्रति यूनिट।

(ख) यद्यपि नरेला दिल्ली नगर निगम के प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र में ही है, वहां पर विद्युत् का उत्पादन, संभरण और वितरण एक प्राइवेट लाइसेंसदार नामशः राष्ट्रीय विद्युत् सम्भरण तथा व्यापार निगम (प्राईवेट) लिमिटिड का उत्तरदायित्व है। दरों में अन्तर का कारण नरेला में विद्युत् उत्पान और संभरण की अधिक लागत ही है।

(ग) इस समय कोई भी तारीख नहीं बताई जा सकती।

नरेला (दिल्ली) की गलियों में बिजली

२४९५. **श्री जगदेव सिंह सिद्धांती** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नरेला के दिल्ली नगर निगम के नागरिक नियंत्रण के अधीन आने के पहले भूतपूर्व अधिसूचित क्षेत्र समिति, नरेला द्वारा वहां सड़कों पर बिजली का प्रबन्ध था ;

(ख) क्या यह सच है कि निगम द्वारा सड़कों से बिजली हटा ली गई ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). सड़कों पर लगा बिजली का साजसामान हटाया नहीं गया, बल्कि मैसर्स नैशनल इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रेडिंग कार्पोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड ने ७-९-१९६० से बिजली देना बन्द कर दिया क्योंकि भूतपूर्व अधिसूचित क्षेत्र समिति, नरेला के साथ उनके करार की मियाद इस तारीख को खत्म हो गई। देहली नगर निगम ने मैसर्स नैशनल इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रेडिंग कार्पोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड को बिजली बांटने का जो लाइसेंस दिया था वह मन्सूख कर दिया और हिदायत की कि साजसामान निगम के देहली बिजली प्रदाय उपक्रम को हस्तांतरित कर दिया जाये। लेकिन कम्पनी ने अदालत से निषेधाज्ञा (इन्जंक्शन) हासिल कर ली जिससे निगम पर यह रोक लग गई कि वह साजसामान न ले। सरकार अभी इस मसले का अन्तिम हल नहीं निकाल पाई है। अभी काम चलाने के लिये, निगम द्वारा मिट्टी के तेल से जलने वाले ८० लालटेन दे दिये गये हैं।

टैलीफोन के कॉल का किराया

२४९६. **श्री जगदेव सिंह सिद्धांती** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (१) गाजियाबाद से दिल्ली और (२) नरेला से दिल्ली तक प्रत्येक सामान्य टेलीफोन कॉल का शुल्क क्या है ;

(ख) नरेला के लिये टेलीफोन कॉल की दरें ऊंची होने के कारण क्या हैं, विशेष रूप से जब कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है और नरेला दिल्ली में ; और

(ग) इन दरों में समता लाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) (१) स्थानीय टेलीफोन कॉल का शुल्क १२ न० पै०।

(२) तीन मिनट के सामान्य टेलीफोन कॉल के लिये ६० न० पै०।

(ख) दिल्ली और गाजियाबाद के बीच इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं कि एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता को डायल करके स्वयं टेलीफोन मिला सकता है और ऐसी कालों को ट्रंक टेलीफोन प्रचालकों द्वारा मिलाने की आवश्यकता नहीं रहती। नरेला की दूरी अधिक है और टेली-फोन कॉलों को प्रचालकों द्वारा मिलाना पड़ता है। दूरी के आधार पर ६० न० पै० शुल्क लिया जाता है।

(ग) इस क्षेत्र में टेलीफोन की शुल्क दरों को फिर से निर्धारित किया जा रहा है।

जनता एक्सप्रेस में सोने का स्थान

†२४९७. **श्री याज्ञिक** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सामान्यतः सभी रेलवे में ३०० मील या इससे अधिक यात्रा करने वाले यात्रियों को सोने का स्थान देने के लिये इकट्ठा की जाने वाली तीन बर्थों की व्यवस्था करती है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सुविधा जनता एक्सप्रेस में और अन्य मेल गाड़ियों में, जो अहमदाबाद अथवा विरामगाम से बम्बई यात्रियों को ले जाती है और जिसकी दूरी ३०० मील से अधिक है, यह सुविधा रखी गयी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इन यात्रियों को सोने की सुविधा देगी ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

जाली रेलवे टिकट

†२४९८. **श्री याज्ञिक** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में यात्रियों के पास जाली रेलवे टिकट बड़ी संख्या में पाये गये हैं ;

(ख) पिछले वर्ष मिले टिकटों की कुल संख्या क्या है और उस पर कुल कितना जुर्माना इकट्ठा किया गया ;

(ग) क्या उनमें से कुछ टिकट रेलवे के बुकिंग कार्यालय से बेचे गये थे ; और

(घ) रेलवे बुकिंग कार्यालयों और अन्य स्थान से जाली टिकटों की बिक्री रोकने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

†**रेलवे मत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). पिछले वर्ष केवल पूर्व रेलवे में जाली बगर छपे टिकट का एक मामला पकड़ा गया था। मामले की पुलिस जांच कर रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) बुकिंग कार्यालयों के बारे में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। लाउडस्पीकरों के जरिये, जहां कहीं ऐसी व्यवस्था है, घोषणा की जाती है जिनमें यात्रियों से अनुरोध किया जाता है कि वे बुकिंग कार्यालय के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से टिकट न खरीदें। इसके अतिरिक्त सदरमुकाम के अधीन स्पेशल इन्सपेक्टर छद्मवेश में घूमते हैं और अवांछित तत्वों की किसी भी अवैध कार्यवाही को पकड़ते हैं।

मैसूर राज्य में सिंचाई योजनायें

†२४९९. **श्री सं० ब० पाटिल** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के बारे में कोई व्यापक सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या एक विवरण सभा पटल पर रखा जाएगा जिसमें उपरोक्त परियोजनाओं के लाभ और अनुमानित प्राक्कलन बताये गये थे ; और

(ग) प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में ऐसी परियोजनाओं पर कितना धन व्यय किया गया है और तीसरी पंचवर्षीय योजना में कितना उपबन्ध किया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार, जब तक राज्य सरकार ने कहे, मध्यम और बड़ी सिंचाई योजनाओं का सर्वेक्षण नहीं करती।

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्य सरकारें अपनी बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का सर्वेक्षण और जांच स्वयं करती हैं ।

तथापि, प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय योजना परियोजनाओं की, उनकी लागत, लाभ और तीसरी योजना में उनके लिये उपबन्ध समेत, एक सूची संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८०-क]**

(ग) प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर ६८ करोड़ रुपये व्यय किये गये । तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये ४०.४५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

मैसूर में छोटी सिंचाई परियोजनाओं का सर्वेक्षण

†२५००. **श्री सं० ब० पाटिल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में छोटी सिंचाई परियोजनाओं के बारे में कोई व्यापक सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या एक विवरण पटल पर रखा जायेगा जिसमें उपरोक्त परियोजनाओं से होने वाले लाभ और अनुमानित प्राक्कलन बताये गये हों ; और

(ग) प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसी परियोजनाओं पर कुल कितना व्यय किया गया और तीसरी पंचवर्षीय योजना में कितना उपबन्ध किया गया है ?

†**खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी मैसूर सरकार से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

उत्तर प्रदेश में सिंगरौली में विद्युत् सयत्र

†२५०१. **श्री कृ० चं० पन्त :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय योजनाकाल में उत्तर प्रदेश में सिंगरौली में प्रत्येक ५०,००० किलोवाट के ५ यूनिटों वाला एक तापीय विद्युत् संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या इस संयंत्र के लिये रूस ने उपकरण देना आरम्भ कर दिया है ;

(ग) क्या इस परियोजना के तृतीय योजना काल में पूरा हो जाने की आशा है ;

(घ) यदि हां, तो कब ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) जी, हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ). इस परियोजना के तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्ण रूपेण पूरा होने की आशा नहीं है । इसके वर्ष १९६७ तक पूरा होने की संभावना है ।

(ङ) संयंत्र के शीघ्र संभरण के लिये, संभरणकर्त्ता के परामर्श से, हर संभव प्रयत्न किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पश्चिम यमुना नहर योजना

†२५०२. **श्री गजराज सिंह राव :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम यमुना नहर फीडर योजना को दो वर्ष पूर्व अन्तिम रूप दिया गया था ;

(ख) योजना को शीघ्र क्रियान्वित करने और पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ग) क्या वडेहरा प्वांइट लाइन नहर ४० लाख रुपये के पंजाब और राजस्थान सरकारों के अंश और १८ लाख रुपये केन्द्रीय सरकार के अंश से बनाई जानी थी ;

(घ) यदि हां, तो क्या राजस्थान सरकार और केन्द्रीय सरकार ने अपना अंश दे दिया है अथवा इसके लिये आयव्ययक में व्यवस्था कर दी है ;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(च) क्या यह सच है कि इस योजना के अन्य दो भागों को तकनीकी रूप से गलत बताया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ख) योजना के योजना आयोग द्वारा स्वीकृत हो जाने के बाद ही इसके क्रियान्वियन का प्रश्न उठेगा ।

(ग) से (ङ). कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(च) अभी इस योजना का केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग में परीक्षण किया जा रहा है ।

नजफगढ़ क्षेत्र में बाढ़

†२५०३. **श्री गजराज सिंह राव :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नजफगढ़ क्षेत्र से बाढ़ का पानी निकालने के लिये कोई निर्धारित कार्यक्रम बनाया गया है ;

(ख) इस कार्यक्रम में से कितना क्रियान्वित किया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ;

(घ) इस क्षेत्र में पिछली वर्षा ऋतु में गुड़गांव जिला, रोहतक जिला और दिल्ली के कौन से क्षेत्रों में बाढ़ आई ;

(ङ) इस क्षेत्र में लोगों को कुल कितनी क्षति पहुंची और पिछले वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता-कार्य पर कितना धन व्यय किया गया ;

(च) इस क्षेत्र में, अगली वर्षा ऋतु में, बाढ़ पुनः आने से रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(छ) क्या बाढ़ के मामले में, लोगों और सरकार को हानि के लिये निर्धारित कार्यक्रम का गैर-क्रियान्वयन होगा और हानि की रकम कितनी होने की संभावना है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (छ) . अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बिहार में विद्युत् संभरण

†२५०४. **श्री प्र० च० बरुआ** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलैंड की एक फर्म बिहार बिजली बोर्ड को दो विद्युत् प्रजनन संयंत्र संभरण करने को सहमत हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर ; और

(ग) इन संयंत्रों और बिहार के विद्युत् संभरण में वर्त योजनाओं में अपेक्षित अतिरिक्त कारखानों के चालू हो जाने पर तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में बिहार में बिजली की कितनी कमी रहेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) जी, हां ।

(ख) प्रजनन संयंत्र भारत-पौलैंड ऋण करार के अन्तर्गत दिये जायेंगे ।

(ग) लगभग २१ मिलो वाट जो उत्तर विहार प्रदेश में होगी ।

दिल्ली दुग्ध संभरण योजना

†२५०५. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध संभरण योजना के डिपुओं में धन के सौदों के बारे में शिकायतें बढ़ रही हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि छोटी रेजगारी की कमी है, कार्ड वापस करने वाले व्यक्तियों को शीघ्र ही रुपया वापस नहीं किया जाता, कार्डों को नया बनवाने मे बहुत समय लगता है और उस अवधि में वे व्यक्ति अपना अभ्यंश नहीं ले सकते ;

(ग) उस दूध का क्या होता है जिसका भुगतान किया जा जुका होता है और उसका संभरण नहीं किया जाता ; और

(घ) इस मामले में क्या कदम उठाये जायेंगे ?

†**खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है :

विवरण

संभवतः माननीय सदस्य दूध न लेने के कारण उपभोक्ताओं को दिल्ली दुग्ध योजना से वापस देय राशि का जिक्र कर रहे हैं । ऐसी देय राशि के भुगतान में विलम्ब अथवा भुगतान न किये जाने के बारे में शिकायतें मिल रही हैं और उनकी जांच की जाने पर यह

---

†मूल अंग्रेजी में

पता लगा है कि अधिकांश मामलों में उपभोक्ता ने रकम वापस लेने के लिये निर्धारित तरीका नहीं अपनाया है । छोटी रेजगारी की कमी कभी नहीं हुई है ।

कार्डों के नवीकरण के बारे मे दुग्ध कार्ड वालों को प्रत्येक महीने की २ और ९ तारीख के बीच अग्रिम अपने कार्ड नवीकरण के लिये रजिस्टर कराने पड़ते हैं और कार्डों को उस महीने की १३ तारीख से अगले महीने की १२ तारीख तक दूध के संभरण के लिये ३ और दस तारीख के बीच नया बना दिया जाता है । अतः उस अवधि में दूध न ले सकने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । दिन के अन्त में बिना बिका हुआ दूध केन्द्रीय डेरी में वापस लाया जाता है जहां इससे दुग्ध उत्पाद बनाये जाते हैं ।

दिल्ली में जल सम्भरण

†२५०६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार दिल्ली में पीने के पानी के संभरण को पूरा करने के लिये मुनाक से यमुना नदी में २०० क्युज़ेक पानी छोड़ने को सहमत हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या शर्तें हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख). पंजाब सरकार पहले के वर्षों की भांति पश्चिम यमुना नहर से, गर्मी के महीनों मे अन्तरिम व्यवस्था के तौर पर पीने के लिये दिल्ली को सीमित मात्रा में पानी देने को राज़ी हो गयी है, अर्थात् जैसे यमुना मे निकासी २०० क्युज़ेक से कम होगी, निगम पंजाब के प्राधिकारियों से मुनाक अथवा इन्द्री से पानी छोड़ने का अनुरोध करता है । यह व्यवस्था पश्चिम यमुना नहर फीडर परियोजना के पूरा होने तक चलेगी। इसके लिये पंजाब सरकार को दिल्ली नगर निगम द्वारा २.२० रुपये प्रति ६००० घन फुट जल के हिसाब से भुगतान करना पड़ेगा ।

नकली दवाइयां

†२५०७. **श्री अ० व० राघवन** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें देश में गलत ब्रांड की और नकली दवाइयों के बड़े पैमाने पर निर्माण और बिक्री का पता है ;

(ख) क्या वह गलत दवाइयों की रोकथाम की वांछनीयता पर विचार करेंगी ; और

(ग) क्या सरकार के समक्ष औषधि अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख). सरकार को देश में गलत ब्रांड की और नकली दवाइयों के बड़े पैमाने पर निर्माण और बिक्री का पता नहीं है । तथापि समय समय पर नकली दवाइयों के निर्माण के मामले सरकार के ध्यान लाये जाते हैं और इस कार्य में रत पक्ष के विरुद्ध राज्य और नियंत्र पदाधिकारियों द्वारा औषधि अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है । ऐसे मामलों मे जहां नकली दवाइयों के बनाने वाला उस राज्य से दूसरे राज्य में होता है, जिस राज्य में दवाई बेची जाती है, उस राज्य के, जिसमें दवाई बनाई जाती है, औषधि नियंत्रण प्राधिकारियों को स्थिति से अवगत करा दिया जाता है और आवश्यक कार्यवाही करने को कहा जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) औषधि अधिनियम में नकली दवाई बनाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था है । इन उबन्धों को ध्यान में रखते हुए, अवैध कार्यवाही को रोकने के लिये, औषधि अधिनियम में कोई और संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है । औषधि अधिनियम के अन्तर्गत प्रसाधन-सामग्री को लाने के लिये राज्य सभा द्वारा एक विधेयक पारित किया गया है और यह उचित समय पर लोक-सभा के समक्ष विचारार्थ रखा जायेगा ।

दिल्ली खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला

†२५०८. **श्री इ० मधूसूदन राव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में खाद्य-पदार्थों के परीक्षण के लिये एक प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ; और

(ग) क्या सरकार ने देश मे खाद्य अपमिश्रण को रोकने के लिये कोई ठोस कदम उठाये हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी, हां ।

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना में दिल्ली में राज्य स्वास्थ्य प्रयोगशाला की स्थापना के लिये ६ लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है । सरकार ने दिल्ली नगर निगम को प्रयोगशाला के निर्माण के लिये राजपुर रोड और अलीपुर रोड के जंक्शन पर २.३९ एकड़ भूमि दी है ।

प्रयोगशाला की तीन मंजिली इमारत के निर्माण के लिये ३,८४,७०० रुपये का प्राक्कलन तैयार किया गया है ।

(ग) जी, हां । खाद्य अपमिश्रण में रोक अधिनियम, १९५४ की धारा २३ और २४ के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा नियम बनाये गये हैं और अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जाती है ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सहायता से विभिन्न राज्यों में लोक-स्वास्थ्य प्रयोगशालायें स्थापित की गयी है। इन प्रयोगशालाओं का एक काम खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम, १९५४ के अधीन लिये गये खाद्य पदार्थों के नमूनों का परीक्षण करना है ।

प्रचार के लिये भी सामग्री तैयार करने के लिये, उदाहरणतः खाद्य अपमिश्रण मे रोक सम्बन्धी एक चित्र और जनता को स्वास्थ्य के बारे में बताने के लिये एक पुस्तिका तैयार करने के लिये भी, कदम उठाये गये हैं ।

खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिये सरकार सदैव प्रयत्न करती रही है । इस बारे में योजना आयोग द्वारा स्थापित की गयी एक उपसमिति ने खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम, १९५४ में संशोधन करने के लिये कुछ सिफारिशें की हैं। उप-समिति की ये सिफारिशें विचाराधीन हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

दिल्ली में दूध में मिलावट

२५०९. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में जो बाहर से दूध बेचने वाले आते हैं वे जब मिलावट के अपराध में पकड़े जाते हैं तो अपना गलत नाम और पता बता देते हैं और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार जो बाहर से दूध बेचने आते हैं उनको किसी किस्म का परिचय-पत्र लेने पर ही बेचने का अधिकार देने की व्यवस्था करेगी ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) बिना लाइसेंस के दूध बेचने वालों से जब दूध के नमूने लिये जाते हैं तो वे कभी कभी अपना गलत नाम व पता बतला देते हैं ।

(ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, १९५५ के नियम ५० (१३) के अनुसार घूमने वाले मंडर की बांह पर, जिसे इन नियमों के अधीन लाइसेंस दिया गया हो, एक धातु का बैज बन्धा हुआ होना चाहिये जिस पर उसका लाइसेंस नम्बर, उन वस्तुओं के नाम जिन्हें बेचने का उसे लाइसेंस दिया गया है, उसका नाम तथा पता एवं उसके मालिक (यदि कोई हो तो) का नाम तथा पता जिसके लिये वह काम कर रहा हो अंकित होना चाहिये । यदि राज्य सरकार अथवा स्थानिक अथारिटी द्वारा अपेक्षित हो तो धातु के बैज के अतिरिक्त मेडर के पास उसकी फोटो तथा लाइसेंस नम्बर सहित एक परिचय-पत्र होना चाहिये । उपर्युक्त नियमों के अधीन इस परिचय पत्र को प्रति वर्ष बदलना चाहिये ।

रेलवे में द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी

†२५१०. **श्री राम सेवक** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में द्वितीय श्रेणी के कितने, पदाधिकारी हैं और उनमें अनुसूचित जातियों के कितने व्यक्ति हैं ; और

(ख) सरकार १२½ प्रतिशत का अभ्यंश पूरा करने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क)

कुल संख्या	अनुसूचित जातियां
१६८७	२७

(ख) अभ्यंश ४-१-५७ के बाद रिक्त होने वाले स्थान का १२½ प्रतिशत है । यह संख्या १६४ होती है जब कि चयन के दौरान अनुसूचित जातियों के अनुभवी व्यक्तियों की कमी के कारण केवल २७ व्यक्तियों को ही पदोन्नत किया जा सका । यह अभ्यंश तभी पूरा किया जा सकता है जब अनुसूचित जातियों के कर्मचारी पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लें । इसमें शीघ्रता करने के लिये विशेष चयन बोर्ड बनाने आदि जैसे कुछ पग उठाये जाते हैं । चयन बोर्डों द्वारा अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के मामले पर सहानुभूतिपूर्ण रूप से विचार किया जाता है और जो स्तर पर नहीं होते उन्हें उस स्तर पर लाने के लिये अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और विनियोग लेखे

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) संविधान के अनुच्छेद १५१(१) के अन्तर्गत, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (असैनिक) १९६२ ।

(२) विनियोग लेखे (असैनिक), १९६०–६१ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये क्रमशः संख्या एल० टी०—१६७/६२ और १६८/६२]

पूर्वी पाकिस्तान में हुए उपद्रवों और उसके परिणामस्वरूप हुए प्रव्रजन के बारे में वक्तव्य

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य-मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैंने १२ मई को अप्रैल के महीने में मालदा में हुये दुर्भाग्यपूर्ण उपद्रवों, जिनमें कुल १४ व्यक्ति—९ होली के दिन मार्च में और ५ व्यक्ति १६ और २० अप्रैल को—मारे गये थे, के संबंध में एक काफी विस्तृत वक्तव्य दिया था । मुर्शिदाबाद जिले में कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी। आपको याद होगा कि तब पाकिस्तान के समाचारपत्रों में उन खबरों में काफी नमकमिर्च लगाकर बड़े बड़े अधिकारियों के आपत्तिजनक वक्तव्यों के साथ प्रकाशित किया गया था । उनके फलस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान के ढाका, राजशाही और अन्य कुछ जिलों में बड़े गम्भीर उपद्रव हुये थे। हमने उनके बारे में पाकिस्तान सरकार को विरोध पत्र भेजा था और पाकिस्तान सरकार को न्याय तथा व्यवस्था बहाल करने के लिये कुछ सक्रिय कदम उठाने के लिये कहा था। हमने अनुरोध किया था कि पूर्वी पाकिस्तान के दंगों में बेघर होने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास और अल्पसंख्यकों में पुनः आत्म विश्वास पैदा करने के लिये तुरन्त कदम उठाये ।

पाकिस्तान सरकार ने हमारा १२ मई के पत्र का उत्तर भेजा है। उसमें कुछ इस तरह कहा गया है जैसे पाकिस्तान में साम्प्रदायिक दंगे कभी शुरू ही नहीं हुये थे। वहां यदि कभी साम्प्रदायिक किस्म की कुछ घटनायें हुई भी हैं, तो भारत में होने वाली साम्प्रदायिक घटनाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप ही हुई थी । पाकिस्तान के उत्तर में यह तो स्वीकार किया गया है कि पूर्वी पाकिस्तान में हुई घटनायें थीं काफी गम्भीर किस्म की। उसमें दरसा और अन्य स्थानों की खास घटनाओं के बारे में, जिनके बारे में हमने उनका ध्यान आकर्षित किया था, कुछ भी नहीं कहा गया है। हां, उसमें उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में पाकिस्तान सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का विस्तृत विवरण दिया गया है। मैं उसका एक भाग सभा में पढ़कर सुनाता हूं :—

"राजशाही जिले से, और सीमा के उस पार मुसलमानों पर हुये अत्याचारों की प्रतिक्रिया स्वरूप जहां जहां भी तनातनी बढ़ गई थी, उन क्षेत्रों से आये हाल के समाचारों से पता चलता है कि पूर्वी पाकिस्तान में अब स्थिति बिलकुल सामान्य है और लगभग चार सप्ताह से ऐसी ही बनी है। वास्तव में, पूर्वी पाकिस्तान राइफिल्स की जो टुकड़ियां उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में भेजी गई थीं, अब धीरे धीरे वापस बुलाई

---

†मूल अंग्रेजी में

जा रही है। उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में लगभग १९०८ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। उपद्रवों के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावशाली कार्यवाही करने के लिये पुलिस बड़ी सरगर्मी से जांच पड़ताल कर रही है। अनेक व्यक्तियों को अभियोग पत्र दिये जा चुके हैं और हर रोज कई को अभियोग पत्र दिये जा रहे हैं। स्थानीय अधिकारी और उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों के मुसलमान अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के क्षतिग्रस्त और जले हुये मकानों को फिर से खड़े कर रहे हैं। राजशाही जिले में ऐसे ९० प्रतिशत मकान फिर से खड़े कर दिये गये हैं और ५० प्रतिशत से अधिक लूटी हुई सम्पत्तियां उनके मालिकों को लौटा दी गई हैं। ऐसे भी कई उदाहरण देखने में आये हैं जिनमें मुसलमानों ने कई स्थानों पर काफी जोखिम उठाकर भी अपने हिन्दू पड़ोसियों का बचाव किया था।"

इससे स्पष्ट है कि पूर्वी पाकिस्तान में काफी गम्भीर किस्म का उपद्रव हुआ था। पाकिस्तान सरकार ने उसे काबू में करने के लिये एक बड़े पैमाने पर फौज का इस्तेमाल किया था। हमें भय था, और भय काफी उचित भी था कि पूर्वी पाकिस्तान के अल्पसंख्यक एक बड़ी तदाद में भारत में प्रव्रजन करेंगे। मई के पहले तीन सप्ताहों में राजशाही स्थित हमारे कार्यालय (सहायक उच्च आयुक्त) में ४,००० से अधिक इच्छुक प्रव्रजक गये थे। बाद के समाचारों से पता चला है कि पाकिस्तान सरकार ने उनको गांवों में वापस जाने को राजी कर लिया है। ढाका से आये हाल के समाचारों से पता चलता है कि हमारे उप उच्च आयुक्त के पास प्रव्रजन के लिये २,००० व्यक्तियों ने प्रार्थनापत्र भेजे हैं। (प्रव्रजन प्रमाणपत्र केवल ढाका-स्थित उप-उच्च आयोग द्वारा जारी किये जाते हैं)। वह उनको आवश्यक सहायता दे सकता है। लेकिन मैं सभा को बतलाना चाहता हूं कि इस बार पूर्व से पश्चिम की ओर कोई बहुत बड़ी संख्या में प्रव्रजन नहीं हुआ है। हमें जांच करने पर पता चला है कि राजशाही जिले में हुये उपद्रवों के तुरन्त बाद पाकिस्तान से अल्पसंख्यक समुदाय के २०० व्यक्ति भारत में आये थे। उसके बाद मई में पश्चिमी बंगाल में ६०० से कुछ अधिक संख्या में लोग आये थे, जिनमें से ४०० के पास ऐसे प्रव्रजन प्रमाणपत्र थे, जो उपद्रवों से पहले जारी किये गये थे। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी बंगाल के बीच यात्रा करने वाले लोगों की संख्या देखने से ऐसा नहीं लगता कि उसमें कुछ असामान्यता हो। उदाहरण के लिये, अप्रैल के महीने में ११,६६४ हिन्दू पश्चिमी बंगाल में आये और १३,०१५ पश्चिमी बंगाल से पूर्वी पाकिस्तान गये थे। अप्रैल में १४,७७६ मुसलमान पश्चिमी बंगाल में आये थे और १४,२६४ पश्चिमी बंगाल से पूर्वी पाकिस्तान गये थे, मालदा में खूनखराबी की पाकिस्तानी पत्रों की अतिरंजित खबरों के बावजूद। मई महीने के पूरे आंकड़े मेरे पास नहीं हैं, लेकिन मई के पहले पखवारे में यात्रियों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी—केवल ६,४६४ हिन्दू आये और २,६७६ गये थे। मुसलमानों के संबंध में भी आंकड़ देखिये। वह और भी महत्वपूर्ण है। मई के पहल पखवारे में ६,४८७ मुसलमान पश्चिमी बंगाल से पूर्वी पाकिस्तान गये और ५,४३५ पश्चिमी बंगाल में आये थे। स्पष्ट है कि यदि पाकिस्तान के पत्रों में छपे अतिरंजित समाचारों में कोई सार होता तो ५,००० मुसलमान भारत में न आते। कम से कम उसी पखवारे में तो न आते जिसमें मालदा और मुर्शिदाबाद में दंगों और कत्लों की खबरें उड़ी थीं।

† **श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान में हमारे उच्च आयोग ने पाकिस्तान से आने के इच्छुक अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को सुविधायें देने से हाथ रोक लिया था, इस आधार पर कि वहां इतने अधिकारी नहीं थे जो उनका काम संभाल सकें ? मेरी

†मूल अंग्रेजी में

सूचना तो यह है कि भारत सरकार ने और अधिक प्रव्रजन के भय से उनको जानबूझ कर भारत आने मे रोक दिया था। क्यों ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : ढाका स्थित हमारे उच्च आयोग ने पूरी जांच के बाद ही प्रव्रजन प्रमाणपत्र जारी किये हैं। उन्होंने न सुविधायें दी और न रोकीं। फिर भी भारत में अधिकारी बाद में इस पर विचार कर सकते हैं। लगता यह है कि लोगों ने एक बहुत बड़ी तादाद में प्रव्रजन प्रमाण पत्र मांगे थे, जिनमें स कुछ मामले विचाराधीन हैं। उनमें से बहुत स पाकिस्तानी अधिकारियों के समझाने पर अपने अपने गांवों को लौट भी गये थे। कारण जो भी रहा हो पाकिस्तान सरकार ने कुछ कदम तो उठाये थे। राजशाही और ढाका के उपद्रवों के बाद, पाकिस्तानी अधिकारियों ने उसे खत्म करने और लोगों को बसाने तथा उनके लिये मकान खड़े करने के लिये फौज की सहायता ली थी। शायद उनकी वजह से कुछ लोग गांव से वापस लौट आये थे। जो भी हो, यहां जो ४०० व्यक्ति आये उनके पास उपद्रवों से पहले जारी हुये प्रमाणपत्र थे। इसलिये उपद्रवों से उसका कोई संबंध नहीं लगता। कुछ समय बाद २०० व्यक्ति बिना प्रमाणपत्रों के आये थे इसलिये यह आरोप उचित नहीं मालूम पड़ता कि भारतीय उच्च आयोग ने लोगों को भारत आने से रोका है। यह सही है कि हमने उनको यहां आने के लिये उत्साहित नहीं किया। यह नहीं कहा कि प्रमाणपत्र हों या न हों, भारत में आ सकते हो। वह तो गलत बात होगी। जाती तौर पर, मुझे तो ताज्जुब ही हुआ कि इतना सब उपद्रव होने के बाद भी भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत में इतना मामूली सा प्रव्रजन हुआ है। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी बंगाल के बीच एक से दूसरी जगह आने वाले यात्रियों की संख्या काफी रहती है।

†**श्री बदरुद्दुजा** (मुर्शिदाबाद) : क्या मालदा में २२ मार्च, १९६२ को छः मुसलमान जिन्दा जलाये गये थे, तीन को इतना पीटा गया कि वे मर गये थे और एक आठ वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार किया गया था, और बाद में १६ अप्रैल को कई व्यक्तियों को पीट-पीटकर मार डाला गया था और इसलिये मालदा से मुसलमान एक बड़ी संख्या में भागे हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य जिन्दा जलाये जाने की बात कहते हैं। उस दुखपूर्ण घटना का कारण यह था कि एक जलती हुई छत उन लोगों पर गिर पड़ी थी। उनको जलाया नहीं गया था, बल्कि एक जलते हुये घर की छत उनके ऊपर गिर पड़ी थी। इसका कुछ प्रभाव तो पड़ा ही होगा, लेकिन इतना तो नहीं पड़ा कि एक बड़ी तादाद में लोग भागना शुरू कर देते। मैंने दोनों ओर से होने वाले प्रव्रजन की एक तसवीर आपके सामने पेश कर दी है।

†**श्रीमती रेणुका राय** (मालदा) : माननीय सदस्य ने अभी जो प्रश्न पूछा था, उसके संबंध में क्या सरकार को जानकारी है कि मालदा में मरे उन व्यक्तियों में सभी मुसलमान नहीं, बल्कि लगभग पांच हिन्दू भी थे ? क्या प्रधान मंत्री जी ने जो संख्या बताई है उसमें हिन्दू भी शामिल नहीं हैं ? वह साम्प्रदायिक दंके जैसी कोई घटना नहीं थी।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी, नहीं। जहां तक हमारी जानकारी है, मालदा में १४ व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, जो सभी मुसलमान थे, जिनमें से ९ होली के दिन २२ मार्च को, और ५ बाद में १६ से २० अप्रैल के बीच मरे थे। उन ९ व्यक्तियों में ५–६ वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो जलती हुई छत ऊपर गिरने के कारण मरे थे। मेरा ख्याल है कि उनमें कोई भी हिन्दू नहीं था।

---

†मूल अंग्रेजी में।

अनुदान की मांगें—जारी

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय—(जारी)

†**अध्यक्ष महोदय** : अब निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय की अनुदान सम्बन्धी मांगों पर विचार होगा। साथ ही उन पर प्रस्तुत हुए कटौती प्रस्तावों पर भी विचार किया जायेगा।

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : बहुत से माननीय सदस्यों ने पुनर्वास मंत्रालय में किये गये मेरे काम की प्रशंसा की है, मैं उन का आभार मानता हूं। इस विवाद के दौरान में कई माननीय सदस्यों ने रचनात्मक सुझाव दिये हैं, मैं उन सब का परीक्षण करना चाहता हूं। कुछ माननीय सदस्यों ने छींटाकशी भी की है। पुनर्वास के कार्य को ठीक प्रकार से समझने के लिये हमें १९४७ के उस दुर्भाग्यपूर्ण चित्र को सामने लाना होगा जबकि एक करोड़ लोगों को अपने घर से बेघर होना पड़ा था। मेरे विचार में सारे इतिहास में इस प्रकार की भयानक समस्या किसी भी देश के सामने नहीं आई। इतने अधिक लोगों के पुनर्वास का व्यय केन्द्रीय राजस्व में से देना पड़ा और इस पर ४०० करोड़ रुपया खर्च करना पड़ा। जब लाखों लोग दुखी: हृदयों से घर बार छोड़ सीमा पार कर भारत आ रहे थे, उस समय उन्हें बसाने के उद्देश्य से ही पुनर्वास मंत्रालय की स्थापना की गयी थी।

यद्यपि भारत सरकार के स्थायी मंत्रालय हैं, परन्तु पुनर्वास मंत्रालय आपातकालीन समस्या को हल करने के लिये था। १९४७-४८ की बात है, १४ वर्ष व्यतीत हो गये हैं। पश्चिमी पाकिस्तान से आये लोगों की सहायता और पुनर्वास का कार्य पूरा हो गया है, क्योंकि यहां से लोग गये भी और आये भी। इन लोगों की समस्यायें लगभग हल हो चुकी हैं। पूर्व क्षेत्र में स्थिति इसके बिलकुल विपरीत थी। उन के पुनर्वास में इस कारण कठिनाइयां रही हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनसंख्या बहुत अधिक है तथा वहां और स्थान भी नहीं है। इधर विस्थापित आये भी एक साथ नहीं। पहिले १९४६-४७ में आये, फिर १९५० में नेहरू-लियाकत पैक्ट के समय आये और तीसरी बार १९५५-५६ में आये। कुल मिला कर ४२ लाख विस्थापित पूर्व पाकिस्तान से भारत आ चुके हैं। हमारा देश बापू गांधी का देश है और हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष है। हमें गौरव है कि हमारा व्यवहार बहु-संख्यक और अल्पसंख्यकों से एक जैसा है। पश्चिमी बंगाल, आसाम आदि से लोग पाकिस्तान गये भी तो हमने उन्हें वापिस बुला लिया और उन की सम्पत्ति उन को वापिस दे दी। इस के अतिरिक्त उन्हें वापिस बुला कर उन्हं पुन: बसाने के लिए खुले दिल से आर्थिक सहायता भी दी। दूसरी ओर की स्थिति भिन्न रही। बहुत कम हिन्दू पाकिस्तान वापिस गये। जब नेहरू लियाकत करार हुआ था उस समय बंगाल में २५ लाख हिन्दू थे। १९५०–१९५७ तक १७ लाख हिन्दू और पश्चिमी बंगाल में आ गये। अब हिन्दुओं की कुल संख्या ४२ लाख हो गयी। इस परिस्थिति में पुनर्वास का कार्य अत्यन्त कठिन हो गया। हमारे पास कोई निष्क्रान्त सम्पत्ति भी कोई नहों थी, हर बात नये सिरे से आरम्भ करनी पड़ी। जन संख्या भी बढ़ गई और बेकारी भी। जो कुछ हम से हो सका वह हम ने किया। यद्यपि हमें उस मात्रा में सफलता प्राप्त नहीं हुई जितनी कि होनी चाहिये थी। अब विस्थापितों के पुनर्वास के लिये दण्डकारण्य योजना चालू की गई है और बहुत से शरणार्थी वहां जा रहे हैं। लगभग ६ मास हुए मैंने यहां पर विस्थापितों को बसाने की समस्या पर उड़ीसा, आसाम की सरकारों तथा त्रिपुरा के प्रशासन से बातचीत की। यहां के विस्थापितों की समस्यायें भी लगभग हल हो गई हैं। परन्तु पश्चिमी बगाल की समस्या अभी पूर्णत: हल नहीं हो सकी। फिर भी काम इतना अधिक नहीं रहा कि उस के लिये एक पूरे मंत्रालय की आवश्यकता हो।

शरणार्थी शिविरों में लगभग १० लाख लोग रहते रहे हैं। इन की सहायता के लिये सरकार ने लगभग ५५ लाख से ६० लाख रुपया सहायता के रूप में खर्च किया। अब विस्थापित व्यक्तियों के

---

†मूल अंग्रेजी में

कोई कैम्प शेष नहीं हैं और मुआवजा इत्यादि के कोई भी प्रार्थनापत्र विचार हेतु नहीं पड़े हैं। भूतपूर्व पुनर्वास मंत्रालय का कार्य कम हो गया है। इसीलिये उसे खत्म कर के उस का शेष कार्य निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय को हस्तान्तरित कर दिया गया है। पुरानी नीतियां जारी रहेगी और शेष कार्य उसी प्रकार किया जाता रहेगा। उसे पूरा करने में लगभग दो या तीन वर्ष लगेंगे। २६ मार्च १९६२ को मैं ने डा० बी० सी० राय को भारत सरकार की ओर से एक पत्र लिखा था, जिसे मैं आप की अनुमति से पढ़ता हूं :—

"कुछ समय से भारत सरकार यह अनुभव कर रही है कि पुनर्वास मंत्रालय के पास समुचित मात्रा में कार्य नहीं है। यह तो आप को पता ही है कि पश्चिमी क्षेत्र के विस्थापितों के पुनर्वास का कार्य लगभग पूरा हो गया है। पूर्वी क्षेत्र में भी इस दिशा में काफी प्रगति हुई है। पूर्वी क्षेत्र में अब कोई भी केम्प नहीं है। इस में कोई सन्देह नहीं कि इस क्षेत्र के कार्य को पूर्णतः समाप्त करने में दो तीन वर्ष लग जायेंगे। परन्तु इस के लिये कोई खास जटिल समस्या को हल करने अथवा कोई नीति संबंधी निर्णय करने वाली बात नहीं है। दण्डकारण्य भी ठीक तरह चल रहा है। और उसके प्राधिकार को व्यापक अधिकार दिवे गये हैं।

हाल ही में मंत्रिमडल की बैठक में इन तमाम बातों का परीक्षण किया गया था। परीक्षण के पश्चात् यह निश्चय किया गया कि जो नई सरकार बनाई जायेगी उस में पुनर्वास मंत्रालय को समाप्त कर दिया जायेगा। और पुनर्वास मंत्रालय का कार्य एक एकायी के रूप में किसी स्थायी मंत्रालय के अन्तर्गत रख दिया जायेगा।

आप को लिखने का उद्देश्य यह है कि मैं आप को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि जो कार्य मंत्रालय कर रहा था उस में कोई बाधा नहीं आयेगी। और यह कार्य पूरी तत्परता और निरन्तरता से पूर्णतः की ओर बढ़ता जायेगा।"

मंत्रिमण्डल का यह निर्णय पुनर्वास मंत्रालय के इन्चार्ज की हैसियत से मैंने डा० बी० सी० राय को भेज दिया था। सामान्यतः भी मैं जब से भारत में आया हूं पुनर्वास के कार्य में मेरा अनुराग रहा है। और अब भी मैं यह कार्य पूरे अनुराग से करता रहूंगा। इस के साथ ही जो कुछ श्री भट्टाचार्य ने कहा है उस से मुझे बहुत दुःख हुआ। यह आरोप निराधार है कि पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के साथ भेदभाव बरता गया है जैसाकि उन की सहायता तथा पुनर्वास कार्य पर व्यय की गई कुल राशि से स्पष्ट है। मार्च १९६२ के अन्त तक हमने पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितों को बसाने के लिये १९२.४४ करोड़ रुपये खर्च किये हैं। पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापितों पर १८५.६४ करोड़ रुपया खर्च किया गया है। कुल मिला कर यह राशि ३७८.०८ करोड़ फैल जाती है १९६२-६३ में पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों के लिये २.५६ करोड़ रुपये की व्यवस्था है, जबकि पूर्वी पाकिस्तान से आये लोगों पर ११.६३ करोड़ रुपये की व्यवस्था है। स्थिति यह हो जायेगी कि अब तक पश्चिमी पाकिस्तान वालों पर १९५ करोड़ रुपये और पूर्वी पाकिस्तान वालों पर १९७.२७ करोड़ रुपये खर्च हुए। इस संदर्भ में यह बात भी याद रखने योग्य है कि पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले कुल लोगों की संख्या ४२ लाख थी। जबकि पश्चिमी पाकिस्तान से आने वालों की संख्या ४८ लाख थी। पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर ४११ रुपये खर्च हुए, जबकि पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति पर ४७९ रुपये खर्च हुए। हमें इस बात का कोई खेद नहीं है कि हमने पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले लोगों पर अधिक खर्च किया।

यदि पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को कोई प्रतिकर नहीं दिया गया है तो उस का कारण यह है कि नेहरू-लियाकत समझौते के अन्तर्गत उस देश के प्रव्रजक वहां अपनी सम्पत्ति बनाये रख सकते हैं। कैम्प में रहने वाले और कैम्प में न रहने वाले शरणार्थियों के बीच भी कोई भेदभाव नहीं बरता गया है। जसाकि आरोप लगाया गया है। ऐसा आरोप लगाने वाले माननीय सदस्य शायद नये हैं और उन्हें हमारे वार्षिक प्रतिवेदनों का पता नहीं। हमारे १९६०-६१ के प्रतिवेदन के पृष्ठ १५ में कहा गया है :

"कुल २२.७५ लाख शरणार्थी पुनर्वास सहायता प्राप्त कर चुके हैं उनमें से ६.६० लाख ऐसे लोग थे जो नियमित शिविरों में थे। बाकी के १६.१५ लाख बाहर के थे। वे शिविरों में नहीं रहते थे। ७७.३५ करोड़ रुपया कुल पुनर्वास पर खर्च हुआ। २०.८३ करोड़ रुपये शिविरों वालों पर; ५६.५२ करोड़ रुपया उन शरणार्थी लोगों पर हुआ जो शिविरों में नहीं रहते थे। ४२ लाख लोग पूर्वी पाकिस्तान से आये और १०.२५ लाख शिविरों में रहे। कर्जा देने और सहायता देने की बात अलग अलग है। पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को कर्जा देने के मामले में केन्द्रीय सरकार को शत प्रतिशत की हानि हुई है। सहायता पर भी सारा व्यय भारत सरकार ने किया है। मैं यदि चाहता तो यह सहायता बन्द कर सकता था। हमने ऐसा नहीं किया। मेरा मत है कि यदि इस मामले को राजनीतिक प्रश्न न बनाया जाता तो परिणाम अच्छा रहता। आप को देखना चाहिये मेरे मंत्रालय का मुख्यालय दिल्ली में न हो कर कलकत्ते में रहा है। मैं कलकत्ते में जा कर वहां के लोगों की सेवा के लिये सात वर्ष वहां रहा हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मुझे सभी जिम्मेदार पक्षों से पूरा सहयोग प्राप्त हुआ। मुझे पूरा विश्वास है कि शरणार्थी अपने स्थायी पुनर्वास के लिये दंडकारण्य चले जायगे।"

सुझाव दिया गया है कि ऋण माफ कर दिये जायें। इस के साथ यह भी मांग की गई है कि पश्चिम बंगाल की बाकी समस्या हल की जाये। तीसरा निवेदन यह है कि गैर-कैम्प विस्थापित व्यक्तियों को दंडकारण्य में ले जाया जाये। मैं मानता हूं कि पश्चिमी बंगाल में कुछ शरणार्थियों का पुनर्वास अभी नहीं हो सका। ऐसे व्यक्तियों का फिर बसाना भारत सरकार का मंत्री होने के नाते मेरा कर्तव्य है। मुझे यह भी बताया जाये कि उन्हें दंडकारण्य या पश्चिम बंगाल में बसाया जाये। धन तो भारत सरकार ने देना है, चाहे उन्हें किसी स्थान पर बसाना हो। उन को दोनों स्थानों पर तो बसाया नहीं जा सकता। इतने वर्षों के अनुभव के बाद मुझे यह मालूम हुआ है कि वे विस्थापित व्यक्ति भी जो कैम्पों में थे और भारत सरकार द्वारा दिये गये धन पर निर्भर करते थे, दंडकारण्य जाने से इन्कार करते हैं। लाखों व्यक्तियों में से केवल ५००० परिवारों ने दबाव आदि डालने के बाद वहां जाना मंजूर किया था। इसलिये उन व्यक्तियों में से जो आधे बस चुके हैं, अधिक व्यक्ति दंडकारण्य नहीं जाना चाहते। वे पश्चिम बंगाल में ही बसना चाहते हैं।

दस या १२ वर्ष पश्चिम बंगाल में रहने के बाद, दंडकारण्य जाना कम लोग ही पसन्द करेंगे। किन्तु यदि कोई पुनर्वास अधिकार वापस दे कर जाना भी चाहें, तो हम उन के मामलों पर विचार कर सकते हैं। किन्तु एक बात ध्यान में रखनी चाहिये और वह यह है कि दण्डकारण्य एक कृषि बस्ती है और शहरी लोगों को वहां नहीं बसाया जा सकेगा।

इस प्रार्थना को भी कि विस्थापित व्यक्तियों को जो करोड़ों रुपये का ऋण दिया जा चुका है माफ़ कर दिया जाये, विचार किया जा सकता है। किन्तु यदि ऋण को अनुदानों में परिवर्तित कर दिया जाये, तो यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिये कि आगे और ऋण नहीं मिलेंगे। अब तक ७०-

८० लाख रुपये ऋणों के रूप में दिये जा चुके हैं । यदि मांग यह है कि इन ऋणों को अनुदानों में परिवर्तित किया जाये तो यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिये कि आगे कोई ऋण नहीं दिये जायेंगे क्योंकि आज जो एक पैसा भी मैं देता हूं वह अनुदान के रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा ।

आधे बसे हुए लोगों के बारे में मैं यह स्थिति भी नहीं स्वीकार कर सकता कि उन्हें पश्चिम बंगाल में बसाया जाये, फिर दंडकारण्य ले जाया जाये, फिर ऋण और भूमि दी जाये और आज तक दिये गये ऋण भी माफ़ कर दिये जायें ।

कुछ सदस्यों ने उन अभागे व्यक्तियों की ओर निर्देश किया है जो पूर्वी पाकिस्तान में रह गये हैं । हम इस मानवी समस्या को दयाभाव से सुलझाना चाहते हैं । यदि भारत सरकार विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये ४०० करोड़ रुपये दे सकती है, तो इन अभागे लोगों की सहायता न करने का सवाल ही नहीं पैदा होता । किन्तु कुछ तथ्य ध्यान मे रखने चाहिये । नेहरू-लियाकत समझौते के अधीन, मुस्लिम तो भारत वापस आ गये किन्तु हिन्दू पूर्वी पाकिस्तान वापस नहीं गये । इस के अतिरिक्त १७ लाख व्यक्ति आ गये जिन को मिलाकर कुल संख्या ४२ लाख होती है । १९५५ और १९५६ में पूर्वी पाकिस्तान से ६ लाख विस्थापित व्यक्ति और आ गये थे । मैं स्वयं वहां गया था और मैं ने वहां लोगों को समझाया भी, किन्तु मुझे सफलता नहीं मिली ।

३१ अक्तूबर, १९५७ में दार्जिलिंग में आसाम, त्रिपुरा, बिहार, उत्तर प्रदेश, बम्बई, पश्चिमी बंगाल आदि राज्यों का सम्मेलन हुआ था । इस का निर्णय मंत्रालय की रिपोर्ट में दिया गया है । हम ने एक अन्तिम तिथि निश्चित की जिस के बाद नये प्रव्रजकों को पुनर्वास सहायता नहीं मिल सकेगी और यही हमारी नीति रही है ।

दुर्भाग्य से पिछले एक या दो महीनों में कुछ चिन्ताजनक घटनायें हुई हैं, जिन के बारे में प्रधान मंत्री ने वक्तव्य दिया है । मुझे इस का बहुत दुख है । यदि पाकिस्तान भारत के उदाहरण का अनुसरण करे, तो अल्पसंख्यकों के प्रति उन का रवैया बदल सकता है । मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान मेरे शब्द सुने । हम ने ५०० करोड़ रुपये की सम्पत्ति छोड़ी है और हमारे यहां निष्क्रान्त सम्पत्ति १०० करोड़ रुपये से अधिक नहीं । हमारा दृष्टिकोण रुपये का नहीं है, बल्कि मानवीय है । वहां अब बहुत हिन्दू नहीं रहे और निष्क्रान्त सम्पत्ति कानून पाकिस्तान में हटाया नहीं गया जैसाकि हम ने यहां किया है ।

राजस्थान के एक सदस्य ने मेवों के बारे में शिकायत की है । मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि इसी सरकार ने उन्हें पाकिस्तान से वापस बुलाया था और उन के २५,००० परिवारों को उन की सम्पत्ति जिसे निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित किया गया था, वापस की गई थी । हम ने २५,००० परिवारों को लाखों एकड़ भूमि दी है । सरकार एक दो हज़ार एकड़ भूमि के बारे में कभी संकोच नहीं करेगी । यदि माननीय सदस्य कुछ ऐसे मामले जानते हैं, जिन में राजस्थान सरकार ने मेरे आदेशों के अनुसरण में कार्यवाही नहीं की, तो वे उन्हें मेरे ध्यान में लायें, मैं उन की छानबीन करूंगा । मैं ने ४००० मामलों, ३ या ४ करोड़ रुपये की सम्पत्ति वापस करा दी है । १० करोड़ रुपये की सम्पत्ति मुसलमानों को वापस कर दी है । यदि श्री जवाहरलाल मुझे ४०० करोड़ रुपये दे सकते हैं तो कुछ करोड़ और भी दे सकते हैं । प्रतिकर तो दिया जाना है और धन भारत सरकार ने देना है । हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य है और उस का यह स्वरूप इस मंत्रालय के कार्यालयों से प्रमाणित हो सकता है । हम पाकिस्तान का अनसरण नहीं करते, बल्कि गांधीजी के पदचिन्हों पर चलते हैं ।

†**श्री का० रा० गुप्त** (अलवर) : गैर-दावेदार विस्थापित व्यक्तियों और पट्टादारों के बारे में क्या स्थिति है ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : वह धैर्य रखें । मैं ने कुछ छुपाना नहीं है ।

अब मैं पूर्वी पाकिस्तान की स्थिति को लेता हूं । मुझे डा० राय से आज एक पत्र प्राप्त हुआ है, जो मैं ने प्रधान मंत्री को भी दिखाया है । उन का भी यही विचार हैं कि पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले अभागे लोगों के लिये अवश्य कुछ करना चाहिये । मुझे उन से पूरी सहानुभूति है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन्हें सहायता दी जाये किन्तु हमें यह खयाल रखना होगा कि सहायता केवल उन को दी जाये, जो उचित प्रव्रजन प्रमाणपत्र ले कर भारत में आये । दूसरी बात यह है कि मैं कोई नये कैम्प खोलने का सख्त विरोध करता हूं । छोटे छोटे दान देने की प्रक्रिया भी समाप्त होनी चाहिये, क्योंकि लेने वाले निरुत्साहित हो जाते हैं, जैसाकि हम दंडकारण्य में देख चुके हैं । मेरा इरादा यह है कि सहायता तदर्थ रूप से उपयुक्त व्यक्तियों को दी जाये, क्योंकि हम नहीं जानते कि स्थिति क्या है और कितने व्यक्ति आयेंगे । हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते, जिस से स्थिति और भी बिगड़ जाये ।

मैं ५० वर्ष पाकिस्तान में रहा हूं और उस भाग में जहां प्रधान अयूब रहते थे । उस क्षेत्र में समुदाय के अध्यक्ष का यह कर्तव्य समझा जाता था कि अल्पसंख्यकों की रक्षा की जाये । मुझे खेद है कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं किया जा रहा और प्रधान अयूब अब पठान मर्यादा का पालन नहीं कर रहे । मैं चाहता हूं कि डा० खान साहिब अब जीवित होते । उन के अधीन हिन्दू, सिख, ईसाई आदि अपने आप को मुसलमानों की तरह सुरक्षित समझते थे । दूसरा महान पठान अब भी हैदराबाद के जेल में है । मैं चाहता हूं कि प्रधान अयूब यह समझें कि पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं को निकालन की नीति से कोई लाभ नहीं होगा । मैं आशा करता हूं कि बुद्धिमत्ता से काम लिया जायेगा और हमें स्वतंत्रता के १५ साल बाद उन लोगों के पुनर्वास का उत्तरदायित्व हम पर नहीं डाला जायेगा ।

भारत ही एक ऐसा देश है जिसे पुनर्वास की इतनी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा है । हमे संयुक्त राष्ट्र संघ से या किसी अन्य देश से एक पाई भी नहीं मिली । इसी तरह भारत ही एक ऐसा देश है, जो दूसरे देश में छोड़ी हुई शहरी अचल सम्पत्ति के लिये प्रतिकर देता है । प्रतिकर के लिए कुल ५,०४,०६१ आवेदन पत्र दिये गये थे । १ मई, १९६२ तक ४,९९,३८६ आवेदन पत्रों को निपटाया गया है । इसी तरह ५ लाख प्रार्थना पत्रों से ४,६०० बाकी हैं । हम ने कुल १६८·८५ करोड़ रुपये का प्रतिकर दिया है—५९·५६ करोड़ नकद, ८४·६४ करोड़ सम्पत्ति के हस्तांतरण द्वारा और २४·६५ करोड़ सरकारी देयों की अदायगी द्वारा ।

एक आरोप यह था कि विक्रय पत्र नहीं दिये जा रहे । कुल ३९०,६७० सम्पत्तियों का निपटारा किया गया है और शेष ६०,००० हैं, जिन में विक्रय पत्र अभी नहीं दिये गये । इस का अर्थ है ३,३०,००० मामले निपटाये जा चुके हैं । हम ने विस्थापित व्यक्तियों को किश्तों द्वारा धन देने की सुविधा दी है और ये किश्तें १९५६ से शुरू होती हैं अर्थात् ७ साल । जब तक सारे देय चुकाये न जायें, विक्रय पत्र नहीं दिये जा सकते ।

श्री श्यामलाल सर्राफ ने जम्मू और काश्मीर के विस्थापित व्यक्तियों के बारे में कहा है, जिन्हें पुलिस और सेना की कार्यवाही के दौरान बहुत कष्ट उठाने पड़े थे । हम ने उन लोगों को देने के लिए राज्य सरकार को ६० लाख रुपये दिये हैं । जहां तक जम्मू और काश्मीर के प्रव्रजकों का संबंध है, उन के बारे में योजना ३ या ४ वर्ष पहले घोषित की गई थी और उसे क्रियान्वित किया जा रहा है ।

[**श्री मूल चन्द दुबे** पीठासीन हुए]

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री मेहरचन्द खन्ना]

पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और काश्मीर क्षेत्र से आने वाले ३० हजार परिवारों को पुनर्वास सहायता देने में ६ और ७ करोड़ रुपये के बीच राशि खर्च होगी। यह योजना कार्यान्वित की जा रही है और मेरा विचार है कि अनुदान या ८००० अथवा १०,००० परिवारों के लोक ऋण के समायोजनस्वरूप लगभग एक करोड़ रुपये पहले ही खर्च किये जा चुके हैं। शरणार्थी समस्याओं के बारे में भारत सरकार द्वारा नियुक्त समिति अभी काम कर रही है। दण्डकारण्य योजना कार्यान्वित की जा रही है। नये आव्रजकों के संबंध में मैंने सरकार की नीति स्पष्ट कर दी है।

अब मैं 'निर्माण-कार्य' के बारे में कहूंगा। इस विभाग में भ्रष्टाचार और अकुशलता के बारे में शिकायतें की गई हैं। संसद् सदस्यों को पर्दे, कुर्सियां और फर्नीचर को ले कर भी कुछ कहा गया है। संसद् सदस्यों के लिए एक 'संग्रह' निर्धारित है। इसी 'संग्रह' में मकान हैं। समिति के अध्यक्ष द्वारा इस का आवंटन किया जाता है। निर्माण कार्य, आवास और संभरण मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं है। कुछ मकान संसदीय कार्य मंत्री द्वारा आवंटित करने के लिये रखे गये हैं जो उनके द्वारा सभा के नेता और राज्य सभा के अध्यक्ष एवं लोक-सभा के अध्यक्ष से परामर्श के पश्चात् दिये जाते हैं। मैं इस समिति का भी सदस्य नहीं हूं। मेरे पास सीधे कोई बात नहीं है। गृह-आवास समिति शिकायतों पर विचार करती है। यदि सदस्यों को कोई शिकायतें हैं तो मेरी प्रार्थना है कि वे मुझे इस बारे में लिखें और मैं उन्हें सन्तोष प्रदान करूंगा। इसके लिये कोई औचित्य नहीं हो सकता है कि इस मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली वस्तुएं असन्तोषजनक होते हुए भी उनका किराया अधिक है। मैं इन विषयों की जांच करूंगा।

मुझे कांस्टीट्यूशन हाऊस और वेस्टर्न कोर्ट से भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मैं इन दोनों स्थानों में गया था। श्री जगन्नाथ राव नार्थ और साऊथ एवेन्यू गये थे।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (रामगंज) : सब बंगले मंत्रियों के बंगलों की तरह होने चाहियें।

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : यह संभव नहीं है। यदि सब ७५० सदस्यों को मंत्रियों के समान बंगले मिलें तो सरकारी कर्मचारियों को कहीं अन्यत्र जाने के लिये कहना पड़ेगा। किन्तु सब सुविधायें और आराम देने का प्रयत्न किया जा रहा है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि जब तक रिहायश की स्थिति संतोषजनक और स्वच्छतापूर्वक न हो, वे मंत्री हों या सदस्य, अपना कार्य भली भांति नहीं कर सकते हैं। जिन भूतपूर्व सदस्यों ने अभी तक फ्लैट खाली नहीं किये हैं उनके प्रति अधिक कठोरता का व्यवहार करना उचित नहीं होगा। वे पांच या दस वर्ष तक हमारे साथी रहे हैं और हम अभी कुछ प्रतीक्षा कर सकते हैं। कांस्टीट्यूशन हाउस में ४२ कमरे बनवाये थे, इनकी संख्या के बारे में मैं निश्चित नहीं हूं। इन में से केवल २६ कमरों का ही उपयोग किया गया और शेष खाली हैं।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : हाऊसिंग विभाग ने तो कहा है कि कांस्टीट्यूशन हाऊस पूरा भरा हुआ है। मैं इसका साक्षी हूं।

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : मैं माननीय सदस्य के कथन का खण्डन नहीं कर रहा हूं। मैं इस विषय की जांच करूंगा। कांस्टीट्यूशन हाऊस में अभी तक कुछ कमरे खाली नहीं किये गये हैं।

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : कुछ मंत्री भी ऐसे हैं जिन्होंने अपने बंगले खाली नहीं किये हैं।

श्री मेहरचन्द खन्ना : जब तक मैं यहां बैठा हूं तब तक मंत्रियों के बंगले तो आप को मिल नहीं सकते। मेरे जाने के बाद जो कुछ हो। आप मंत्रियों को मेरे ऊपर छोड़ दीजिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रामसेवक यादव : कुछ मंत्री हालांकि चुनाव में हार गये हैं लेकिन अभी तक सरकारी बंगलों पर कब्जा किये हुए हैं। उन से यह बंगले खाली क्यों नहीं कराये जा रहे हैं ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : मेरी बिरादरी की बात छोड़ो, तुम अपनी बिरादरी की परवाह करो ।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : सैकुलर स्टेट में यह बिरादरी कहां से आ गयी ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : आप तो राजस्थान से आ रहे हैं।

श्री यशपाल सिंह : मैं मुजफ्फरनगर से आया हूं।

श्री मेहरचन्द खन्ना : अरे आप तो स्वतंत्र हैं। आप ने क्या करना है। बस जाने दीजिये। मुझे आप क्या कहेंगे ? मैं तो आप का कुश्ता हूं। मैं ने झंडा उठाया। मैं ने मुस्लिम लीग का मुकाबला किया, अंग्रेज का मुकाबला किया और शरणार्थी हो कर आया। इस देश को मैं सैकुलर न समझूंगा तो क्या आप समझेंगे ? मुझे तो लज्जा आती है जब मैं आप की तरफ के लोगों को हिन्दू राष्ट्र का नाम लेते सुनता हूं। जाने दीजिये आप सैकुलरिज्म क्या समझेंगे ?

श्री रामसेवक यादव : कांग्रेस का भी क्या आप ने मुकाबला किया ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : मैं ने सब कुछ किया। मुझे तो खैर अकल आ गई लेकिन तुम्हें इस तीस वर्ष में आज तक अकल नहीं आई। अरे इधर आ जाओ वहां रहने से कुछ नहीं बनेगा।

श्री यशपाल सिंह : हम भी बादशाह खां के साथ जेल में रहे हैं। हमेशा अंग्रेज के मुखालिफ रहे हैं।

श्री मेहरचन्द खन्ना : यह तो नजर आ रहा है। यहां बैठे हैं।

श्री यशपाल सिंह : जब हम जेल में थे तब आप रुपया कमाते थे।

श्री मेहरचन्द खन्ना : जब मैं मुस्लिम लीग की जेल में था तब आप हिन्दुस्तान का बंटवारा कर रहे थे। अब इस में ज्यादा बातें करने से क्या फायदा है। मैं जानता हूं कि आप बड़े बहादुर हैं और नजर भी आ रहा है कि आप बड़े बहादुर हैं।

†**सभापति महोदय** : शान्ति, शान्ति। इस प्रकार की चर्चा इस भाषण के बीच में नहीं होनी चाहिये।

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : मैं लोक निर्माण विभाग के बारे में कुछ शब्द कहूंगा। यह कथन कि विभाग में भ्रष्टाचार नहीं है गलत है। भ्रष्टाचार आजकल तुलनात्मक अवस्था है। लोक निर्माण विभाग एक व्यापक विभाग है; यह सारे भारत में फैला हुआ है और कार्य का परिमाण भी इसके पास अधिक है। डाक तथा तार विभाग और खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने मेरे मंत्रालय से कर्मचारीवर्ग ले लिये हैं किन्तु निर्माण कार्य को वे ही कार्यान्वित कर रहे हैं। केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में भी मेरे मंत्रालय के कर्मचारी हैं किन्तु उन पर नियंत्रण गृह-कार्य मंत्रालय का है। अतः जब भ्रष्टाचार की बात चल रही है तो उन सब पर भी इसका उत्तरदायित्व है। जब तक हम कठोर जांच नहीं रखते तो अकुशलता दूर करने में हम सफल नहीं हो सकते हैं।

मान लीजिये, कलकत्ता में निर्माण कार्य चल रहा है तो मेरे मंत्रालय का अतिरिक्त मुख्य इंजीनियर वहां जायेगा; श्री पाटिल के काम पर उस मंत्रालय का मुख्य इंजीनियर जायेगा और

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

यदि श्री जगजीवन राम को डाकघर बनाना है तो उनका मुख्य इंजीनियर वहां जायेगा । इसी तरह केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में काम का दोहरापन है और जांच की कमी है जो एक वृहद् संगठन के लिये अत्यन्त आवश्यक है । इनके विभिन्न मंत्रालयों में प्रतिस्पर्द्धा की भावना उत्पन्न हो गई है । छः या सात मुख्य अतिरिक्त इजीनियर हैं किन्तु इन सब का मुख्यालय दिल्ली है । काम चाहे नेफा में हो अथवा मद्रास या बम्बई में, मुख्य इंजीनियर और अतिरिक्त मुख्य इंजीनियरों के मुख्यालय दिल्ली में ही हैं । इसका कारण यह बताया जाता है कि मुख्य इंजीनियर के साथ समुचित समायोजन बना रहना आवश्यक है ।

मैंने अपने सहयोगी मंत्रियों को लिखा है कि इस कार्य के लिये पृथक्-पृथक् जोन होना चाहिये और प्रत्येक जोन का प्रभारी एक अतिरिक्त मुख्य इंजीनियर रहे । यदि कलकत्ता में किसी ठेकेदार के साथ मतभेद हो जाये तो संभवतः ठेकेदार को इतनी दूर दिल्ली आना पड़ेगा । अतः जोन बनाने या विकेन्द्रीयकरण करने की आवश्यकता है ताकि निर्माण कार्य की देखभाल की जा सके ।

आर्किटैक्ट्स अथवा "डिजाइन संगठन" में काम करने वाले व्यक्ति हम से प्रसन्न नहीं हैं । मैं यह नहीं कहता हूं कि वे मुख्य इंजीनियर से स्वतंत्र रहें किन्तु मेरा विचार है कि डिजाइन संगठन में उपयुक्त व्यक्ति होना चाहिये, उन में उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिए; निर्माण कार्यक्रम से उन्हें सम्बद्ध करने की आवश्यकता है ।

डा० खोसला विख्यात इंजीनियर और योजना आयोग के सदस्य हैं । इसी तरह सब इंजीनियर हैं । उन्होंने अनेक अच्छी और बुरी इमारतों का निर्माण किया है । इंजीनियरिंग विभाग को जो काम दिया जाये वे उसके लिए उत्तरदायी हैं । संसद् सदस्यों के लिये एक होस्टल की मांग है । उन्हें एक श्रोता-भवन और तैरने के तालाब की आवश्यकता है किन्तु वित्त मंत्रालय इससे सहमत नहीं है । उनका कहना है कि इन वस्तुओं की लागत के अनुसार उपभोक्ताओं की संख्या होना चाहिये। यदि ७५० सदस्य उस ऑडीटोरियम का उपयोग करें तो इसका निर्माण आवश्यक है । डा०खोसला ने कल मुझ से कहा है कि वह इन सब विषयों का अध्ययन करेंगे । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मुख्य इंजीनियर अत्यन्त ईमानदार, योग्य और कुशल व्यक्ति हैं । किन्तु यह कहना कठिन है कि उनके अधीनस्थ प्रत्येक इंजीनियर ईमानदार है । यदि ऐसा होता तो आज सतर्कता विभाग और विशेष पुलिस प्रतिष्ठान की आवश्यकता क्यों होती । हम मामले इनके पास भेजते हैं । सी० टी० ई० में निर्माण कार्यों का परीक्षण एक पदाधिकारी द्वारा किया जाता है । चार वर्ष पहले इस पदाधिकारी की नियुक्ति की गई थी गत तीन या चार वर्ष में इस ने २० या २५ लाख रुपये का कार्य किया है जबकि हम ने उस अवधि में ६० या ८० करोड़ रुपये का निर्माण कार्य किया है । अतः प्रभावशाली जांच के लिये हमें इस कार्यालय को अधिक सशक्त बनाना होगा ।

सन् १९५५ में जो नियम बनाये गये थे हमें उनका पुनरीक्षण करना है । ठेकेदारों को समय पर बिलों का भुगतान न करने की शिकायतें मिली हैं । मैं ऐसे मामलों के बारे में जानता हूं जो चार या पांच वर्ष से चल रहे हैं और अब मेरे मंत्रालय के विशेष पदाधिकारी और ठेकेदार के बीच मध्यस्थ के निर्णयाधीन हैं । यदि मामले इतने वर्षों तक तय नहीं हों तो ठेकेदार को रुपया कहां मिलेगा । इस प्रकार हमारी हानि होती है । दरें ऊंची हो जाती हैं । एक मामले में छः बार टेंडर मांगने पर भी कोई ठेकेदार तैयार नहीं हुआ । क्या व्यवस्था खराब है अथवा नियम समयानुसार नहीं हैं ? अतिरिक्त मुख्य इंजीनियर पर क्या उत्तरदायित्व निर्धारित करना है और वह किस प्रकार इस उत्तरदायित्व का निर्वाह करेगा ।

एक या दो और संगठन हैं जिन्हें उत्साहित करने की आवश्यकता है। म आपको एक या दो उदाहरश देता हूं ।

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम नामक एक संस्था की हम ने स्थापना की है। सारे देश में होने वाले निर्माण कार्य की देखभाल यह संस्था करती है लेकिन उन्होंने मुझे बताया है कि जब तक उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति नहीं मिलेगी तब तक वे अच्छी तरह काम नहीं कर सकते क्योंकि मख्य इंजीनियर का ही यह दायित्व रहेगा। मेरा विचार है कि यदि इस संस्था का अध्यक्ष कोई टेक्निकल आदमी होता है तो यह संस्था अच्छे ढंग से कार्य कर सकती है और काम भी अच्छा होगा।

मैं भारत सेवक समाज जैसे संघठनों को प्रोत्साहन देना चाहता हूं। यह इस विचार से चाहता हूं कि पुरानी प्रणाली में जहां कुछ लोगों के अपने हित हो गये हैं वहां नये ठेकेदार लाकर ठेकेदारों के एकाधिकार को समाप्त किया जाये ।

जैसे मैं कह रहा था यह एक बड़ा संघठन है। यह एक बहुत बड़ा विभाग है जो सारे भारत में फैला हुआ है। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय गृह मंत्री यहां हैं। यदि वे चाहते हैं कि काम अच्छे ढंग से हो, यदि हम सब चाहते हैं कि कड़ी निगरानी और कार्यकुशलता हो, तो मैं उन्हें भी सुझाव देता हूं कि सारे भारत में विभिन्न कटिबन्धों में जो अतिरिक्त मुख्य इंजीनियर हैं उन पर हमारा पूर्ण नियंत्रण होना चाहिये ।

सरकारी कर्मचारियों के लिए ३०,००० क्वार्टर हैं, जब कि आवश्यकता ९०,००० की है। जितना विस्तार सरकार और सरकारी कर्मचारियों का हुआ उतनी तेज़ी से निर्माण कार्यक्रम नहीं हुआ है। इस लिए सम्पत्ति निदेशक और भाग्यहीन मंत्री और उसके दो सहयोगियों पर लगातार बोझ रहता है। हमें बिना बारी के या उच्च प्राथमिकता के आधार पर क्वार्टर देने के लिए प्रति दिन बहुत पत्र आ रहे हैं। इस समस्या का यथार्थ में हल अपने निर्माण कार्यक्रम को तेज़ करने से होगा। इस वर्ष में ७,००० क्वार्टर तैयार होने की आशा है। हम १०,००० और क्वार्टर मंजूर कर रहे हैं। अपने निर्माण कार्यक्रम को तेज़ करने की कोशिश की जा रही है ताकि देहली, कलकत्ता या बम्बई में कमी पूरी हो सके। जब तक इन सरकारी कर्मचारियों को क्वार्टर नहीं दिये जाते जो कि पिछले दस या पंद्रह वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, तब तक बिना बारी के क्वार्टरों के लिये जोर रहेगा ।

दफ्तरों के लिए भवन निर्माण में भी वही स्थिति है। देहली में ४५ लाख वर्ग फुट की मेरी आवश्यकता है। मेरे पास ४० लाख वर्ग फुट है और उनमें से ५० प्रतिशत से अधिक पुराने हटमेंट में हैं जो कि युद्ध काल में बनाए गए थे। इसलिए अपने सहयोगियों और विभिन्न संघठनों के लिए आवास के लिए हमारे ऊपर लगातार ज़ोर रहता है। कई संघठनों को हमने जगह दी है जो कि सरकारी कार्यालयों के लिए थी। मैं उन मकानों को वापस नहीं लेना चाहता। यदि मैं कोई सीमा भी नियत करूं तो भी मैं अधिक स्थान नहीं दे सकता। क्योंकि मेरे पास कुछ देने को नहीं है। इस सम्बन्ध में भी मैं महसूस करता हूं कि हमें अपना निर्माण कार्य तेज़ करना पड़ेगा ।

मने यह निर्णय कर लिया है कि सरकारी कर्मचारी, उसकी पत्नी अथवा उसके बच्चों की गम्भीर बीमारी के मामलों को छोड़ कर कोई भी क्वार्टर बारी के बाहर नहीं दिया जाएगा ।

दुकानें देने के मामले में विभिन्न बस्तियों में सरकारी कर्मचारियों की लगातार मांग है कि सरकार को उपभोक्ता सहकारी संस्थायें चालू करने में उनकी सहायता करनी चाहिए। मैंने यह फ़ैसला कर लिया है कि सरकारी कर्मचारियों की बस्तियों में जब भी कोई दुकान खाली होगी

[श्री मेहरचन्द खन्ना]

गृह मंत्रालय से पूछा जाएगा और यदि मुख्य कल्याण पदाधिकारी किसी व्यक्ति या संस्था की सिफारिश करता है तो दुकान देने के मामले में उसे प्राथमिकता दी जाएगी। अन्यथा जो लोग सड़कों पर बैठे हैं, और ग्रहण करने योग्य हैं; उन्हें दुकान दे दी जाएगी।

कल गृह मंत्री के निवासस्थान के सामने बड़ा प्रदर्शन था। दो बजे वे मेरे पास आए और मैंने उनसे बात की। दुर्भाग्यवश देहली में अवैध रूप से लोग बैठ गए। यह चीज़ पश्चिमी बंगाल में भी हुई है। इस अवैध रूप से किसी स्थान पर बैठने के लिए शरणार्थी ही दोषी हैं। १४ या १५ वर्ष पहले यह बीमारी आरम्भ हुई। जब स्थानीय लोगों ने यह देखा कि शरणार्थी जिस स्थान पर चाहें बैठ जाते हैं तो हम ऐसा क्यों न करें। इस लिये देहली में कई झुग्गियां और झौंपड़ियां हैं। एक बार जब गणना की गई थी तो लगभग उनकी संख्या २५,००० थी। अब मुझे पता चला है कि कुछ गणना में नहीं गिने जा सके। इसलिए इनकी संख्या अधिक हो सकती है। इसलिए हमने गृह मंत्रालय की सलाह से फैसला किया है कि झुग्गी और झौंपड़ी वालों की ठीक से गणना की जाए। दूसरे एक रजिस्टर में ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की फोटो लगाई जाएगी। वैकल्पिक आवास केवल उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो जून-जुलाई में झुग्गियों और झौंपड़ियों में रह रहे थे।

यदि कोई गलती से रह जाए तो यदि वह हमें विश्वास दिलाएगा तो उसका नाम भी वैकल्पिक आवास दिए जाने के लिए शामिल कर लिया जाएगा। परन्तु सरकार की यह नीति है कि जो जून-जुलाई, १९६० के बाद में बैठा है, हम उसे कोई वैकल्पिक आवास नहीं देंगे उसे बेदखल कर दिया जाएगा।

इस समय भी संख्या ४० या ५० हजार है। उन्हें भूमि देने के लिए हमें ४ हजार एकड़ भूमि की आवश्यकता है। जब तक हम उन्हें ऐसे टुकड़े नहीं देते जिनका विकास हो चुका हो और यहां सब सुविधाएं हों, तब तक कुछ नहीं हो सकता।

हम प्रत्येक बस्ती में सब चीजों का विकास चाहते हैं। स्कूल, हस्पताल, डिस्पैंसरी, मार्किट इत्यादि सभी आवश्यकतानुसार बना दी जाएंगी।

झुग्गियां और झौंपड़ियां हटाने का काम क्षेत्रवार किया जाएगा। मैं सदन को आश्वासन दिलाता हूं कि जहां तक झुग्गी और झौंपड़ी वालों का मामला है, हमारी नीति सहानभूतिपूर्ण होगी। जो नीति बनाई गई है उसे पूरी तरह से कार्यान्वित किया जाएगा। अब जो लोग बैठना आरम्भ कर दें और देहली की शेष भूमि का लाभ उठाना शुरू कर दें उन्हें ऐसा करने नहीं देंगे। क्योंकि जब तक हम भूमि का संरक्षण नहीं करते न तो सरकारी कर्मचारियों के लिए मकान बन सकेंगे, न कार्यालयों के लिए और न ही थियेटर या सांस्कृतिक केन्द्र इत्यादि बनाए जा सकेंगे। इसके लिए देहली की प्रत्येक इंच भूमि का संरक्षण किया जाएगा। मैं यह आश्वासन देता हूं कि गन्दी बस्तियों और झुग्गी, झौंपड़ियों की समस्या को अगले तीन चार वर्षों में हल कर दिया जाएगा।

निकट भविष्य में मुख्य दलों, निगम, नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी, मुख्यायुक्त, देहली के संसद् सदस्य की एक बैठक बुलानी चाहता हूं और उन्हें अपना कार्यक्रम बताऊंगा और उनका सहयोग मांगूंगा ताकि यह प्रस्तावना जो कि कई लोगों को चिन्ता दे रही है कार्यान्वित की जाए।

योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार नहीं करती है। इस स्कीम का कार्यान्वयन नगर निगम ने करना हैं। हम निधियां दे देंगे। कार्यान्वयन में भी हम सहायता करेंगे।

सदन ने जो मेरी मांगों की ओर ध्यान दिया है और सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं मैं उनके लिये उनका आभारी हूं। यदि कोई बातें रह गई हों तो सदन यह न समझे कि मैं उनकी अवहेलना

करूंगा। मैं हर बात का अध्ययन कराऊंगा और आवश्यकतानुसार सरकार ध्यान देगी और सदस्यों ने जो अच्छे सुझाव दिये हैं हम उनसे लाभ उठाएंगे।

मुझे आशा है कि जो मांगें सदन के सामने प्रस्तुत हैं मतैक्य से पास कर दी जाएंगी।

†**श्री दीनेन भट्टाचार्य** (सेरामपुर) : सीलदाह में हजारों शरणार्थी बैठे हैं। हाल में ही उन्हें जाने के लिए कहा गया है। इनकी क्या हालत होगी ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : सीलदाह नई समस्या नहीं है। सीलदाह को पहले दो बार साफ किया है। तीसरी बार इसे साफ करने के लिए कहा गया है। सीलदाह में दो या तीन प्रकार के लोग हैं। बहुत से स्थानीय हैं। उनका उत्तरदायित्व राज्य सरकार पर है पुनर्वास मंत्रालय पर नहीं। कुछ परिवार ऐसे हैं जो पश्चिम बंगाल में सीटी छोड़ कर आए हैं। उन्हें उन पुनर्वास बस्तियों में वापिस लिया जा सकता है जहां से वे आए हैं। यदि और कुछ करना है तो उसकी जांच करने के लिए तैयार हूं और अतिरिक्त ऋण और निधियां देने के लिए भी तैयार हूं। कुछ और राज्यों से आए हुए हैं। वे अपने राज्यों को वापस जा सकते हैं। यदि यह विचार है कि जो लोग पश्चिम बंगाल में बसाए जा चुके हैं छोड़ कर सीलदाह आ जाएं, जो उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरे स्थानों में बसाए गए हैं वे भी छोड़ कर सीलदाह आ जाएं तो मैं यह मानने लिए तैयार नहीं।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : भारत सरकार द्वारा स्वीकार किए हुए सम्बाददाताओं से मकान नहीं लिए जाएंगे जिनमें वे रह रहे हैं, क्या माननीय मंत्री ऐसा आश्वासन देंगे ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : ६४ सम्वाददाताओं को ऐसे मकान दिए गए हैं जिनका उन्हें अधिकार नहीं। यह आवास सरकारी कर्मचारियों के लिए जो क्वार्टर हैं उनमें से लिए गए हैं। मेरे लिए यह कहना कि सारा जीवन वे वहां ही रहेंगे कठिन है।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : उतने समय के लिए जितनी देर वे देहली में काम करते हैं।

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : उनमें से कई बड़ी संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं। जैसे 'टाइम्स आफ इण्डिया', 'इण्डियन एक्सप्रेस' और 'हिन्दुस्तान टाइम्स' इनकी स्वामी बड़ी संस्थाएं उन्हें मकान क्यों नहीं दे सकते ? उनके पास ६४ मकान हैं। यदि श्री भट्टाचार्य मुझे दो बातें बताएं---(१) भविष्य में इन सम्वाददाताओं के लिए अतिरिक्त मकानों के लिए और मांग नहीं की जाए तो मैं इस मामले के उस पहलू पर विचार कर सकता हूं (२) दूसरे जिन सम्वाददाताओं के मकान देहली में हैं जब उनके मकान खाली हो जाएं और वे अपने मकानों में जाने के लिए तैयार हों, तो मैं मामले के उस पहलू पर विचार करने के लिये तैयार हूं। एक ओर तो आप कहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को मकान दिए जाएं, दूसरे मुझे उनके लिए स्थान देना है जिन्हें उसका अधिकार नहीं। मैं किसी के साथ भी सख्ती नहीं करनी चाहता। मने एक सम्वाददाता को जो श्री भट्टाचार्य के स्थान के हैं, एक मकान के साथ, रसोई भी दी है, क्योंकि उनके बच्चा होने वाला है। जो सरकारी क्वार्टरों में हैं जिनके लिए उनका अधिकार नहीं उन्हें मेरी कठिनाई भी समझनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस मामले में मेरा समर्थन करें। मैं किसी को भी सड़क पर नहीं फेंकना चाहता। मैं हर मामले को सही तौर पर देखूंगा। चाहे सम्वाददाता हो या और कोई मैं आवश्यकता के बिना सख्ती नहीं करना चाहता। परन्तु कुछ समय-सीमा

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मेहरचन्द खन्ना]

होनी चाहिए जब तक वे मकान रख सकें। कई इन मकानों में वर्षों के लिये रहे हैं। उन्हें इस मामले में मेरी सहायता करनी चाहिए। मैं उन्हें और सूचना तथा प्रसारण मंत्री से मिलने के लिए तैयार हूं। मैं समाचारपत्र के सम्पादकों की कान्फ्रेंस के सभापति को मिलने के लिए तैयार हूं। यदि कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे सम्वाददाताओं को आसानी से जगह दी जा सके, मैं उस पर विचार के लिए तैयार हूं।

†**श्री काशी नाथ पांडे** (हाता) : मैंने माननीय मंत्री का ध्यान गंगाखादर में रह रहे शरणार्थियों की बुरी हालत और सरकारी मुद्रणालय में काम करने वाले मजदूरों की ओर दिलाया। क्या माननीय मंत्री इस मामले की जांच करेंगे ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : मैं मुद्रणालय के जो मजदूर हैं उन्हें उनके लिए जो उचित चाहिए देना चाहता हूं। मैं उनके अधिकार छीनना नहीं चाहता। मैं अपने और मुद्रणालय के कर्मचारियों के सम्बन्ध ठीक चाहता हूं। मैं इन सब मामलों की जांच करूंगा। यदि कोई विशेष बातें हैं जिनकी ओर मुद्रणालय विभाग में ध्यान नहीं दिया जाता, मैं सबकी जांच करने के लिए तैयार हूं।

जहां तक गंगाखादर का सम्बन्ध है, यह मेरी बहुत बुरी परियोजनाओं में से हैं। हम पूरी कोशिश के होते हुए गंगाखादर में २०० या ४०० परिवारों को फिर से नहीं बसा सके हैं। हमने वहां उद्योग स्थापित करने की कोशिश की। दुर्भाग्यवश वह असफल रही। हम वहां और उद्योग स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर यह मामला उत्तर प्रदेश सरकार के साथ उठाने वाला हूं।

†**श्री मुहम्मद ताहिर** (किशनगंज) : क्या माननीय मंत्री को पता है कि पश्चिम बंगाल में कई मसलमान हैं जो पाकिस्तान नहीं गये और वे कलकत्ता में हैं। उन्हें विस्थापित कर दिया गया था। क्या माननीय मंत्री ने उनके पुनर्वास के लिये कार्यवाई की है ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : पश्चिमी बंगाल में दो तरह के मुसलमान हैं। एक तो वे जो पाकिस्तान गये और नेहरू-लियाकत समझौते के अन्तर्गत वापिस आ गये ? इस समझौते के अनुसार हमें उनकी अपनी सम्पत्ति उन्हें वापिस देनी थी। इसकी तिथि नियत थी। जिन्हों ने उस तिथि से पहले आवेदन पत्र भेजे — उनकी संख्या १३,००० है उन्हें उनके मकान दे दिये गये हैं। दूसरे वे मुसलमान हैं जो राज्य में ही विस्थापित हो गए। जब शरणार्थी आये उन्हों ने लगभग १००० या १२०० मकानों पर जो कलकत्ता के पास थे और हिन्दुओं और मुसलमानों की भूमि पर कबजा कर लिया। ऐसे ५० प्रतिशत मामलों में हम ने असली हिन्दु और मुसलमान स्वामियों को सम्पत्ति वापिस लौटा दी है। अब कलकत्ता के इरद गिरद थोड़े से हैं जहां हम सही कार्यवाही नहीं कर सके हैं। डा० वि० चं० राय पूरी कोशिश कर रहे हैं अब हमारे सामने दो रास्ते हैं। या तो हम शरणार्थियों को बाहिर निकाल कर भूमि को खाली करवाये और यदि यह सम्भव न हो तो मुसलिम स्वामियों को ठीक प्रति कर देने का रास्ता ही हमारे सामने रह जाता है। इस मामले पर मैं लगातार ध्यान दे रहा हूं।

सभापति महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

---

†मूल अंग्रेजी में :

सभापति महोदय द्वारा निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग	शीर्षक	राशि
		रुपये
९९	निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय	९६,२२,०००
१००	संभरण और निपटान . . .	२,३८,३२,०००
१०१	सरकारी निर्माण-कार्य . . .	२८,४८,१९,०००
१०२	लेखन-सामग्री और मुद्रण .	६,९८,०९,०००
१०३	विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	७,१८,९३,०००
१०४	निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	५७,९५,०००
१४१	सरकारी निर्माण-कार्य पर पूंजी व्यय . .	७,११,७५,०००
१४२	दिल्ली पूंजी व्यय	६,४६,३५,०००
१४३	निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय . .	१४,५९,३९,०००

गृह-कार्य मंत्रालय

†**सभापति महोदय** : अब सभा में गृह-कार्य मंत्रालय की मांगों पर चर्चा एवं मतदान होगा। जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें वे १५ मिनट के भीतर सभी कटौती प्रस्ताव पटल पर रख दें।

वर्ष १९६२-६३ के लिये गृह-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
४८	गृह-कार्य मंत्रालय .	२,९०,२७,०००
४९	मंत्रिमंडल . . .	२९,४७,०००
५०	क्षेत्रीय परिषद् . .	१,७६,०००
५१	न्याय प्रशासन . .	२,१०,०००
५२	पुलिस	५,३३,७०,०००
५३	जनगणना	७०,२५,०००

†मूल अंग्रेजी में

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
५४	आंकड़े	१,५६,४०,०००
५५	भारतीय राजाओं की निजी थैलियां व भत्ते	४,१२,०००
५६	दिल्ली	१२,०४,७०,०००•
५७	हिमाचल प्रदेश	८,६५,४२,०००
५८	अन्देमान व निकोबार द्वीप समूह	२,३२,९७,०००
५९	मनीपुर	३,५१,६०,०००
६०	त्रिपुरा	५,४९,८६,०००
६१	लक्कद्वीप, मिनी कोय व अमीनद्वीप द्वीपसमूह	२६,१८,०००
६२	गृह-कार्य मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	८३,५०,०००
१२८	गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	८३,२१,०००

†**श्री वासुदेवन नायन** (अम्वलपुजा) : राष्ट्रीय एकता का प्रश्न हमारे सामने है। इस सम्बन्ध में जो प्रतिक्रिया होगी उसके सम्बन्ध में जो नीति अपनाई गई है उसका हम पूरा पूरा समर्थन करेंगे। राष्ट्रीय एकता परिषद् द्वारा भाषा तथा शिक्षा में माध्यम के प्रश्न और विशेषतः साम्प्रदायिकता के प्रश्न की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त करने के बारे में किये गए निर्णय का स्वागत किया गया। यह समिति इन सभी मामलों की अच्छी तरह से जांच करेगी। देश में साम्प्रदायकिता और फूट डालने वाली शक्तियों का अन्त करने के लिए सरकार को कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

वैसे तो यह समिति भी राजनैतिक और विचारात्मक एकता लाने का प्रयत्न करेगी। अतः मेरा निवेदन है कि सरकार को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिये कि समिति की रिपोर्ट यथासंभव शीघ्र तैयार हो जाये और उस पर जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जाये।

राष्ट्रीय एकता के सदस्यों को जो प्रतिवेदन दिया गया है उस में क्षेत्रीय असमानता का भी उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय एकता के सम्बन्ध में कार्यवाही करते समय सरकार को जनता की वास्तविक शिकायतों पर भी गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। जनता यह महसूस करती है कि सरकार पिछड़े हुए क्षेत्रों की सहायता करने में बिल्कुल असफल रही है। सरकार को गम्भीरता से यह प्रयत्न करना होगा कि समस्त देश का विकास सन्तुलित ढंग से ही हो और और जब तक ऐसा नहीं किया जाता हम अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पायेंगे।

प्रशासन के क्षेत्र में भी हमें कुछ करना होगा जहां तक पुलिस की बात है। यह ठीक है कि यह राज्य सरकार का मामला है लेकिन फिर भी केन्द्र को इस मामले में व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा। साम्राज्यवाद के युग में पुलिस का बर्ताव बड़ा अमानवीय था लेकिन स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी पुलिस का रवैय्या वही चला आ रहा है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि पुलिस के

†मल अंग्रेजी में

प्रशासन में सुधार किया जाये। ताकि वह उस नये समाज के अनुकूल बन जाये जिसे कि हम बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हवालात और जेलों में पुलिस अब भी निम्नतम कोटि के तरीकों का प्रयोग करती है। विख्यात न्यायधीशों ने अपने फैसलों में पुलिस प्रशासन की घोर निन्दा की है।

ऐसा प्रतीत होता है मानों पुलिस द्वारा गोली चलाने की प्रत्येक घटना की न्यायिक जांच कराने से गृह-कार्य मंत्रालय सदा से ही बचने की कोशिश करता रहा है। अन्दमान में गोली चलाने की घटना की न्यायिक जांच करने के आदेश शीघ्रताशीघ्र जारी किये जाने चाहिये थे।

अन्य राज्यों में भी पुलिस नाना प्रकार की यातनाएं लोगों को देती है लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। पुलिस लोगों को थाने में ले जाकर पीटती है। कभी-कभी तो यह भी देखने में आया है कि लोगों की वहां मृत्यु तक भी हो गई है लेकिन सरकार ने इस बारे में कोई भी कार्यवाही नहीं की है।

विख्यात न्यायधीशों ने पुलिस की कार्यवाहियों के विरुद्ध फैसले किये हैं किन्तु फिर भी पुलिस के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है। और आज भी उसकी यातनाएं उसी रूप में जारी हैं। अतः मेरा निवेदन है कि गृह मंत्रालय अपनी ओर से एक पुलिस आयोग नियुक्त करे जो इस बात की जांच करे कि प्रत्येक राज्य में पुलिस का प्रशासन किस प्रकार हो रहा है। इससे देशसे में पुलिस के प्रशासन के बारे में एक नया वातावरण बन जायेगा।

सरकारी सेवा में नियुक्ति करने से पूर्व पुलिस द्वारा जो जांच कराई जाती है उसे तुरन्त ही बन्द कर देना चाहिये। क्योंकि यह प्रणाली लोकतन्त्र के बिल्कुल विरुद्ध है।

भारत सरकार में सहायकों की तरक्की के बहुत कम अवसर हैं। मंत्रालय को उनकी शिकायतों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिये। हमें केन्द्रीय सचिवालय में नियुक्तियों और तरक्कियों के सम्बन्धमें यथाशीघ्र संविहित नियम बनाने चाहिये।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की दशा बहुत ही शोचनीय है। तृतीय श्रेणी के पदों में कुछ स्थान इन लोगों के लिए सुरक्षित रखे जाये ताकि जो लोग मेट्रिक तक शिक्षा पाले उनको वे स्थान मिल सकें।

मद्रास को 'क' श्रेणी का नगर भी बनाया जाये।

काश्मीर में जोभारतीय प्रशासकीय सेवा के लोग कार्य कर रहे है उन्हें भी भारत के अन्य भागों में सेवा करने का अवसर दिया जाना चाहिये। क्योंकि वे पिछले २-३ वर्षों से वहीं काम कर रहे हैं।

आजकल सरकार बहुत सी केन्द्रीय सेवाओं का निर्माण कर रही है। मेरा विचार है कि बहुत अधिक केन्द्रीय सेवाओं का निर्माण विशेषकर, राज्यों के विषयों के सम्बन्ध में वांछनीय नहीं है। यह राज्यों की स्वायत्तता की भावना के विरुद्ध है।

†**श्री महीड़ा** (आनन्द) : गृह मंत्रालय का कार्य देश में विधि और व्यवस्था की स्थापना करना है। लेकिन देखने में आया है कि दिल्ली राजधानी में शान्ति तथा व्यवस्था की हालत बहुत खराब हो गयी है। गत कुछ वर्षों में नगर में अनेक विस्फोट हुए हैं। सरकार को अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री महीडा]

राष्ट्रीय एकता का काम मेरे विचार में ग्रामों से शरू करना चाहिये तभी हमें सफलता मिलेगी, ऊपर से काम शुरू करने से सफलता नहीं मिलेगी। इस प्रयोजन के लिए कुछ राष्ट्रीय नेताओं को गांवों में जाना चाहिये और इस सम्बन्ध में प्रचार करना चाहिये।

मध्य प्रदेश तथा कुछ अन्य राज्यों में डाकुओं के उपद्रव को नहीं रोका जा सका है इस सम्बन्ध में कठोर उपाय किये जाने चाहियें। गुजरात में पाकिस्तानियों के अनधिकृत प्रवेश को सक्रियता से रोका जाना चाहिये।

शास्त्र अधिनियम में संशोधन करना चाहिये और योग्य व्यक्तियों को शास्त्र देने में उदारता बरती जानी चाहिये विशेषकर ग्रामीण तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में। राष्ट्रीय राइफल संस्था जैसी संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

स्वातंत्र्य संग्राम में अपने जीवन की आहुति देने वाले व्यक्तियों को सरकार द्वारा सहायता दी जानी चाहिये तथा उनकी स्मृति में दिल्ली में एक राष्ट्रीय स्मारक बनाना चाहिये।

अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों को विकास कार्यों के अन्तर्गत कोई सहायता विशेष नहीं दी जाती। सरकार को आदिवासी लोगों के उत्थान की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये तथा उसके लिये अधिक धन की व्यवस्था की जानी चाहिये।

मद्य निषेध के बारे में सभी जगह समान नियम बनाने चाहियें। गुजरात और बम्बई राज्य में शराब पीना अपराध है जब कि दिल्ली में वह अपराध नहीं है। अतः मद्य निषेध कानून बनाना चाहिये जो देश के समस्त भागों पर लागू हो।

हिन्दी को हमारी राष्ट्र भाषा बनना है। इसके विकास के लिये मंत्रालय को पूरा पूरा प्रयत्न करना चाहिये। हिन्दी को लोगों पर थोपना तो नहीं है किन्तु धीरे धीरे इसका प्रयोग बढ़ाना है। संसद् सदस्यों को भी अपने भाषण हिन्दी में देने चाहिये। इसलिये मंत्रालय को हिन्दी के प्रयोग के लिये उपयुक्त कदम उठाने चाहिये।

जामनगर के सैनिक स्कूल में अंग्रेजी में परीक्षा ली जाती है जिसके कारण गुजरात के विद्यार्थी उसमें भाग नहीं ले सकते क्यों कि वहां ५वें स्टेन्डर्ड तक अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती। इस प्रकार वे सैनिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। मंत्रालय को इस बारे में भी कुछ करना चाहिये।

राजाओं से सम्बन्धित ऐसे मामलों की जांच करने के लिये जो न्यायालय में नहीं उठाये जा सकते व्योवृद्ध राजाओं की एक समिति बनानी चाहिये जो उन मामलों का निबटारा कर सके।

कुछ प्रशिक्षित एवं वैज्ञानिक लोग हैं जो बेकार हैं। सरकार को उनको नौकरी देने के लिये प्रयत्न करना चाहिये।

भारत की उत्तरी सीमा पर बहुत सी राजनैतिक कार्यवाहियां हो रही हैं। सरकार को चाहिये कि वह उत्तरी सीमान्त पर राजनैतिक कार्यवाहियों को कड़ाई के साथ दबाये इस मामले में किसी के साथ नर्मी नहीं बरतनी चाहिये।

मेरा अपना ख्याल यह है कि हम अपने लोकतंत्र में ऐसी कार्यवाहियों के लिये जरूरत से कुछ ज्यादा ही स्वतंत्रता दे रहे हैं। देश की प्रतिरक्षा के बारे में ऐसी राजनीतिक कार्यवाहियों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बाद में उनका नियंत्रण करना मुश्किल हो जायेगा। उत्तरी सीमाओं के बारे में पुलिस को अधिक सतर्क रहना चाहिये। जो लोग वहां होकर आये हैं, बताते हैं कि अभी वहां विधि

और व्यवस्था के क्षेत्र में बड़ी ढिलाई है। प्रतिरक्षा मंत्री को समय समय पर उन क्षेत्रों की जांच कराकर इस सभा को उनके परिणामों से सूचित करते रहना चाहिये

सरकार को ऐसे बम-ब्लास्फोटों के सम्बन्ध में अधिक मुस्तैदी और सख्ती से कार्यवाही करनी चाहिये। हमारी सरकार विदेशियों के साथ बड़ी ढिलाई बरतती आई हैं। इससे देश की सुरक्षा पर आंच आती हैं।

आशा हैं कि माननीय मंत्री इन बातों को ध्यान में रखेंगे।

†**श्रीमती रेणुका राय** (मालदा): बड़ी प्रसन्नता की बात हैं कि केन्द्रीय सरकार ने आखिरकार अखिल भारतीय सेवाओं की संख्या बढ़ाने का निश्चय कर लिया है और सांख्यकीय, आर्थिक, इंजीनियरिंग, वन, चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवायें बनाई जा रही हैं। मैं नहीं मानती कि इससे राज्यों की स्वायत्तता पर कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा। अखिल भारतीय दृष्टिकोण पैदा करना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को राज्यों में जाकर नया अनुभव प्राप्त करने और उसके बाद जब-तब दिल्ली आकर केन्द्र की नीतियों को समझने का अवसर मिलता रहेगा। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि अब कुछ राज्यों में जिला प्रशासकों को विशेष भत्ता दिया जा रहा है, जिससे कि राज्यों के प्रधान कार्यालयों में रहने वाले अधिकारियों के और उनके वेतनों में अधिक अन्तर न रहे। जिलों के स्तर पर काम करने वाले अधिकारी ही हमारे प्रशासन की रीढ़ हैं। इसलिये जिलों में हमारे सबसे अधिक योग्य और अनुभवी अधिकारी भेजे जाने चाहियें।

आदिम जाति क्षेत्रों और पिछड़े वर्गों के क्षेत्रों में सामाजिक कल्याण के कार्य से सम्बंधित प्रशासकों के बारे में एक कठिनाई यह है कि उन में ऐसे बहुत कम प्रशासक होते हैं जो समझते हों कि उन क्षेत्रों में किस प्रकार के प्रशासन की आवश्यकता है। आदिम जाति क्षेत्रों के लिये एक विशेष पदावलि तैयार की जानी चाहिये। तभी योजनाओं को सही ढंग से कार्यान्वित किया जा सकेगा।

सरकारी उपक्रमों में काम करने वाले हमारे अधिकारियों के प्रशिक्षण का और उनमें व्यावसायिक दृष्टिकोण पैदा करने का प्रयास किया जाना चाहिये। उनको सरकारी क्षेत्र के वास्तविक कार्य की शिक्षा दी जानी चाहिये। तभी सरकारी क्षेत्र के आलोचकों का मुंह बन्द होगा।

इस प्रतिवेदन में पाकिस्तानी राष्ट्रजनों के आसाम में अनधिकृत प्रवेश का उल्लेख किया गया हैं। सभा में इस पर पहले भी चर्चा हो चुकी है। तब भी कहा गया था कि इसे रोकने के लिये कार्यवाही की जानी चाहिये। इधर ऐसे अनधिकृत प्रवेश का आकार बहुत बढ़ गया है। प्रतिवेदन में इसे रोकने के लिये कुछ कदम उठाने की बात कही गई है। मेरा अनुरोध हैं कि माननीय मंत्री सभा को सूचित करते रहें कि उनकी कार्यान्वित के लिये क्या किया जा रहा है।

योजना आयोग ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू तथा कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिये कुछ राशियां दी हैं। लेकिन आश्चर्य है कि पूर्वी सीमान्त की ओर भी इतना ही ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा हैं? वह युद्ध की दृष्टि से ही नहीं वहां की जनता की दृष्टि से भी अत्यावश्यक है। उन क्षेत्रों में तरह तरह के प्रचार किये जाते हैं। उन प्रचारों का समुचित उत्तर तभी दिया जा सकता है जब उन क्षेत्रों का विकास होता चले। गृह-कार्य मंत्रालय इसकी ओर ध्यान दे रहा है। तिब्बत और चीन से मिलने वाली हमारी सीमा पर ऐसा प्रचार रोकने के लिये प्रचार से कुछ अधिक भी किया जाना चाहिये। केवल प्रचार से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उन क्षेत्रों की जनता बड़ी अज्ञानी है। इसलिये भोली जनता गलत बातों पर भी विश्वास कर लेती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती रेणुका राय]

अब दूसरा प्रश्न लीजिये। पिछड़े हुए वर्गों के बारे में एक संवैधानिक गारण्टी मौजूद हैं। वह गृह-कार्य मन्त्रालय के ही अधीन है। इसके लिये कई समितियां भी बनाई गई थीं। आदिम जाति खण्डों के लिये एल्विन समिति बनी थी और श्री ढेबर के सभापतित्व में एक आयोग भी नियुक्त किया गया था। उन्होंने प्रतिवेदन भी दिये हैं पर उनकी ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है।

गृह कार्य मन्त्रालय के इस प्रतिवेदन में इतनी महत्वपूर्ण समस्या के सम्बन्ध में भी केवल कुछ ही पृष्ठ दिये गये हैं। पहले एक सुझाव रखा गया था कि इसके लिये गृह-कार्य मन्त्रालय में अलग से एक विभाग स्थापित किया जाना चाहिये। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं कि यह गृह-कार्य मन्त्रालय के अधीन ही रहे। लेकिन इसको ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये।

अभी कल ही अस्पृश्यता के सम्बन्ध में एक गैर-सरकारी संकल्प आया था। मेरा अपना अनुभव यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों मे अभी भी अस्पृश्यता मौजूद है। जबकि संविधान में अस्पृश्यता को अपराध करार दिया गया है। मैं चाहूंगी कि माननीय मन्त्री हमें आंकड़े बतायें कि अस्पृश्यता के अपराध पर कितने लोगों पर मुकदमे चलाये गये हैं। और उन को किस प्रकार का दण्ड दिया गया है।

खैर, अस्पृश्यता की समस्या तो इतनी विशाल है लेकिन मेहतर जांच समिति के प्रतिवेदन मे दिये गये सुझावों को कहां तक कार्यान्वित किया गया है? आशा है कि गृह कार्य मन्त्रालय उनको शीघ्र ही कार्यान्वित करेगा। इससे अस्पृश्यता निवारण में भी सहायता मिलेगी।

इस प्रतिवेदन मे और प्लान प्रोजैक्ट समिति के प्रतिवेदन में भी कहा गया है कि पिछड़े हुए वर्गों की कसौटी क्रमशः आर्थिक बनती जा रही है। हमें इस कसौटी को लागू करने मे सावधानी से काम लेना चाहिये। कुछ लोग सोचते हैं कि आदिम जातियों के लोगों में कोई वर्ग नहीं होते। यह गलत है। उनमें भी कुछ अच्छी आर्थिक स्थिति मे हैं थोड़े शिक्षित भी हैं और उनको ही विकास के अधिक अवसर मिले हैं। मैं जानना चाहती हूं कि आर्थिक आधार पर वर्गीकरण करने की इस कसौटी को लागू कैसे किया जायेगा।

बड़े खेद की बात है कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के इतने वर्ष बाद भी हमारे यहां यह सामाजिक कलंक बना हुआ है। यदि यही रहा तो राष्ट्रीय एकता कैसे हो सकेगी?

इसलिये गृह-कार्य मन्त्रालय को इस पर थोड़ा और जोर देना चाहिये। इसके लिये अलग से एक विभाग बनाया जाना चाहिये। अन्यथा इन समितियों को सिफारिशों से लाभ हो क्या होगा?

योजना आयोग ने इन पिछड़े हुए वर्गों के सुधार के लिये केन्द्र और राज्यों के लिये ११४ करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इससे सिद्ध है कि उनकी दशा में सुधार करने की हमारी इच्छा है। तब फिर सभी समितियों और आयोग की सिफारिशों पर पूरा-पूरा ध्यान दिया जाना चाहिये।

अन्त मे, मैं पंचायती राज के बारे में एक दो शब्द कहना चाहती हूं। जहां तक अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों का सम्बन्ध है, कई स्थानों पर पंचायती राज ठीक से काम नहीं कर रहा है। प्लान प्रोजैक्ट समिति ने इसका ब्यौरेवार अध्ययन करके आदिम जातियों के लिये कुछ परित्राणों की व्यवस्था करने की सिफारिश की है। पंचायतों में आदिम जातियों और पिछड़े वर्गों के समुचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जानी चाहिये।

बड़ी प्रसन्नता की बात है कि गृह-कार्य मन्त्रालय अब इस समस्या की ओर पहले से अधिक ध्यान दे रहा है। अच्छा तो यही रहेगा कि इसके लिये अलग से एक विभाग स्थापित कर दिया जाये।

मैं इस मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करती हूं।

†**श्री शं० शा० मोरे** (पूना) : गृह-कार्य मन्त्रालय तो एक ऐसा मन्त्रालय बनता जा रहा है जिस को वे सभी विषय दे दिये जाते हैं जिनको अन्य कोई मन्त्रालय नहीं चाहता। इसीलिये मैं इसको अवशिष्ट मन्त्रालय कहता हूं।

इस मन्त्रालय के अधीन इतने विविध विषय हैं कि इसे अधिक समय दिया जाना चाहिये।

इस मन्त्रालय की सफलताओं पर कुल मिला कर मुझे सन्तोष है। लेकिन विषय इतने अधिक हैं कि गृह-कार्य मन्त्री सभी की ओर उचित ध्यान नहीं दे पाते कहीं साम्प्रदायिक दंगे हैं तो कहीं भाषाई चखचख, और कहीं प्रादेशिक विवाद हैं, तो कहीं जल के वितरण की समस्या।

राज्य-सीमा विवाद काफी महत्वपूर्ण बन गया है। राज्यों का पुनर्गठन तो १९५६ में हुआ था, लेकिन अभी भी उसको लेकर जब-तब विवाद उठते रहते हैं।

बिहार और बंगाल, बिहार और उड़ीसा, मैसूर और महाराष्ट्र के बीच ऐसे विवाद उठे हैं।

सरकार ने इन विवादों को हल करने के लिये क्या किया है ? इनको प्रादेशिकता की संकीर्ण भावना कह कर टाला नहीं जा सकता।

अब राष्ट्रीय एकता की बातें चल रही हैं। इस तरह के उपदेश देने से राष्ट्रीय एकता नहीं बनेगी जब तक इन विवादों को निबटाने की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक अव्यवस्था फैलने का खतरा बना ही रहेगा।

मैंने १९५६ में ही महाराष्ट्र के मराठी-भाषी क्षेत्रों को मैसूर में मिलाने के प्रस्ताव का विरोध किया था। मराठी-भाषी लोगों की एकता के लिये जरूरी है कि सभी मराठी-भाषी लोग एक ही राज्य में रहें। लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया था। इसीलिये महाराष्ट्रीय लोग शान्तिपूर्ण ढंग से इसके विरुद्ध प्रचार आन्दोलन चलाते रहे हैं। लोकतांत्रिक समाज में जनता के पास अपनी इच्छा प्रकट करने का यही एक तरीका है।

१९५७ में बेलगाम के कुछ लोग मांग कर रहे थे कि उसे महाराष्ट्र में मिलाया जाये। इसी आधार पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और अपने सभी प्रतिद्वंदियों को हरा दिया गया था। १९६२ के चुनावों में भी वही लोग विजयी हुए हैं जो बेलगाम को महाराष्ट्र में मिलाने के पक्ष में हैं। इसे अधिक दिन तक सहन नहीं किया जायेगा। केन्द्रीय सरकार को स्वयं ही साहस करके आगे बढ़ना और निष्पक्षता से इस समस्या पर विचार करना चाहिये। मैं नहीं चाहता कि एक ही पक्ष की बात सही मान ली जाये। लेकिन सही कौन है—इसका निर्णय करने के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है ? इस प्रकार के अन्याय के निराकरण का इलाज क्या है ? सभ्य समाज में हर अन्याय का कोई इलाज होना चाहिये।

परन्तु हमारी समस्या ऐसी है कि हमारे सामने कोई मार्ग ही नहीं है जिस पर चल कर हम इस अन्याय का निराकरण करा सकें। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि हमारी विनम्रता का ग़लत अर्थ लगाया गया है।

हमें सलाह दी जाती है कि भाइयों की तरह आपस में बैठ कर बातचीत करो और अपनी समस्या का हल निकाल लो। हम वह भी करके देख चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार और मैसूर सरकार की ओर से दो-दो प्रतिनिधि भेजे गये थे। लेकिन वे किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके थे। श्री पाटस्कर और श्री भट्ट ने अलग-अलग अपने-अपने प्रतिवेदन तैयार किये थे। वे शायद अब सरकार को मिल भी गये होंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : अभी नहीं ।

†**श्री शं० शा० मोरे** : तो जल्द ही मिलने वाले होंगे । इसलिये आपसी तौर पर बातचीत द्वारा मसला तय करने की बात तो निष्फल सिद्ध हो चुकी है ।

दूसरा मार्ग है कार्यपालिका के हस्तक्षेप का । केन्द्रीय सरकार मैसूर और महाराष्ट्र के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नाराज क्यों किया जाये । इसीलिये सरकार इसे टालती जा रही है । अच्छा तरीका तो यह होता कि मामला एक न्यायिक निकाय को सौंप दिया जाता ।

आश्चर्य की बात है कि इसके बारे में सीमा आयोग का सुझाव क्यों नहीं माना गया । इसी मामले को न्यायिक आयोगों के क्षेत्राधिकार से बाहर क्यों रखा गया है ? जल-विवादों को भी न्यायिक न्यायाधिकरणों द्वारा हल करने की व्यवस्था मौजूद है । नदी बोर्ड अधिनियम में भी यही बात कही गई है । लेकिन इस इतने महत्वपूर्ण मसले को न्यायिक न्यायाधिकरण को सौंपने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है ?

मैं गृह-कार्य मन्त्री को बताना चाहता हूं कि इस मसले को लेकर जनता के दिमाग में बड़ी उत्तेजना है । महाराष्ट्रियों और मैसूर के महाराष्ट्रीय लोगों के सामने यही प्रश्न सबसे अधिक महत्वपूर्ण और फौरी है । मैसूर के कुछ मित्र कहते हैं कि बेलगाम तो छः वर्ष से मैसूर राज्य के अधीन है । यदि इस तरह तर्क दिया जाये तो क्या काश्मीर का पाकिस्तान द्वारा दबाया हुआ क्षेत्र इतने वर्ष बाद अब पाकिस्तान का हो जायेगा ?

न्याय की यही मांग है कि केन्द्रीय सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और इस अन्याय का निराकरण हो ।

†**श्री बाकर अली मिर्जा** (वारंगल) : गृह-कार्य मन्त्रालय एक बड़ा महत्वपूर्ण मन्त्रालय है और गृह-कार्य मन्त्री बड़े शान्त, विनम्र और संयत स्वभाव के मन्त्री हैं ।

गृह-कार्य मन्त्री को देश की सभी जटिल से जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता है । और वह सचमुच बड़ी कार्य-कुशलता से उनको हल करते हैं । उन्होंने कचार की परिस्थिति, मास्टर तारा सिंह के अनशन से उत्पन्न परिस्थिति इत्यादि का बड़ी कुशलता के साथ सामना किया है ।

हमारे देश की जनसंख्या ४० करोड़ के करीब है । यदि हमारे यहां राष्ट्रीय एकता हो जाये तो हम इतिहास की धारा का रुख बदल सकते हैं ।

देश के विभाजन से देश के शरीर पर जो जख्म लगे हैं, वे अभी तक पूरी तरह भर नहीं पाये हैं ।

हमारे देश मे आज भी साम्प्रदायिक दल मौजूद हैं । राष्ट्रीय एकता का आन्दोलन तब तक सफल नहीं हो सकेगा जब तक हम साम्प्रदायिक दलों और संस्थाओं को छुट दिये रहेंगे । कुछ साम्प्रदायिक दल अपने प्रदेश को भारतीय संघ से बाहर निकालने की भी बातें करते हैं । ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिये ।

हम विभिन्नता में एकता की बात करते हैं । जहां तक जीवन के सत्य का सम्बन्ध है उसमें कहीं विभिन्नता नहीं है । सत्य एक है । विभिन्न धर्मानुयायी होने पर भी हम सत्य की खोज मे एक हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

एक दिन मैं गोल डाकखाने के पास गिरजाघर की तरफ खड़ा था। वहां एक किसान ने जब मदर मेरी की मूर्ति देखी तो श्रद्धा से उसका सिर झुक गया क्योंकि वह भारतीय था। उसमें इस प्रकार के संस्कार हैं।

साम्प्रदायिकता का झगड़ा शिक्षितों ने पैदा किया है। वे ही देश के सीधे सादे लोगों को भड़काते हैं। हमारा लक्ष्य एकता होना चाहिये अनेकता नहीं। उदाहरण के लिये मैं अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति हूं फिर भी चुनाव में सब लोगों ने मुझे वोट दिया चाहे वे किसी भी धर्म के अनुयायी हों। हम चार मुसलमान उम्मीदवार थे जिनमें से तीन जीते जब कि वोट देने वाले ९५ प्रतिशत हिन्दू थे।

कांग्रेस ने अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये अब तक पानी की तरह रुपया बहाया है फिर भी उनके अधिकतर वोट विरोध में गये। यही दशा पिछड़े वर्गों की है। इन लोगों के साथ इतनी रियायत करना ठीक नहीं है। भेदभाव केवल अन्याय से ही नहीं पक्षपात से भी बढ़ता है। मेरा तो यही कहना है कि इन लोगों के लिये जहां जहां रक्षित स्थान हैं वे सब समाप्त किये जाने चाहियें। देश मे एकीकरण तब ही हो सकेगा। यदि इतनी जातियां और उपजातियां बराबर चलती रहीं तो एकीकरण की भावना नहीं पनप सकती।

मेरे मित्र श्री त्रिवेदी और श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने पाकिस्तान से आये शरणार्थियों की बात कही है। लेकिन वे भी यह भी कहते हैं कि अल्पसंख्यकों की अदला बदली कर ली जाय। यदि पाकिस्तान में कोई अपराध करता है तो क्या इस का यह अर्थ है कि भारत के सब मुसलमानों को बाहर फेंक दिया जाय। हमे अनेकता की भावना छोड़ कर एकता पर बल देना चाहिये। अन्त में मुझे एक बात और कहनी है और वह है कि निवारक निरोध अधिनियम के बारे में। प्रजातन्त्र का यह मूल सिद्धान्त है कि प्रत्येक व्यक्ति पर खुली अदालत मे मुकदमा चलाया जाय। हमें आजादी हासिल किये चौदह वर्ष हो गये और हमारे यहां अब भी निवारक निरोध अधिनियम मौजूद है जिसके अधीन किसी भी व्यक्ति को हिरासत मे लिया जा सकता है। मैं गृह-कार्य मंत्री से अनुरोध करता हुं कि वे इस कानून को रद्द करने की जल्दी ही कार्यवाही करें।

श्री ओंकार सिंह (बदायूं) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय सरकारी सेवाओं में ऊंचे पदाधिकारियों के लिये जो आई० ए० एस० परीक्षाएं होती हैं उनका असर काफी अच्छा नहीं है। इसकी वजह से जब अपनी परीक्षायें देकर वे बहाल होते हैं और अपना कार्यभार सम्भालते हैं तो भली भांति सम्भाल नहीं पाते हैं। हमारे जो पिछले आई० सी० एस० लोग हैं उनकी योग्यता में और आज जो आई० ए० एस० की परीक्षायें देकर आते हैं उनमें जमीन और आसमान का अन्तर रहता है। इसलिये इस बात पर ध्यान देना चाहिये। हमारे आई० सी० एस० अफसर बराबर घटते जा रहे हैं और आज उनकी संख्या १९६ ही रह गयी है। मालूम ऐसा होता है कि उनके साथ साथ हमारे प्रशासन का कार्य भी घटता जा रहा है। इसके लिये ध्यान देना ही चाहिये।

साथ साथ इस बात पर भी ध्यान रहे कि आई० ए० एस० की परीक्षाओं का स्तर ऊंचा किया जाए और इस बात का भी ध्यान रहे कि हमारे अफसरों के अन्दर जो पुरानी नौकरशाही की भावनायें हैं वे भी कम हों ताकि वे सद्भावना से जनता की सच्ची सेवा कर सकें।

साथ साथ मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाना चाहता हूं कि काडर के मुताबिक २१४७ अफसर होने चाहिएं, लेकिन अभी तक सरकार अपने काडर को पूरा नहीं कर सकी है। अभी तक केवल १८२५ अफसर ही तैयार हुए हैं और इनका भी बटवारा समानता के साथ नहीं हुआ है। बाज बाज प्रदेशों का हाल तो बहुत ही बुरा है। दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में ३५ की संख्या होन चाहिए, लेकिन वहां १२ ही हैं। यानी एक तिहाई हैं। साथ ही साथ असम म ११७ के बजाए ८१ हैं।

[श्री ओंकार सिंह]

तो इस तरफ ध्यान देना चाहिये और साथ साथ इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये कि हमारे कैडर की संख्या पूरी क्यों नहीं हो रही है। अफसरों के पहुंचने में कोई दिक्कत है या सरकार की तरफ से कोई दिक्कत है। जो दिक्कत हो उसको दूर करना चाहिए।

साथ ही साथ मैं इस बात पर भी गृह-मन्त्रालय का ध्यान दिलाना चहता हुं कि राजनीतिक एकता कायम रखना उनका काम है। मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि अब तक जो कार्य चल रहे हैं उनसे फूट ज्यादा बढ़ रही है। सरकार को इस ओर भी कड़ाई के साथ ध्यान देना चाहिए।

एक चीज यह भी निवेदन करनी है कि जो हमारे राजनीतिक दल हैं उनमें जो सत्तारूढ़ दल है वह हमारे प्रशासन के कार्यों में बड़ा बाधक रहता है और वह समझता है कि संविधान में शायद उसको ही मौलिक अधिकार मिले हैं। इस तरफ भी ध्यान देना चाहिये ताकि न्याय में बाधाएं न उपस्थित हों।

साथ ही साथ मैं इस बात पर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो राजनीतिक दल हैं उनके पीछे बड़ी सी० आई० डी० लगायी जाती है। आचार्य कृपलानी ने भी शिकायत की थी कि उनके आगे पीछे इस किस्म की सी० आई० डी० लगी रहती है। यह कोई अच्छी बात नहीं है। सत्तारूढ़ दल को यह नहीं समझ लेना चाहिए कि देश सेवा का ठेका उन्हीं का है।

सरकार का ध्यान एक और बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि आज जो ८० प्रतिशत जनता ग्रामों में रहती है, किसान लोग, उनकी रक्षा ठीक से नहीं हो पा रही है।

श्री त्यागी (देहरादून) : यह बात ठीक है।

श्री ओंकार सिंह : इसमें दिक्कत यह है कि एक एक थाने में दो दो सौ गांव हैं और थाने में १६ सिपाही और दो तीन दरोगा होते हैं। वह उनकी रक्षा करने के लिए आज की दशा में कामयाब नहीं होते हैं। मेरा सुझाव है कि ग्रामवासियों की रक्षा के लिए सरकार लाइसेंसों की नीति को हलका कर दे ताकि ग्रामवासी लोग अपने आप अपनी रक्षा कर सकें और समय पड़ने पर देश की रक्षा के काम में भी आ सकें।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। आजादी से पहले कारतूसों का भाव ७ रुपया सैकड़ा था, लेकिन आज कारतूसों का भाव २५ रुपया प्रति सैंकड़ा है। कारतूसों का भाव गिराया जाए और साथ साथ लोगों को बन्दूक लेने की सुविधा मिले। और उनको बन्दूक चलाना सिखाया जाए ताकि वह स्वयं अपनी रक्षा कर सकें और समय आने पर देश की भी रक्षा कर सकें।

गृह-कार्य मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
४८	३	श्री वासुदेवन नायर	उम्मीदवारों के राजनैतिक विचारों के आधार पर उन्हें सरकारी नौकरी देने में पक्षपात	राशि घटा कर १ रुपया की जाय।
४८	४	श्री वासुदेवन नायर	संघ क्षेत्रों में पूर्ण प्रतिनिधि सरकार न बनाने की नीति	राशि घटा कर १ रुपया की जाय।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
४८	५	श्री वासुदेवन नायर	संघ लोक सेवा आयोग द्वारा लिये गये उम्मीदवारों की पुलिस द्वारा जांच	राशि घटा कर १ रुपया की जाय ।
४८	७	श्री रामसेवक यादव	भ्रष्टाचार और पक्षपात समाप्त करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४८	८	श्री रामसेवक यादव	हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं को सरकारी भाषा और शिक्षा तथा सरकारी सेवा के लिये प्रतियोगिता परीक्षाओं का माध्यम बनाने में असफलता	१०० रुपये
४८	९	श्री रामसेवक यादव	मनीपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश में उत्तरदायी सरकार बनाने में असफलता	१०० रुपये
४८	१०	श्री रामसेवक यादव	सभा में पिछड़े वर्ग आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४८	११	श्री शिवमूर्ति स्वामी .	पंचायत ग्रामों के प्रत्येक समूह में चलती फिरती अदालतें बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
४८	१२	श्री नम्बियार .	सरकारी कर्मचारियों के साथ विवादों को ह्विटले परिषद्, पद्धति लागू कर निबटाने का पूर्व कथन को क्रियान्वित करने में असफलता	१०० रुपये
४८	१३	श्री नम्बियार . .	आम हड़ताल में भाग लेने वाले पद-च्युत कर्मचारियों को फिर से नियोजित करने में असफलता	१०० रुपये
४८	१४	श्री नम्बियार . .	सरकारी सेवाओं में विशेष राजनीतिक विचारों के कारण कुछ पदों और पदोन्नतियों में पक्षपात	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
४८	१५	श्री नम्बियार	सरकारी सेवाओं में पूर्व परिचय की जांच के बारे में पुलिस रिपार्टों को दिया गया महत्व	१०० रुपये
४८	१६	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा के अल्पसंख्यकों को आवश्यक परित्राण और संवैधानिक गारंटी देने की आवश्यकता	१०० रुपये
४८	१७	श्री दशरथ देव	मई, जून और जुलाई, १९६१ में अमरपुर, त्रिपुरा, सब-डिवीजन में आदिमजातीय शरणार्थियों पर पुलिस द्वारा अत्याचार	१०० रुपये
४८	१८	श्री दशरथ देव	पाकिस्तान से आने वाले आदिम जातीय शरणार्थियों को त्रिपुरा अथवा अन्यत्र शरण देने की आवश्यकता	१०० रुपये
४८	१९	श्री दशरथ देव	आदिम जातीय योजना के मूल्यांकन की आवश्यकता	१०० रुपये
४८	२०	श्री शिवमूर्ति स्वामी	अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों में से अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की नियुक्ति	१०० रुपये
४८	२१	श्री रा० बरुआ	भारत में पाकिस्तानियां का अनधिकृत प्रवेश रोकने में असफलता	१०० रुपये
४८	२२	श्री रा० बरुआ	बेहतर प्रशासकीय चौकसी की आवश्यकता	१०० रुपये
४८	२३	श्री रा० बरुआ	न्याय को कम खर्चीला बनाने के लिये अदालती फीस को न्यायोचित बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
४८	२२६	श्री वारियर	वार्षिक सहायक अधीक्षक परीक्षा लेकर सचिवालय के सहायकों की कुशलता बनाये रखने की आवश्यकता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
४८	२२७	श्री वारियर	वार्षिक विभागीय परीक्षा द्वारा सहायकों को सेक्शन अफसरों के पदों पर उन्नत करने के लिये समान अवसर देने की आवश्यकता	१०० रुपये
४८	२२८	श्री वारियर	केन्द्रीय सचिवालय सेवा में होने वाली रिक्तियों की पूर्ति के लिये सहायकों से सेक्शन अफसर के लिये पदोन्नति का समेकित आधार बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
४८	२३०	श्री वारियर	सहायकों के लिये बेहतर वेतन स्तर की आवश्यकता	१०० रुपये
४८	२३१	श्री रा० बरुआ	भारत के उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आदिम जातियों के कल्याण विशेषत: शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार के काम को अधिक गतिशील बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
४८	२३२	श्री बरुआ	गुप्त सूचना विभाग को दृढ़ बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
४८	२३४	श्री बरुआ	अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों और मैदान में रहने वाले आदिमवासियों के लिये कल्याण विभाग की आवश्यकता	१०० रुपये
४८	२३८	श्री वारियर	राज्यों द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति के लिये भेजे गये विधेयकों की जांच और परामर्श को अधिक शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४८	२४१	श्री वारियर	प्रस और प्रेस वालों को कार्यपालिका के दबाव से बचाने के लिये विधान बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
४८	२५२	श्री अ० ब० राघवन	संविधान द्वारा अनुरक्षित मूल भूत अधिकारों का दुरुपयोग रोकने के लिये लक्कादीव और मिनिकाय द्वीप विनियमों में संशोधन करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४८	२५३	श्री अ० ब० राघवन	केरल कृषि सम्बन्ध अधिनियम को लक्कादीव, मिनीकाय और अमीनदीव द्वीपों में लागू करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४८	२५४	श्री अ० ब० राघवन	लक्कादीव, मिनीकाय और अमीन-दीवी द्वीपों में ऋण विधि लागू करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४८	२५५	श्री अ० ब० राघवन	विधि विषयों पर लक्कादीव, मिनीकाय और अमीनदीवी द्वीप प्रशासन को परामर्श देने के लिये पूरे समय के हेतु विधि परामर्शदाता की नियुक्ति की आवश्यकता	१०० रुपये
४८	२५६	श्री अ० ब० राघवन	लक्कादीव, मिनीकाय और अमीन-दीवी द्वीपों के लिये न्यायिक सुधारों की आवश्यकता	१०० रुपये
४८	२५७	श्री अ० ब० राघवन	लक्कादीव, मिनीकाय और अमीन-दीवी द्वीपों में कार्यपालिका और अमीनदीवी द्वीपों में कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४८	२५८	श्री अ० ब० राघवन	मशीनी मत्स्यग्रहण नौकाओं के निर्वहन के लिये लक्कादीव द्वीपवासियों को प्रशिक्षित करने के लिये प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की आवश्यकता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
४८	२५९	श्री अ० व० राघवन	लक्कादीव, मिनीकाय और अमीन-दीवी द्वीपों में अधिक अस्पताल और डिस्पेन्सरियां खोलने की आवश्यकता	१०० रुपये
४८	२६०	श्री अ० व० राघवन	लक्कादीव, मिनीकाय और अमीन-दीवी द्वीपों में बच्चों के अधिक पार्कों की आवश्यकता ।	१०० रुपये
४८	२६१	श्री अ० व० राघवन	लक्कादीव, मिनीकाय और अमीन-दीवी द्वीपों में जल तथा सड़क परिवहन को सुधारने की आवश्यकता	१०० रुपये
४८	२६२	श्री अ० व० राघवन	लक्कादीव, मिनीकाय और अमीन-दीवी द्वीपों में करघा और चटाई बुनने के प्रशिक्षण केन्द्रों की आवश्यकता	१०० रुपये
४८	२६३	श्री अ० व० राघवन	कवर्ती द्वीपों में बिजली लगाने की आवश्यकता	१०० रुपये
४८	२६४	श्री अ० व० राघवन	अंद्रोल और अमीनी में लड़कियों के अधिक हाई स्कूल खोलने की आवश्यकता	१०० रुपये
४८	२६५	श्री अ० व० राघवन	लक्कादीव, मिनीकाय और अमीन-दीवी द्वीपों में डाक सुविधायें सुधारने की आवश्यकता	१०० रुपये
४८	२६६	श्री अ० व० राघवन	लक्कादीव, मिनीकाय और अमीन-दीवी द्वीपों में से किसी में हवाई अड्डा बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
४८	२६७	श्री अ० व० राघवन	लक्कादीव, मिनीकाय और अमीन-दीवी द्वीपों में बदगारा हिरनों की नस्ल बढ़ाने की आवश्यकता	१०० रुपये
४८	२६८	श्री अ० व० राघवन	लक्कादीव, मिनीकाय और अमीन-दीवी द्वीपों में पर्यटक बंगले बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
४८	३०७	श्री रा० बरुआ	अखिल भारतीय सामाजिक-राजनीतिक ढांचे में मनीपुर और त्रिपुरा मिलाने के लिये तुरन्त कार्यवाही की आवश्यकता	१०० रुपये
४८	३१३	श्री लहरी सिंह	देहली में विधि और व्यवस्था की असन्तोषजनक अवस्था	१०० रुपये
४८	३१४	श्री लहरी सिंह	बहुमूल्य और बहु पेचीदा वैधानिक प्रक्रिया	१०० रुपये
४८	३१५	श्री लहरी सिंह	प्रशासनिक और न्यायिक आदेशिका मे राजनैतिक हस्तक्षेप	१०० रुपये
४८	३१६	श्री लहरी सिंह	भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा २७ के दुरुपयोग को रोकने में असफलता	१०० रुपये
४८	३१७	श्री लहरी सिंह	पिछड़ी हुई जातियों की आर्थिक अवस्था को अच्छा बनाने के लिये उचित कदम उठाने में असफलता	१०० रुपये
४८	३१८	श्री लहरी सिंह	पिछड़ी हुई जातियों के सुधार के लिये पिछड़े वर्ग आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वियन की आवश्यकता	१०० रुपये
४८	३१९	श्री वारियर	उन सहायकों की तालिका बनाने के बारे में केन्द्रीय लोक सेवा आयोग की मंत्रण के कार्यान्वियन में देरी, जो कि १९५९ और १९६० की परीक्षाओं के आधार पर आयोग द्वारा घोषित योग्यता सूची में स्थान नहीं प्राप्त कर सके	१०० रुपये
४८	३२०	श्री वारियर	पुलिस सत्यापन के लिये राज्यों को गोपनीय आदेशों को वापिस लेने की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
४८	३२१	श्री वारियर	दोषों की जांच में तृतीय दर्जे के तरीकों का प्रयोग	१०० रुपये
४८	३२२	श्री वारियर	सब जिला मुख्यालयों में केन्द्रीय लोक सेवा आयोग के परीक्षा-केन्द्रों की आवश्यकता	१०० रुपये
४८	३२३	श्री शिवमूर्ति स्वामी	राष्ट्रीय एकता लाने में असफलता	१०० रुपये
४८	३२४	श्री शिवमूर्ति स्वामी	प्रशासन में भ्रष्टाचार, पक्षपात और देरी को दूर करने में असफलता	
४८	३२५	श्री नम्बियार	केन्द्रीय सचिवालय में १९५९ और १९६० की असिस्टेण्ट सुपरिण्टेन्डेंट परीक्षाओं में पास हुए उम्मीदवारों की तालिका बनाने में देरी	१०० रुपये
४९	३२६	श्री शिवमूर्ति स्वामी	गुह तथा सीमा पर संकटकालीन स्थिति को संभालने के लिये सर्वदलीय सरकार की आवश्यकता	१०० रुपये
५०	२७	श्री रा० बरुआ	राज्यों में पृथक आदिम जाति कल्याण विभाग बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
५१	२७२	श्री वारियर	देश में कानूनों का प्रशासन	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाए
५१	२७३	श्री वारियर	जजों के लिए वकीलों में से नियुक्ति	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाए
५१	२९	श्री वारियर	न्याय को सस्ता करने की आवश्यकता	१०० रुपये
५१	३०	श्री वारियर	दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता को पुनः संहिता बद्ध करने की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
५१	३१	श्री वारियर	न्यायालय प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
५१	३२	श्री वारियर	सर्वोच्च न्यायालय को कार्मिक संघों द्वारा अपील करने के लिए बहुत फीस कर दिया जाना	१०० रुपये
५१	३३	श्री वारियर	अपील के न्यायालय-शुल्क हटाने की आवश्यकता	१०० रुपये
५१	३४	श्री वारियर	न्यायसभा प्रणाली को पुनः आरम्भ करने की आवश्यकता	१०० रुपये
५१	३५	श्री वारियर	कार्यपालिका से न्यायपालिका को बिल्कुल पृथक करने की आवश्यकता	१०० रुपये
५१	२४६	श्री वारियर	दंड प्रक्रिया संहिता और भारत दंड संहिता को पुनः संहिता बद्ध करने की आवश्यकता	१०० रुपये
५२	३७	श्री नम्बियार	आई० पी० ऐस० 'कैडर' के विकेन्द्रीकरण और राज्य सरकारों को पदोन्नति, अनुशासन और केन्द्र की अनुमति के बिना नौकरी से हटाने के मामले में पूर्ण शक्तियां देने की आवश्यकता	१०० रुपये
५६	४४	श्री वासुदेवन नायर	देहली के लिए पूर्णतया प्रतिनिधि सरकार की आवश्यकता	१०० रुपये
५७	४५	श्री वासुदेवन नायर	हिमाचल प्रदेश के लिए पूर्णतया प्रतिनिधि सरकार की आवश्यकता	१०० रुपये
५७	४६	श्री रा० बरुआ	संचार, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में हिमाचल प्रदेश के सुधार की ओर विशेष ध्यान की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
५८	४७	श्री रा० बरुआ	अन्दमान द्वीपों में लोक निर्माण विभाग के कुछ मजदूरों की हाल की गोली चलाने की घटना से मृत्यु	१०० रुपये
५८	४८	श्री रा० बरुआ	अन्दमान द्वीप में लोक निर्माण विभाग के मजदूरों की उचित मांगें मानने में असफलता	१०० रुपये
५८	४९	श्री वासुदेवन नायर	लोक निर्माण विभाग के मजदूरों पर हाल की गोली चलाने की उचित जज द्वारा जांच कराने में असफलता	१०० रुपये
५८	५०	श्री वासुदेवन नायर	भारत में घनी आबादी वाले क्षेत्रों से बहुत लोगों को अन्दे-मान और निकोबार द्वीपों में बसाने की आवश्यकता	१०० रुपये
५८	५१	श्री वासुदेवन नायर	द्वीपों के प्राकृतिक संसाधनों के विकास में असफलता	१०० रुपये
५८	५२	श्री वासुदेवन नायर	भुख्य भूमि और द्वीपों में सम्पर्क और संचार बढ़ाने की आवश्यकता	१०० रुपये
५८	५३	श्री नम्बियार	१० अप्रैल, १९६२ को अन्दे-मान में मजदूरों पर गोली चलाना	१०० रुपये
५८	५४	श्री नम्बियार	अन्देमान में मजदूरों की मजूरी को बढ़ा कर भार-तीय मजदूरों के बराबर करने की आवश्यकता	१०० रुपये
५८	५५	श्री नम्बियार	अन्देमान के लोगों को कार्मिक संघ और इकट्ठे होने इत्यादि की असैनिक स्वाधीन-तायें देने की आवश्यकता	१०० रुपये
५८	५६	श्री नम्बियार	अन्देमान में बहुत भारी प्रशासन	१०० रुपये

१	२	३	४	५
५८	५७	श्री नम्बियार	अन्देमान में पुलिस की कार्यवाई से पीड़ितों का बर्ताव	१०० रुपये
५९	५८	श्री वासुदेवन नायर	मनीपुर के लिये पूर्णतया प्रतिनिधि सरकार की आवश्यकता	१०० रुपये
५९	५९	श्री वासुदेवन नायर	मनीपुर में लोक प्रिय सरकार की मांग का कुचलने के लिये अपनाये गये तरीके	१०० रुपये
५९	६०	श्री आर० बरुआ	मनीपुर में संचार, प्रविधिक शिक्षा और कुटीर उद्योगों के सुधार की ओर विशेष ध्यान की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	६३	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा भूमि (राजस्व और भूमि सुधार) अधिनियम, १९६० को लागू करने में देरी	१०० रुपये
६०	६४	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा में पीने के पानी की कमी को दूर करने की आवश्यकता	
६०	६५	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा में अगरतला म्युनिसिपिल निर्वाचन करने में देरी	१०० रुपये
६०	६६	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा में अगरतला नगर में पानी संभरण कार्यों को पूरा करने में देरी	१०० रुपये
६०	६७	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा के उन क्षेत्रों में जहां जल कम है सिंचाई सुविधायें देने में असफलता	१०० रुपये
६०	६८	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा में झुम लोगों के पुनर्वास की गति को तेज करने की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
६०	६९	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा के भूमिहीन किसानों को भूमि देने और पुनर्वास सहायता देने की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	७१	श्री दशरथ देव	लेफोंगा उत्तर सदर त्रिपुरा पर आदिम जातियों और दूसरों के भूमि झगड़े निपटाने में असफलता	१०० रुपये
६०	७२	श्री दशरथ देव	गर्ग "फौरेस्ट रीजर्व" त्रिपुरा स आदिम जातियों को हटाए जाने के संरक्षण में सफलता	१०० रुपये
६०	७३	श्री दशरथ देव	उस क्षेत्र में जहां झुमिया लोग रहते हैं झुम की खेती करने की अनुमति की आवश्यकता जब तक उन का भूमि पर पुनर्वास न किया जाये	१०० रुपये
६०	७४	श्री दशरथ देव	आदिम जाति के कल्याणों के काम के लिये त्रिपुरा प्रशासन के अधीन एक अलग कार्यपालिका समिति बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	७५	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये शेष कामों के पूरा करने की गति को तेज करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	७७	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों को कृषि संबंधी और दूसरे ऋणों को बट्टे खाते डालने की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	८०	श्री दशरथ देव	कंचनपुर से रामिया बाजार तक सब मौसमों में काम आने वाली सड़कें बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
६०	८३	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा में मौरी फाटक से छमनू बाजार तक मोटर चलने योग्य सड़क के निर्माण को पूरा करने की असफलता	१०० रुपये
६०	८५	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा के मुख्य सड़कों पर नदियों पर पुल निर्माण को तेज करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	८६	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा मे आदिम जातियों वाले क्षेत्रों में उच्च स्कूल बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	८७	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा के सहकारी संस्थाओं के काम में पदाधिकारियों द्वार हस्तक्षेप दूर करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	८९	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा में दम्बूर जल-विद्युतीय परियोजना के कामों की व्यवस्था	१०० रुपये
६०	९०	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा में तिलथाई बाजार और धर्मनगर पर जुरी नदी पर पुल निर्माण की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	९१	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा में सतारामिया हौज कैलासाहर मे बाढ़ संरक्षण तरीके न अपनाना	१०० रुपये
६०	९२	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा में खौराबिन में धान के संरक्षण के लिये नहरों के खोदने इत्यादि के काम को तेज करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	९४	श्री दशरथ देव	जब तक त्रिपुरा मे भूमि सर्वेक्षण नहीं होता तब तक सहकारी कृषि संस्थाओं को पंजीबद्ध करने और भूमि देने का स्थगन	१०० रुपये

१	२	३	४	५
६०	९५	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा में अनुसूचित आदिम जातियों और अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने में देरी	१०० रुपये
६०	९६	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा में त्रिपुरा भाषा में पुस्तकें देने में असफलता	१०० रुपये
६०	१००	श्री दशरथ देव	अनुसूचित जातियों और मुसलमान विद्यार्थियों को होस्टल सुविधायें देने की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	१०३	श्री दशरथ देव	जंगलों के कर्मचारियों द्वारा झुम क्षेत्र के बलात् कब्जे के कारण अटारमुसा के आदिम जाति झुमिया की शिकायतें	१०० रुपये
६०	१०४	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा में निर्माण कार्य के लिये इस्पात, लोहा और सीमेन्ट की पर्याप्त मात्रा देने की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	११२	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा में खोवाई नगर में आदिम जाति छात्राओं के लिये होस्टल खोलने में असफलता	१०० रुपये
६०	११५	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा मे राजस्व बढ़ाने के लिये नई प्रस्तावना के कार्यान्वयन के स्थान की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	११६	श्री बीरेन दत्त	त्रिपुरा प्रशासन के कर्मचारियों के पश्चिम बंगाल के वेतन क्रम लागू करना	१०० रुपये
६०	११७	श्री बीरेन दत्त	त्रिपुरा प्रशासन द्वारा राज्य कर्मचारी संघ को मान्यता न दिया जाना	१०० रुपये
६०	११८	श्री बीरेन दत्त	जनता कालिज पर व्यर्थ का खर्च	१०० रुपये

१	२	३	४	५
६०	११९	श्री वीरेन दत्त	महाराजा बीर विक्रिम कालिज अगरतला में योग्य प्रोफैसरों की कमी ।	१०० रुपये
६०	१२०	श्री वीरेन दत्त	शिक्षा विभाग को अकेले विभाग के रूप में पुनर्गठन करना ।	१०० रुपये
६०	१२१	श्री वीरेन दत्त	पुनर्वास कार्य के लिये स्थापित केन्द्रों के निरीक्षकों के पदों का हटाया जाना ।	१०० रुपये
६०	१२२	श्री वीरेन दत्त	त्रिपुरा के संघ क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के पुनर्गठन की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६०	१२३	श्री वीरेन दत्त	यात्रा भत्ता कम करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	१२४	श्री वीरेन दत्त	विमानों के किराये पर होने वाले व्यय को कम करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	१२५	श्री वीरेन दत्त	अगरतला म्युनिसिपल कमिटी के क्षेत्र का विस्तार कर उस में वरद वाली, अभयनगर प्रतापगढ़, रणजीतनगर राम नगर और जय नगर पश्चिम को उस में सम्मिलित करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६०	१२६	श्री वीरेन दत्त	अगरतला नगरपालिका के प्रताप नगर क्षेत्र के लिये सड़कों, नालियों, जन शौचालयों की व्यवस्था करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	१२७	श्री वीरेन दत्त	अगरतला में वाटर वर्क्स आरम्भ करने की आवश्यकता जिस के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत धन स्वीकृत है	१०० रुपये
६०	१२८	श्री वीरेन दत्त	त्रिपुरा के अगरतला नगर के लिए पक्का जल निस्सारण बनाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये

१	२	३	४	५
६०	१२६	श्री वीरेन दत्त	अगरतला में मंडियां विकसित करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६०	१३०	श्री वीरेन दत्त	त्रिपुरा के नान मैट्रिक विद्यार्थियों को मध्यम कोटि का उद्योग आरम्भ कर के नौकरी देने में असफलता	१०० रुपये
६०	१३१	श्री वीरेन दत्त	त्रिपुरा में आदिम जाति लोगों को बसाने में असफलता	१०० रुपये
६०	१३२	श्री वीरेन दत्त	त्रिपुरा में भारी प्रशासन को कम करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	१३३	श्री वीरेन दत्त	त्रिपुरा क्षेत्रीय परिषद् के इंजीनियरिंग विभागों में कदाचार	१०० रुपये
६०	१३४	श्री वीरेन दत्त	त्रिपुरा में जल विद्युत् योजना को आरम्भ करने में असफलता	१०० रुपये
६०	१३५	श्री वीरेन दत्त	त्रिपुरा में दूसरी योजना की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए इस्पात सीमेन्ट और टीन इत्यादि के सम्भरण की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	१३६	श्री वीरेन दत्त	त्रिपुरा में अगरतला नगर में आई० टी० आई० में प्रशिक्षित लोगों को नौकरी देने में असफलता	१०० रुपये
६०	१३७	श्री वीरेन दत्त	अगरतला नगरपालिका के पानी वाले क्षेत्रों को भरने के लिए धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	१३८	श्री वीरेन दत्त	त्रिपुरा में उद्योग आरम्भ करने के लिए अनुदान देने की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	१३९	श्री वीरेन दत्त	त्रिपुरा में लघु उद्योगों को आरंभ करने के लिए कर्जे देने की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
६०	१४०	श्री वीरेन दत्त	सरकारी अधिकारियों का सहकारी संस्थाओं में प्रधान तथा मंत्री बनना	१०० रुपये
६०	१४१	श्री वीरेन दत्त	पूर्वी पाकिस्तान के गुंडों द्वारा त्रिपुरा से मवेशियों की चोरी रोकने की असमर्थता	१०० रुपये
६०	१४२	श्री वीरेन दत्त	त्रिपुरा में अपर बहूप्रयोजनीय परियोजना में धन का अपव्यय	१०० रुपये
६०	१४३	श्री वीरेन दत्त	त्रिपुरा में अनुसूचित जाति के लोगों को पंचायतों के मंत्री नियुक्त करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	१४४	श्री वीरेन दत्त	अगरतला मे वायुनुकूल सिनेमा बनाने का लाइसैन्स रोक देना	१०० रुपये
६०	१४५	श्री वीरेन दत्त	खुले बाजार में त्रिपुरा में इस्पात, लोहा और सीमेन्ट बेचने की अनुमति देना	१०० रुपये
६०	१४६	श्री वीरेन दत्त	त्रिपुरा की अदालतों मे पड़े मामलों को जल्दी निपटाने की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	१४७	श्री वीरेन दत्त	त्रिपुरा के सभी दफ्तरों में प्रचलित कदाचार को रोकने में असफलता	१०० रुपये
६०	१४८	श्री वीरेन दत्त	नियुक्ति और तबादलों मे त्रिपुरा क्षेत्रीय परिषद् के शिक्षा विभाग में कदाचार	१०० रुपये
६०	१४९	श्री बीरेन दत्त	त्रिपुरा क्षेत्रीय परिषद् के सभी विभागों में कदाचार	१०० रुपये
६०	१५०	श्री त्रीरेन दत्त	त्रिपुरा की शिक्षा प्रणाली मे अपव्यय और अयोग्यता	१०० रुपये
६०	१५१	श्री वीरेन दत्त	प्रौढ़ शिक्षा प्रणाली की त्रिपुरा में असफलता	१०० रुपये
६०	१५२	श्री वीरेन दत्त	त्रिपुरा के टिला क्षेत्र में जल सम्भरण में असफलता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
६०	१५३	श्री वीरेन दत्त . .	जलसम्भरण में अधिक वैज्ञानिक प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	१५४	श्री वीरेन दत्त . .	त्रिपुरा के पिछड़े वर्गों के नाम मैट्रिक को नौकरियां देने की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	१५५	श्री वीरेन दत्त . .	लोगों के रोजगार के लिए कोई माध्यमिक उद्योग चलाने की जरूरत	१०० रुपये
६०	१५६	श्री वीरेन दत्त . .	त्रिपुरा के कर्मचारियों के समान त्रिपुरा मे कार्य कर रहे केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को भी मुआवजा भत्ता देने की असफलता	१०० रुपये
६०	१५७	श्री वीरेन दत्त . .	डाक तार कर्मचारियों को त्रिपुरा में उचित संख्या ए क्वार्टर न देने में असमर्थता	१०० रुपय
६०	१५८	श्री वीरेन दत्त . .	लोक नाटक हाल और बच्चों का पार्क बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	१५९	श्री वीरेन दत्त . .	त्रिपुरा के विस्थापितों के कर्जों के समाप्त कर देने की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	१६०	श्री वीरेन दत्त . .	त्रिपुरा में खेलों, स्वास्थ्य और मनोरंजन के लिए अधिक धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	१६१	श्री वीरेन दत्त . .	अगरतला में स्टडियम बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	१६२	श्री वीरेन दत्त . .	वेतन-क्रमों के मामले में त्रिपुरा कर्मचारियों के लिये भारत सरकार के निर्णयों को अनुचित रूप में कार्यान्वित किया जाना	१०० रुपये

१	२	३	४	५
६०	१६३	श्री वीरेन दत्त .	. हरिजन उद्धार महिला कल्याण तथा खादी बोर्ड के कार्यों के लिए गैर-सरकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	१६४	श्री वीरेन दत्त .	. त्रिपुरा के विकास आयुक्त के काम और अधिकार	१०० रुपये
६०	१६५	श्री वीरेन दत्त .	. त्रिपुरा में मोटर किराया कम करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	१६६	श्री वीरेन दत्त .	. त्रिपुरा को विमानों द्वारा नियमित रूप से माल ले जाने की व्यवस्था करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	१६७	श्री वीरेन दत्त .	. त्रिपुरा में राज्य परिवहन प्रणाली आरम्भ करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	१६८	श्री वीरेन दत्त .	. त्रिपुरा में मोटर दुर्घटनाओं को रोकने की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	१६९	श्री वीरेन दत्त .	. त्रिपुरा के चरी पर क्षेत्र को बाढ़ों से बचाने की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	१७०	श्री वीरेन दत्त .	. अगरतला नगरपालिका के प्रताप गढ़ क्षेत्र में नालियों की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	१७१	श्री वीरेन दत्त .	. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को सहायता देने में असफलता	१०० रुपये
६०	१७२	श्री वीरेन दत्त .	. त्रिपुरा के खोंचे वालों के लिए आवास व्यवस्था करने में असफलता	१०० रुपये
६०	१७३	श्री वीरेन दत्त .	. सहायता देने में असफलता	१०० रुपये
६०	१७४	श्री वीरेन दत्त .	. त्रिपुरा में कृषि भूमि पर बसे अनाधिकृत लोगों को निकालने के नोटिसों को रोकने की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
६०	१७५	श्री वीरेन दत्त .	. सहकारी संस्थाओं में कदाचार को रोकने में असफलता	१०० रुपये
६०	१७६	श्री वीरेन दत्त .	. आवश्यकता पड़ने पर सहकारी संस्थाओं को कृषि के लिए कर्जे देने में असफलता	१०० रुपये
६०	१७८	श्री वीरेन दत्त .	. त्रिपुरा के आदिम जाति लोगों को कर्जे माफ कर देने की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	१७९	श्री वीरेन दत्त .	पहाड़ी क्षेत्रों में पशु अस्पताल स्थापित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	१८०	श्री वीरेन दत्त .	. अगरतला में अध्यापक प्रशिक्षण कालिज स्थापित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	१८१	श्री वीरेन दत्त .	. त्रिपुरा में स्कूलों को आगे बढ़ाने और प्राविधिक स्कूल खोलने की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	१८२	श्री वीरेन दत्त	. त्रिपुरा के देहात में शिक्षकों के लिए क्वार्टर बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	१८३	श्री वीरेन दत्त .	. रक्शा चलाने वालों की सहकारी संस्था को कर्जा देने की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	१८४	श्री वीरेन दत्त .	. भ्रष्टाचार को रोकने की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	१८५	श्री वीरेन दत्त .	. त्रिपुरा की दात्ता स्टिक कर्मचारी सहकारी संस्था को सहायता देने की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	१८६	श्री वीरेन दत्त	. त्रिपुरा के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के प्रशिक्षितों को बाहर ऊंची शिक्षा लेने और रोजगार प्राप्त करने के अवसर देने की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	१८७	श्री वीरेन दत्त .	. त्रिपुरा के लिए स्कूल बोर्ड निर्माण करने की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
६०	१८८	श्री बीरेन दत्त .	. त्रिपुरा प्रशासन द्वारा त्रिपुरा शिक्षक संघ को मान्यता देने की आवश्यकता	१०० रुपये
१००	१८९	श्री बीरेन दत्त .	. त्रिपुरा प्रशासन के अध्यापक अनुशासन तथा दंड नियमों को वापस लेना	१०० रुपये
१००	१९०	श्री बीरेन दत्त .	. त्रिपुरा में गैर-सरकारी स्कूलों को १०० प्रतिशत लेखानुदान देना	१०० रुपये
६०	१९१	श्री बीरेन दत्त ..	. अध्यापक-विद्यार्थी अनुपात १:४० से १:३० करना	१०० रुपये
६०	१९४	श्री बीरेन दत्त .	. त्रिपुरा में इंजीनियरिंग और स्वास्थ्य विभाग का पुनर्गठन	१०० रुपये
६०	१९६	श्री दशरथ देव .	. त्रिपुरा में स्कूलों में दोपहर का भोजन देना	१०० रुपये
६०	२००	श्री दशरथ देव .	. खोवई उपविभाग में नवीन ठाकुर स्कूल को सरकार द्वारा ले लेने की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	२०१	श्री दशरथ देव .	. त्रिपुरा में आदिम जाति विकास बोर्ड बनाना	१०० रुपये
६०	२०७	श्री दशरथ देव .	. आदिम जाति झुग्गियों की बेदखली रोकना	१०० रुपये
६०	२१५	श्री वासुदेवन नायर	. त्रिपुरा में उत्तरदायी सरकार बनाना	१०० रुपये
६०	२१७	श्री दशरथ देव .	. दौरा नदी पर एक स्थाई पुल बनाना	१०० रुपये
६२	२१९	श्री सौंपे	केन्द्र तथा राज्य स्तरों पर विशेष विकास परिषदें स्थापित करना	१०० रुपये

†**उपाध्यक्ष महोदय** : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं ।

†**श्री बसुमतारी** (ग्वालपाड़ा) : कांग्रेस सरकार ने अनुसूचित जातियां और आदिम जातियों के लिए रक्षण १० साल और बढ़ा दिये हैं । इस से स्पष्ट है कि उन्हें उस स्तर पर नहीं लाया गया, जिस स्तर पर हम लाना चाहते थे । इस लिए कुछ सदस्यों का यह कहना कि उन्हें रक्षण

†मूल अंग्रेजी में

क्यों दिये जायें, समझ में नहीं आता । यदि आप उन की शिक्षा सम्बन्धी प्रगति के आंकड़े देखें तो मालूम होगा कि उन की स्थिति क्या है। साक्षरता देश में ५ प्रतिशत से ४० प्रतिशत हो गई है किन्तु अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के मामले में ३ से ५ प्रतिशत तक है । सेवाओं में भरती के सम्बन्ध में भी स्थिति बहुत निराशाजनक है । श्री बाकर अली मिर्जा ने कहा है कि स्पष्ट पानी की तरह बहाया जा रहा है, किन्तु केवल २५ प्रतिशत रुपया आदिमजाति लोगों की जेबों में जाता है । शेष औरों के पास जाता है । मुझे यह समझ में नहीं आता कि आदिम जातियों के लिये विशेष सुविधाएं क्यों न हों, जब तक १०० साल में भी उन्हें अन्य लोगों के स्तर पर नहीं लाया जा सकता ।

९० प्रतिशत आदिम जाति लोगों के पास भूमि नहीं है। वे पहाड़ियां वृक्षों आदि के नीचे शरण लेते हैं । उन्हें वन विभाग की योजनाओं के अनुसार जगह जगह फिरना पड़ता है । इस लिए उन के पास कुएं या स्कूल नहीं होते । आदिम जातियां में ऋणग्रस्तता अत्यधिक शोचनीय है । दक्षिण में **सगरी** और **गोठी** की प्रणालियां चलती हैं ।

कुछ दिन हुए मैंने आदिमजातियों की शिक्षा, सेवाओं में भरती आदि के बारे में आंकड़े मांगे थे किन्तु मंत्रालय उन्हें नहीं दे सका ।

मुझे हर्ष है कि हमने उन के लिये कुछ खंड खोले हैं, जिस पर कुछ रुपया खर्च किया जा रहा है किन्तु खेद है कि वे इन से लाभ नहीं उठा सकते, क्योंकि वे बिखरे हुए होते हैं। कसौटी पर है कि किसी क्षेत्र के आदिम जातियों की संख्या ६.६ प्रतिशत होनी चाहिये । मेरा सुझाव है कि इसे घटा कर ३० से ४१ प्रतिशत कर देना चाहिये, ताकि मैदानों में रहने वाले आदिम जातियों के लोग भी लाभ उठा सकें । इस समय हम देखते हैं कि केवल २५ प्रतिशत लाभ उन को पहुंच रहा है । उन्हें भूमि नहीं मिल सकती, सड़कों और स्कूलों की सुविधा उन के पास है । उन के पास स्कूलों में केवल २५ से ३० प्रतिशत विद्यार्थी आदिम जातियों के हैं । जहां जहां उद्योग स्थापित किये गये हैं, वहां से आदिम जातियों को जाना पड़ा है और उन को प्रतिकर भी बहुत कम दिया जाता है । उन्हें भूमि के बदले में भूमि, मकान के बदले में मकान मिलना चाहिये । जब इसी क्षेत्र में अन्य लोगों को १००० से १५०० प्रति एकड़ प्रतिकर दिया गया है, उन्हें केवल ४५ रुपये प्रति एकड़ दिया गया है ।

आसाम में अनधिकृत प्रवेश जारी है, जो मुसलमान आये हैं उनमें से अधिकांश आदिवासियों की भूमि पर बस गये हैं । उन से हजारों गांव छीन लिये गये हैं और वे मसलमानों के गांव बन गये हैं ।

सरकार को आदिवासी समस्याओं पर सलाह देने और आवश्यक आंकड़ एकत्रित करने में सहायता देने के लिये आदिवासियों का एक संगठन बनाना चाहिये ।

हुबली के पास हुई रल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य

†**उपाध्यक्ष महोदय :** एक गम्भीर रेलवे दुर्घटना हुई है। रेलवे उपमंत्री एक वक्तव्य देंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : सरकार खेद के साथ सभा को यह बताना चाहती है कि आज प्रातः काल ६ बजे संख्या २०४ डाउन पूना-बंगलोर एक्सप्रैस हुबली हरिहर मीटरगेज लाइन पर दुर्घटना हो गई थी। ६ बोगियां पटरी पर से उत्तर गई थीं। इञ्जन पुल संख्या १६ पर रुक गया था। शेष चार बोगियां लाइन पर खड़ी रहीं। प्राप्त सूचना के अनुसार मलबे में तीन शव पाये गये हैं। २८ व्यक्तियों को गहरी चोटें आईं तथा ३५ व्यक्तियों को मामूली। घायल व्यक्तियों को हुबली के अस्पतालों में दाखिल किया गया। एक घायल व्यक्ति रास्ते में मर गया था।

महा प्रबन्धक और दक्षिण रेलवे के वरिष्ट अधिकारी हवाई जहाज द्वारा बेलगाम गये हैं, जहां से वे हुबली जायेंगे। रेलवे उपमंत्री और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष भी बेलगाम के लिये रवाना हो गये हैं।

रेलवे सुरक्षा के अतिरिक्त आयुक्त दुर्घटना के कारणों के सम्बन्ध में जांच करेंगे।

अनुदानों की मांगें--जारी

†**श्री मोहसिन** (धारवाड़) : गृहकार्य मंत्री के भरसक प्रयत्नों के बावजूद देश के कुछ भागों में शान्ति और व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक नहीं है। बड़े दुःख की बात है कि आज़ादी के १५ वर्ष बाद भी साम्प्रदायिक उपद्रव यत्र-तत्र होते ही रहते हैं। यह ठीक है कि सरकार उनको रोकने के लिये समय समय पर कार्य करती रहती है, परन्तु केवल प्रशासकीय प्रयत्नों से कुछ नहीं होगा। राष्ट्रीय एकता केवल कानून लागू करने से नहीं आ सकती। हमें इस भावना का प्रचार करना पड़ेगा कि सब भारतीय एक हैं।

अल्पसंख्यकों के बारे में, मैं अनुभव करता हूं कि उत्तरी भारत में कुछ स्थानों पर अल्पसंख्यकों के मन में कुछ भय है। जुमा मस्जिद पर हर १० फुट पर एक पुलिस वाले हैं। मालदा में घटनायें हुई हैं। इस का अर्थ यह है कि अल्पसंख्यक उतने प्रसन्न नहीं हैं, जितने कि होने चाहियें।

राष्ट्रीय एकता का प्रचार शिक्षा द्वारा सब से अच्छे तरीके से किया जा सकता है। लड़के लड़कियों को हमें इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिये कि उन में राष्ट्रीय एकता और असाम्प्रदायिकता की भावना पैदा हो। इतिहास की पुस्तकों में उन बातों पर ज़ोर देना चाहिये जिस से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिले। इस दिशा में प्रचार विभाग भी बहुत काम कर सकता है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सभी साम्प्रदायिक संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाया जाये। ऐसा करने से ही राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिल सकता है। मुस्लिम लीग, हिन्दू महासभा और जनसंघ के नेताओं को राष्ट्रीय एकता के हित में अपने संगठनों को तोड़ देना चाहिये।

अब मैं सीमान्त झगड़ों को लेता हूं। श्री मोरे ने कहा है कि मैसूर के कुछ भाग महाराष्ट्र को मिलने चाहिय, भाषा और संस्कृति के आधार पर। उनको ध्यान में रखना चाहिये कि राज्यों का पुनर्गठन केवल भाषा के आधार पर नहीं हुआ था, कुछ और कसौटियां भी थीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

भूगोलिक और प्रशासनीय पहलू भी देखने पड़ते हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह एक स्पष्ट वक्तव्य दें कि आगे से किसी देश की सीमाओं में परिवर्तन नहीं किया जायेगा और यदि कोई परिवर्तन किया जाना हुआ तो पारस्परिक समझौते द्वारा ही किया जायेगा।

अल्पसंख्यकों की भाषाओं को रक्षा की जानी चाहिये। प्रत्येक राज्य में ऐसे अल्पसंख्यक हैं। जिन स्कूलों में उन भाषाओं में शिक्षा दी जाती है उनको केन्द्रीय सहायता मिलनी चाहिये। उर्दू को, जिसे सब राज्यों में लोग समझते हैं, प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। माध्यमिक स्तर पर भी उस भाषा में शिक्षा देने का प्रबन्ध किया जाना चाहिये।

जनसंघ का यह सुझाव बहुत खतरनाक है कि साम्प्रदायिक झगड़ों का हल जनसंख्या का आदान-प्रदान है मुसलमान जो इस देश में चार करोड़ हैं किसी और देश में नहीं भेजा जा सकता। जनसंघ के ऐसे वक्तव्यों को रोकना चाहिये। इसी तरह से द्रविड़स्तान का नारा भी हमारे लिये शर्म की बात है।

†**डा० मा० श्री० अणे :** (नागपुर) : राष्ट्रीय एकता की समस्या इसलिये पैदा हुई है क्योंकि हमने भाषावाद की विचारधारा को बढ़ने दिया और वस्तुतः बहुत ही गलत समय पर भाषावार राज्यों की मांग के आगे सिर झुका दिया। यह लोगों को अच्छा लगा और वे सारे भारत की बजाय प्रदेशों के बारे में अधिक सोचने लगे। भाषायी विष हमारे देश में विदेशी प्रभाव के अधीन आया, अन्यथा हमारा देश सदा ही एक बड़ी सांस्कृतिक इकाई रहा है। रानाडे, तिलक, गोखले और गांधी जैसे महान नेताओं ने कभी अपने प्रदेशो के बारे में नहीं सोचा किन्तु हमेशा सारे भारत के बारे में सोचा।

देश स्वतंत्र होने के तुरन्त बाद हमने अपना संविधान तैयार किया था। हमने भारत को एक संघ राज्य बनाने का निर्णय किया थे। लेकिन संघ में शामिल होने के लिये नये राज्यों की नयी इकाइयां बनायी जानी चाहिये थीं। उसी समय हमें यह निश्चित कर देना चाहिये था कि नये राज्यों के निर्माण का आधार क्या होगा।

लेकिन हमने ब्रिटिश शासन काल के राज्यों को ही इकाइयों के रूप मे स्वीकार कर लिया था और उनमें ही थोड़े रद्दोबदल, थोड़ी काट-छांट करने की बात मान ली थी। नयी इकाइयां उस समय मौजूद नहीं थीं।

अमरीकी संघ की स्थापना के दौरान नये राज्यों के निर्माण के लिये गृह-युद्ध छिड़ा था। भारत में वैसा कुछ नहीं हुआ था।

स्वतंत्रता आने के कुछ समय पूर्व, कांग्रेस ने आदर्शवादिता से प्रेरित होकर भाषावार प्रान्तों के निर्माण का संकल्प पास किया था। उस समय आन्ध्र के लोग इसके सबसे बड़े समर्थक थे। आन्ध्र के श्री रामलू ने भाषावार प्रान्तों के निर्माण के सिद्धान्त के लिये अपने प्राण होम कर दिये थे। श्री रामुलू की मत्यु के कुछ ही दिन पूव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक वक्तव्य में कहा था कि देश में वैसी फूट-परस्त शक्तियों को नहीं बढ़ने दिया जायेगा। श्री रामुलू की मुत्यु के बाद, इस विषय पर पुनर्विचार शुरू हुआ। सभी लोग और राज्य भाषाई आधार की बात सोचने लगे। महाराष्ट्र के लोग भी सोचने लगे की सभी मराठी-भाषी एक ही राज्य के अन्तर्गत लाये जाने चाहिये। तभी वहत, महाराष्ट्र का प्रश्न उठाया गया। विदर्भ राज्य भी उस वृहत-महाराष्ट्र म शामिल था।

---

†मूल अंग्रेजी में

ठीक उसी तरह जैसे कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के सभी उपनिवेशों को मिलाकर एक वृहत् इंगलैण्ड बनाने की योजना रखी गई थी। इस प्रकार वृहत्-महाराष्ट्र का आधार यथार्थ पर नहीं, एक विचार पर था, जिसे बाहर से लिया गया था। जबकि स्वर्तत्रता हासिल करने से पहले हम कहा करते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्यों का निर्माण भारत की अपनी परम्पराओं और आवश्यकताओं के आधार पर किया जायेगा; पाश्चात्य देशों की नक़ल नहीं की जायेगी। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं किया गया।

प्राचीन भारत में ५६ राज्य थे, फिर भी समूचे देश में सांस्कृतिक एकता थी। विदर्भ भी उन में से एक राज्य था। वेदों के काल से उसका एक अपना व्यक्तित्व रहा है। अलग राज्य होते हुए भी, हम समूचे भारत के लिये अपनी बलि चढ़ाने को तैयार रहते थे। महाराष्ट्र के साथ हमारे बड़े अच्छे सम्बन्ध थे।

लेकिन भाषावार राज्यों का विचार पैदा होते ही, महाराष्ट्र के लोग विदर्भ को महाराष्ट्र में मिलाने की मांग करने लगे।

कई समितियां और आयोग भी इसके लिये नियुक्त किये गये। आयोगों ने भी सिफारिश की कि विदर्भ के आठ जिलों को लेकर एक पृथक विदर्भ राज्य बनाया जाये। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा नियुक्त समितियों ने भी इस प्रश्न पर यही मत प्रकट किया था कि विदर्भ की जनता को ही महाराष्ट्र में रहने या पृथक् राज्य बनाने के बारे में कोई निर्णय करने का अधिकार है।

बाद में फज़ल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के० एम० पणिक्कर की समिति ने भी यही निर्णय किया था कि विदर्भ के आठ जिलों का एक पृथक राज्य बनाया जाये। इस पर महाराष्ट्रीय नेताओं ने उस समिति के विरुद्ध प्रचार शुरू कर दिया और कम्युनिस्टों के साथ गंठजोड़ा करके आन्दोलन छेड़ दिया। भारत सरकार उससे भय खा गई। तभी दो भाषाई राज्य का सूत्र रखा गया। और, विदर्भ, महाराष्ट्र तथा गुजरात को लेकर एक दो-भाषाई राज्य बनाया गया था। बाद में महाराष्ट्र और गुजरात को अलग-अलग कर दिया गया और महाराष्ट्र में एक-भाषाई राज्य रह गया, जिसमें विदर्भ को भी शामिल रखा गया। इस प्रकार विदर्भ के लोगों को शिकार बनाया गया है। विदर्भ की जनता महाराष्ट्र में शामिल नहीं रहना चाहती। हम इसीलिये मांग कर रहे हैं कि विदर्भ में जनमत संग्रह किया जाना चाहिये। यदि उसका परिणाम हमारे विरुद्ध होगा तो हम कभी भी पृथक् राज्य की मांग नहीं करेंगे। लेकिन अभी हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिये।

मेरा अनुरोध है कि सभी माननीय सदस्य इस प्रश्न का अध्ययन करें और इसे समझने की कोशिश करें, जिससे कि इस समस्या को न्यायपूर्ण ढंग से हल किया जा सके। बहुत बड़े-बड़े राज्यों पर नियंत्रण ठीक से नहीं हो पाता और उनका अपना प्रशासन भी कार्यक्षेम नहीं हो पाता। इसलिये छोटे-छोटे राज्य बनाना अधिक श्रेयस्कर होगा।

पृथक राज्य बनने पर, विदर्भ की जनता फिर पहले की तरह महाराष्ट्र की जनता के साथ मंत्रीपूर्ण ढंग से रह सकेगी।

†**श्री ज० ब० सिं० बिष्ट** (अल्मोड़ा) : मैं सभा का ध्यान भारत-तिब्बत सीमा क्षेत्रों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यदि कभी चीन के साथ हमारा युद्ध ठना, तो सब से पहले शिकार इन क्षेत्रों के लोग ही होंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

इन क्षेत्रों की समस्या के पांच पहलू हैं।

पहला है प्रशासकीय पहलू। प्रशासन का ढांचा ऐसा है कि नौकरशाही और लालफीताशाही के कारण कुछ नहीं हो पाता। मुख्य मंत्रियों और मुख्य सचिवों के अधीन, इनको रखकर यह समस्या हल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन के पास इतना समय नहीं होता। राज्य के प्रधान कार्यालयों से इतनी दूर पड़ने के कारण, वहां के अधिकारी मनमाने ढंग से काम करने लगते हैं।

दूसरा पहलू है धन का। चूंकि केन्द्र आवन्टन करता है, और राज्य उसे व्यय करते हैं, इसलिये उसका अधिकतम उपयोग करने की सतर्कता नहीं रखी जाती। उन के उचित उपयोग का लेखा-जोखा केन्द्र को करते चलना चाहिये।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

तीसरा पहलू है अनुभव के आदान-प्रदान का। ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों के विविध अनुभवों से परस्पर लाभ उठाने की कोई व्यवस्था की जानी चाहिये। माननीय मंत्री को सीमावर्ती प्रदेशों का एक केन्द्रीय बोर्ड बनाना चाहिये, जहां बैठकर ऐसे प्रदेशों के सभी प्रतिनिधि सामान्य समस्याओं और उन के हल के सम्बन्ध में समय-समय पर चर्चायें कर सकें।

इसी के लिये, इन प्रदेशों के संसत्सदस्यों की एक सलाहकार समिति भी बनायी जानी चाहिये, जो गृह-कार्य मंत्रालय को इन के विकास के सम्बन्ध में परामर्श देती रहे।

चौथी बात मुझे यह कहनी है कि इन प्रदेशों में विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति बड़ी मन्द है। सड़कों का निर्माण इतने आराम से हो रहा है, जैसे कोई खास जल्दी ही न हो। चीन के संभावित आक्रमण के विरुद्ध प्रतिरक्षात्मक तैयारी के लिये सड़कों का महत्व पूरी तौर पर महसूस नहीं किया गया है। सड़कों के लिये ४२२ लाख रुपये की व्यवस्था के बावजूद चालू वर्ष में संतोषजनक प्रगति नहीं हो पाई है।

अन्त में, मैं सभा का ध्यान इन सीमावर्ती प्रदेशों की जनता में फैली गहरी निराशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सरकार की विभिन्न घोषणाओं से उन की विकास के सम्बन्ध में बड़ी-बड़ी आशायें बंध गई थीं, लेकिन सफलता उसके अनुरूप नहीं दिखाई पड़ी।

तिब्बत के साथ व्यापार-संधि समाप्त हो जाने के कारण उनको जीविका के नये-नये साधन चाहियें, जिनको जुटाने में विलम्ब नहीं होना चाहिये।

हिमाचल प्रदेश के संघ राज्य-क्षेत्र के सम्बन्ध में माननीय गृह-कार्य मंत्री ने घोषणा की थी कि विकास से सम्बंन्धित सभी विभाग वहां जन-प्रतिनिधियों को सौंप दिये जायेंगे। इस के लिये एक समिति भी नियुक्त की गई थी। पर लगता है कि उस में कुछ विलम्ब हो जायेगा।

मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री बतलायें कि हिमाचल प्रदेश की नव-निर्वाचित प्रादेशिक परिषदों की शक्तियां, उनकी प्रतिष्ठा और कृत्य क्या होंगे? कार्यपालक पार्षदगण किस के प्रति उत्तरदायी होंगे? लेफ्टिनेंट-गवर्नर से उन के क्या क्या सम्बंध होंगे? इस सम्बन्ध में मंत्रालय जो भी निर्णय करे, वह चीन द्वारा उत्पन्न परिस्थिति को ध्यान में रख कर ही किया जाना चाहिये।

†**श्री गौरी शंकर** (फतेहपुर) : सरदार वल्लभभाई पटेल, पंडित पन्त और शास्त्री जी जैसे सुयोग्य प्रशासकों का संचालन-नियंत्रण पाने के सौभाग्य पर मैं गृह-कार्य मंत्रालय को बधाई देता हूं ।

लेकिन गृह-कार्य मंत्रालय में साथ ही, कुछ बुनियादी खामियां भी हैं ।

देश स्वतंत्र हुए पन्द्रह वर्ष बीत चुके हैं ; फिर भी हम अभी तक देश की जनता के लिये कम-खर्चीले और शीघ्रता से मिलने वाले न्याय की व्यवस्था नहीं कर पाये हैं । केवल साधन-सम्पन्न लोगों को ही न्यायालय से न्याय मिल पाता है । उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में पिछले पन्द्रह वर्ष के दौरान कोर्ट-फीस में १५—२० प्रतिशत वृद्धि हो चुकी है ।

इसीलिये देश की जनता को न्यायालयों पर पूरा-पूरा भरोसा नहीं हो पाया है । यदि जनता का विश्वास देश के न्यायालयों पर नहीं जमेगा, तो देश में सच्चा लोकतंत्र विकसित करना असम्भव हो जायेगा ।

और, सत्तारूढ़ दल के लोग स्थानीय सरकारी कर्मचारियों के काम में काफी ज्यादा हस्तक्षेप करते हैं । मेरे जिले में डिस्ट्रिक्ट अफसर और पुलिस सुपरिनटेन्डेंट स्वतंत्र रूप से अपना कर्त्तव्य पूरा नहीं कर पाते । उन के मातहत काम करने वाले सरकारी कर्मचारी जिले या राज्य के स्तर के किसी न किसी कांग्रेस नेता के साथ गुट बना लेते हैं । यह लोकतांत्रिकता के विकास में सहायक नहीं होगा ।

देश में विधि और व्यवस्था का यह हाल है कि आज नागरिकों का जीवन निरापद नहीं है । उन के जान-माल की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है । देहाती इलाकों में तो जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून चलता है । उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में तो स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि कहीं कोई कानून ही नहीं दिखाई पड़ता है । गृह-कार्य मंत्रालय को इस के बारे में सख्ती से काम लेना चाहिये । यदि कोई राज्य सरकार या जिला अधिकारी अपने यहां विधि के अनुसार व्यवस्था करने में असमर्थ सिद्ध हो, तो उसे बदल देना चाहिये ।

आम चुनावों में कई स्थानों में कांग्रेस अनुसूचित जातियों और अल्पसंख्यकों के समर्थन से जीत कर आई है । इसलिये वह अनुसूचित जातियों को अपने पक्ष में बनाये रखने के लिये ही उनको विशेष सुविधायें देने की बात पर ज्यादा जोर देती है । अनुसूचित जातियों और अल्पसंख्यकों को इस प्रकार का कांग्रेस के इशारों पर चलना, देश के लिये हितकारी नहीं होगा ।

†**श्री शिव नारायण** (बांसी): अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश, में ऐसा नहीं है । वहां पर तो जनरल सीटस् से हरिजन उम्मीदवार जीत कर आये हैं । वहां पर ऐसा कोई दबाव नहीं है ।

†**श्री गौरी शकर** : मुझे मालूम है ।

साम्प्रदायिकता और अस्पृश्यता को मिटाने के लिये कुछ वैधानिक व्यवस्थायें की गई हैं । लेकिन उनका उचित प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ है । असल में ये समस्यायें ही ऐसी हैं कि वैधानिक व्यवस्थाओं द्वारा हल नहीं की जा सकतीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ऐसे विधान कागज पर ही रह जाते हैं। इन सामाजिक बुराइयों को तभी जड़ से उखाड़ा जा सकता है जब गांव-गांव में इनके विरुद्ध स्थानीय आधार पर निरन्तर प्रचार किया जाये।

अनुसूचित जातियों की समस्या कहीं अधिक पेचीदा है। गांवों में यह समस्या अधिक वृहत रूप धारण कर लेती है। और, इतना ही नहीं, अनुसूचित जातियों के अन्दर भी विभिन्न वर्ग और विभेद मौजूद हैं। उनमें भी एक वर्ग के लोग पासियों और चमारों के साथ भोजन नहीं करते। पहले अनुसूचित जातियों को अपने अन्दर की वर्ण-व्यवस्था मिटानी चाहिये। तभी यह बुराई जड़ से उखाड़ी जा सकेगी।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और विभिन्न सरकारी परिषदों के सदस्यों की नियुक्तियां पक्षापातपूर्ण ढंग से की जाती हैं। यह देश के भविष्य के लिये अहितकर है।

यदि माननीय मंत्रिगण देश की सही स्थिति से परिचित होना चाहते हों तो उनको अपने दौरों के कार्यक्रमों की घोषणा पहले से नहीं करनी चाहिये।

मैं जानता हूँ कि इस से उन्हें बड़ी असुविधा होगी परन्तु इससे स्थिति में सुधार होगा परन्तु मंत्रियों को बिना कोई सूचना दिये मौके पर जाना चाहिये। उस से उन्हें असल हालत का पता चल जायेगा। स्वर्गीय श्री रफी अहमद किदवई इसी प्रकार इलाकों का दौरा किया करते थे। माननीय मंत्री इस प्रकार विभिन्न स्थानों पर जाकर विकास कार्यों को देखें और पुलिस थानों में भी जायें जिससे उन्हें पता चल सके कि जब कोई व्यक्ति थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने जाता है तो उसे किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसमें भी बहुत भ्रष्टाचार चल रहा है और यह सब लापरवाही के कारण हो रहा है।

गृह-कार्य मंत्रालय के सामने बड़ा महान कार्य है और यदि उसे भली प्रकार किया जाय तो कुछ सुधार की आशा की जा सकती है।

†**श्री रा० बरुआ** (जोरहाट): देश में सुख शान्ति बनाये रखना गृह-कार्य मंत्रालय का प्रमुख कर्तव्य है और वर्तमान समय में जब कि देश के भीतर और बाहर कुछ ऐसी ताकतें सर उठा रही हैं जो हमारे देश की राजनैतिक और आर्थिक प्रगति म बाधा डालना चाहती हैं गृह-कार्य मंत्रालय का उत्तरदायित्व और भी बढ़ जाता है।

उत्तरी सीमान्त, उत्तर पूर्वी सीमान्त विशेषकर मनीपुर और त्रिपुरा और असम का आदिम जाति क्षेत्र गृह-कार्य मंत्रालय के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इन क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित तथा आदिम जातियां घोर दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रही हैं और वहां के विकास तथा संचार साधनों की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

अनुसूचित आदिम जातियों के विकास का काम राज्य के कल्याण विभाग के सुपुर्द है जो इसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता। बेचारे ये लोग खेतीबाड़ी पर निर्वाह करते हैं। इनके लिये एक नई मुसीबत यह पैदा हो गई है कि पूर्वी पाकिस्तान से भारी संख्या में जो लोग अवैध रूप से आ रहे हैं वे इन लोगों को चैन से नहीं रहने देते और अपना स्थान छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। गोलपाड़ा कामरूप, दरांग और नौगांग में पूर्वी पाकिस्तान के लोग अधिक आये हैं। ये लोग विभिन्न ग्रामों पर छा गये हैं और उन्होंने रक्षित भूमि पर भी अवैध कब्जा कर लिया है। इसके फलस्वरूप लोगों में बेचैनी फैल रही है और कुछ मौका

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रा० बरुआ]

शनास विदेशी एजेंट लोगों को भारत के खिलाफ भी भड़का रहे हैं। गृह-कार्य मंत्रालय को इस की ओर पूरा ध्यान देना चाहिये क्योंकि वर्तमान स्थिति में जबकि कुछ मील दूर चीनी सैनिकों ने डेरे डाल रखे हैं हमें इस मामले में बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी चाहिये।

मनीपुर और त्रिपुरा तो प्रत्यक्ष रूप से केन्द्रीय सरकार के अधीन हैं। इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी वहां जिम्मेदार शासन स्थापित नहीं किया जा सका है वहां के अधिकारियों से लोगो की समस्यायें हल करनी चाहिये और केवल चालू काम नहीं करना चाहिये। इन मामलों के प्रभारी मंत्री भी शायद इन इलाकों में कभी नहीं जाते। वहां जो विकास परियोजनायें चल रही हैं वे इलाके की जरूरतों को देखते हुए पर्याप्त नहीं है। इन्हें अधिक अनुदान देकर देश के अन्य भागों के स्तर पर लाया जाना चाहिये।

१५ वर्ष के बाद भी संचार साधनों की यह हालत है कि हम असम से त्रिपुरा नहीं जा सकते। कोई उद्योग नहीं है। एक आध स्कूल और अस्पताल होने का नाम विकास नहीं है।

मनीपुर की हालत और भी खराब है वहां पर असम तक एक सड़क जो अंग्रेजों के समय से चली आ रही है उसकी भी हालत नहीं सुधारी जा रही है। सैनिक दृष्टि से भी इस सड़क का बड़ा महत्व है। मनीपुर में कई उद्योग हैं जिनकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। वहां के लोगों को नाममात्र भी टैक्नीकल प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। लोग अशिक्षित हैं।

लोगों का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में राज्य विरोधी गतिविधियों की संभावना है उसका कारण यह है कि वहां का प्रशासन ठीक नहीं और लोगों को शिक्षा की व्यवस्था नहीं है।

मनीपुर में विकासकार्य की गति यह है कि इम्फाल वाटर वर्कस योजना तैयार की गई जो प्रथम और द्वितीय योजना में कार्यान्वित नहीं की गई और अब कहा जाता है कि पाइप तैयार हो गये हैं। यह हालत बड़ी दुखद है।

हिमाचल प्रदेश की हालत भी दयनीय है। वहां के लोग घरेलू नौकरों के तौर पर काम करते हैं। यहां की हालत सुधरनी चाहिये जिससे कि राष्ट्रविरोधी तत्व उनको भड़का कर हमारा शोषण न करें। यदि सम्बन्धित प्राधिकारियों में स्वविवेक् अथवा देश भक्ति की कमी हो तो उन्हें अन्य स्थानों पर भेज दिया जाना चाहिये। आप चाहे कहीं से भी कार्यकुशल पदाधिकारी भेजिये परन्तु उस क्षेत्र को कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

संसद में और बाहर भी भ्रष्टाचार की चर्चा की जाती है। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है यह बड़े दुख की बात है परन्तु इससे भी चिन्ताजनक बात यह है कि हमारे मुख्य नेता को इसकी कोई फिक्र नहीं है। इस समस्या को हल करने के लिये एक विभाग खोला गया है परन्तु वह हमारे देश भर के लिये पर्याप्त नहीं है।

भ्रष्टाचार का अन्त करने के लिये लोग विधान बनाने इच्छुक हैं परन्तु मेरा विचार है। भ्रष्टाचार करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अदालती कार्यवाही को बजाये विभागीय कार्यवाही हो की जानी चाहिये और उन्हें तुरन्त निकाल बाहर करना चाहिये।

श्रीमती मिनीमाता (बालोदा बाजार) : अध्यक्ष महोदय, पिछले आम चुनावों में जो दृश्य सामने आए उन पर सचमुच ही सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये। हमने सोचा था कि सरकार इन साम्प्रदायिक और प्रतिक्रियावादी शक्तियों पर कंट्रोल पाने में सफल हो जाएगी लेकिन ऐसा आम चुनावों के दौरान में देखने को नहीं मिला है। यहां तक कि कई ऐसे ऐसे गन्दे

पोस्टरों को उपयोग में लाया गया कि जिनको नहीं लाया जाना चाहिये था और हमारे अधिकारियों ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। देश की एकता के विरुद्ध पोस्टर बांटे गए और आपत्तिजनक भाषण किए गए। यहां तक कि कुछ पोस्टरों में तो हमारे प्रधान मंत्री जी की व्यक्तिगत रूप से आलोचना तक की गई। मैं आपको यह भी बतलाना चाहती हूं कि जनसंघ के पास दो रिकार्ड ऐसे थे कि जो बहुत आपत्तिजनक हैं और उनको भी सरकार को अपने काबू में करना चाहिये। उनको सुन कर देहातों के लोग, मनचले लोग इतने आकर्षित होते थे कि जिसका कुछ ठिकाना ही नहीं। उनमें कहा गया है कि कांग्रेस सरकार निकम्मी है और कांग्रेसी गद्दार हैं। ये दो रिकार्ड उनके पास हैं। मगर इस सम्बन्ध में अधिकारियों का रुख मुझे काफी ढीला नजर आया। जब तक हम प्रशासन को मजबूत नहीं करेंगे तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। ऊपर से देखने में नजर नहीं आता किन्तु अन्दर ही अन्दर फूट डालने वाली साम्प्रदायिक और प्रतिक्रियावादी शक्तियां बढ़ती जा रही हैं। मैं मानती हूं कि उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। देश की एकता के खिलाफ काम करने वाली शक्तियों को हमारी सरकार कड़े से कड़े कदम उठा कर पनपने नहीं देगी ऐसी मुझे आशा है। एक ओर प्रशासन इन देश विरोधी तत्वों का दमन करने में असमर्थ है और दूसरी ओर पुलिस जनता पर इतना अत्याचार करती है कि जिसका कुछ ठिकाना नहीं।

अभी देश को आजाद हुए इतने वर्ष हो गए अगर अभी भी पुलिस जनता का अपने को सेवक नहीं मालिक मानती है। बड़े शहरों में यह देखने को नहीं मिलता लेकिन छोटे शहरों और कसबों की जनता पर और गांव वाली गरीब जनता पर अत्याचार करती है और अपराधियों की उपेक्षा करती हुई नजर आती है। पुलिस वाले उनको सताते हैं जो शरीफ हैं और जो इज्जतदार आदमी हैं। मालूम पड़ता है कि पुलिस अपना काम सेवा नहीं दमन समझती है, और दमन भी अपराधियों का नहीं बल्कि अच्छे इज्जतदार आदमियों का करती है।

हमें देश में इस प्रकार की शिकायतें मिल सकती हैं कि पुलिस अपराधियों से मिली हुई है और सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या कारण है कि आजाद हुए इतने वर्षों के बाद भी देश में अपराध काफी हद तक खत्म नहीं हो सके। इस बारे में मैं कुछ पढ़ कर सुनाना चाहती हूं, जो कि बुरा तो लगेगा लेकिन आपको इससे स्थिति का पता चल जाएगा। यह खैरा गढ़ में दूसरी डकैती की सनसनी खेज कहानी है, जो इस प्रकार दी गयी है :

> "नगर के प्रमुख स्थानों पर गत सप्ताह कुछ पोस्टर लगे देखे गए जिससे पुलिस विभाग में काफी खलबली मच गयी है तथा आम लोगों के बीच बोरई ग्राम में गत दिनों हुए डाके के सम्बन्ध में तरह तरह की चर्चाएं सुनने में आ रही हैं। नगर में जो पोस्टर लगे हैं उनमें निम्नलिखित मजमून लिखा है :
>
> एक वर्ष पूर्व राहुद गांव में डाका पड़ता है। कोई गिरफ्तार नहीं होता। कुछ दिन पहले एस० डी० ओ० पुलिस, एस० डी० ओ० सिविल तथा सर्किल इंस्पेक्टर चकबन्दी के झगड़े की जांच के लिए साल्हेकसा गांव जाते हैं। बोरई ग्राम पार कर साल्हेकसा गए। सर्किल साहब कहते हैं

[श्रीमती मिनीमाता]

साहब मुझे शक है कि बुन्देली, कुटेली तथा बोरई में डाका न पड़ जाए। २३ अप्रैल, को बोरई में डाका पड़ता है। एस० डी० ओ० पुलिस, एस० डी० ओ० सिविल बोरई गांव पहुंचते हैं। डाके के एक दिन पूर्व जो कि सर्किल साहब गंडई दौरे पर थे बोरई में मिलते हैं और साहबों से कहते हैं क्यों साहब मैंने कहा था ना कि डाका पड़ने का डर है, इसलिये मैंने छुई खदान के थानेदार को कई दिन पहले पेट्रोलिंग करने का आदेश भी दे दिया था तथा मैं गंडई में था क्योंकि गंडई के थानेदार का तबादला होने से थाना खाली पड़ा था। गंडई से धमधा जाने वाली मोटर रोड पर राजा पडपोड़ी एक गांव है जो कि गंडई से आठ मील दूरी पर है। राजा पड़पोड़ी से बोरई धमधा पांच मील पर है।"

इस शिकायत से हमको पता चलता है कि इस डकैती में पुलिस अपराधियों से मिली हुई है।

इसमें सन्देह नहीं है कि स्वाधीनता के बाद पिछड़ी हुई जातियों की हालत कुछ सुधरी है। मगर कुल मिलाकर पिछड़ी हुई जातियों की हालत अभी भी पिछड़ी हुई है। उनमें जो शिक्षित हो गए हैं उनकी हालत कुछ जरूर सुधर गयी है। मगर जो गांवों में बसते हैं और अशिक्षित हैं उनकी हालत अभी भी वैसी ही है। सरकार का यह कर्त्तव्य है कि गम्भीरता से हरिजनों और आदिवासियों की दशा सुधारने का प्रयत्न करे। हरिजनों को केवल नौकरियों में स्थान देना ही काफी नहीं है। उन्हें जरूरत है समाज में उनका उचित स्थान दिलाने की। मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि समाज में आज भी हरिजनों को उनका उचित स्थान नहीं मिला है। मैंने इस विषय में सन् १९६१ में एक सुझाव रखा था। आज फिर उसी को दुहराना चाहती हूं कि प्रत्येक जिले में हरिजन आदिवासी लोगों के कल्याण के लिए एक समिति कायम की जाये जिसका अध्यक्ष जिलाधीश हो। इस प्रकार काम होगा तो उस कार्य की उपेक्षा नहीं हो सकेगी।

सरकार हरिजनों की जिन संस्थाओं को अनुदान देती है उन पर भी कड़ी दष्टि रखनी चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि जो रकम उन संस्थाओं को दी जाती है उससे लोगों को कोई फायदा नहीं होता केवल उन संस्थाओं को फायदा होता है और उनका व्यापार चलता है।

देश में गुलामी तो समाप्त हो गयी है लेकिन बौद्धिक गुलामी अभी भी बनी हुई है। हमारे देश की सरकार का काम-काज आज भी अंग्रेजी में होता है। समझ में नहीं आता कि देहात के अनपढ़ भाई और जो कसबों में साधारण लोग बसते हैं वे इसको कैसे समझ सकते होंगे। हमारे अफसरों पर अभी भी अंग्रेजी का भूत सवार है। वह बसते दिल्ली में हैं लेकिन उनका मन विलायत में रहता है। जो अपने घर में अंग्रेजी बोलना पसन्द करते हैं उन से हम कैसे आशा कर सकते हैं कि वे हमारी राष्ट्र भाषा को बढ़ावा देंगे और दफ्तरी काम-काज में हिन्दी को बढ़ावा देंगे। भाषा के प्रति इस दृष्टिकोण के कारण हमारे देश के बड़े बड़े शहरों और नगरों में विदेशी संस्कृति पनपती जा रही है। मैं इस बात की मांग करूंगी कि देश में राष्ट्र भाषा का ज्यादा से ज्यादा प्रचार और महत्व होना चाहिये।

मैं इस बात की भी मांग करूंगी कि देश में अश्लील साहित्य की बाढ़ को रोका जाए। मैं देखती हूं कि अश्लील साहित्य बढ़ता जा रहा है। एक ओर तो हमारी फिल्में नई पीढ़ी के चरित्र को नष्ट कर रही हैं और दूसरी ओर इस प्रकार के साहित्य की संख्या बढ़ती जा रही है। उस पर सरकार को रोक लगानी चाहिए क्योंकि ऐसा प्रभाव बड़ा घातक होता है। मुझे आशा है कि इस प्रकार का जो साहित्य फुटपाथों पर बिकता है उस पर सरकार अवश्य रोक लगाएगी।

हरिजन कन्या छात्रावास के लिए २० लाख की राशि हरिजन सलाहकार बोर्ड ने तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए रखी है। इस राशि में शहरों और नगरों में हरिजन कन्या छात्रावास बनाने की जिम्मेदारी यदि केन्द्रीय सरकार ले ले तो मैं ज्यादा उचित समझूंगी। किसी संस्था को देने से तो यही परिणाम निकलता है कि उनका व्यापार चलता है और हरिजनों और आदिवासियों को कोई फायदा नहीं होता। यदि आप हरिजन और आदिवासी छात्रावासों में जा कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां विद्यार्थी जानवरों का सा जीवन व्यतीत करके शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

नगरपालिकाओं में हरिजनों और आदिवासियों के लिए केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने संरक्षण रखा है। उसके लिए मैं कहूंगी कि दूसरी श्रेणी, तीसरी श्रेणी और चौथी श्रेणी के लोगों की जो नियुक्ती होती है उसके लिए एक समिति बनायी जाए ताकि उनकी उपेक्षा न हो, नहीं तो ऐसा देखा गया है कि शहरों और नगरों में इंटरव्यू के लिए कार्ड आज की तारीख का है और उसको पहुंचेगा १३ तारीख को। इसलिए वह बेचारा आ नहीं सकता। और उसकी जगह में दूसरे को भरती कर लेते हैं। वे लोग वैसे ही रह जाते हैं।

गृह-मंत्रालय की जो रिपोर्ट है उसमें लिखा है कि नशाबन्दी समिति ने अपनी ओर से सिफारिश की है कि केन्द्रीय और राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए विशेष परिस्थितियों में मद्यपान को अनुचित घोषित करें। नशाबन्दी समिति ने यह ठीक ही सिफारिश की है नशाबन्दी पर अमल कराने के लिए और उसके प्रचार के लिए विकास खंड के अधिकारियों और नगरपालिकाओं के अधिकारियों को उचित आदेश दिये जायें। किन्तु मैं देखती हूं कि उस का प्रचार उलटा ही होता है। जिस गांव में नशराबन्दी या शराबबन्दी है उस गांव में आप देखेंगे कि घर घर शराब की भट्टी बनी हुई है। गरीब लोगों का इस से बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है। नशाबन्दी कानून एक और पास हो गया है लेकिन उसको नजरअन्दाज करने के लिए एक नयी चीज निकल पड़ी है और वह है टिंक्चर जिंजर का प्रयोग। वह एक टौनिक के रूप में पी जाती है। अब शराब की जगह पर लोग इसका प्रयोग धड़ल्ले से करते हैं और इस की बिक्री इतने जोर पर है कि यह टिंक्चर जिंजर पानठेला पर लोगों को पीने को मिल जाती है। अब इसका असर स्वास्थ्य के ऊपर बड़ा बुरा पड़ता है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

गत दस वर्ष से मैं हरिजनों को नौकरी के संरक्षण के लिये दिये गये संरक्षण के पालन को अनुभव कर रही हूं पर मुझे अब बड़ी निराशा हो रही है। लोक सेवा आयोग इसका पालन नहीं कर रहा है। तृतीय और चर्थ वर्ग के कर्मचारियों की भरती के लिये दक्ष हरिजनों की कोई कमी नहीं है। इसलिये मेरा सुझाव है कि प्रदेश के लोकसेवा आयोग में हरिजनों का एक प्रतिनिधि या सदस्य अवश्य होना चाहिये। इसी तरह तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरी भर्ती में चुनाव मंडल स्थापित

[श्रीमती मिनीमाता]

हो जिसमें गैर-सरकारी हरिजन व अन्य सदस्य अवश्य ही रक्खे जायें। स्थानीय निकायों, अर्थात् लोकल बाडीज, कारपोरेशन, निगम, सरकारी कारखानों या मंडलों में भी तृतीय या चतुर्थ श्रेणी की भर्ती के लिये गैर-सरकारी सदस्य शामिल किये जायें। ऐसा होने से कोरबा, भिलाई, दुर्गापुर और रूरकेला आदि कारखानों में नियुक्तियों के मामले में हरिजनों की उपेक्षा नहीं होगी। मैं आशा करती हूं कि मैंने जो चंद एक सुझाव दिये हैं उन पर मंत्री महोदय द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री बनारसी प्रसाद सिंह अनुपस्थित। सभा स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, ५ जून, १९६२/१५ ज्येष्ठ १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

सोमवार, ४ जून, १९६२
१४ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

विषय		पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित
प्रश्न संख्या

१२४६	भारत-अखिल अफ्रीका विमान सेवा	३६५१—५३
१२४७	अंशदायी स्वास्थ्य सेवा औषधालय	३६५३-५४
१२४८	खेती के लिये ट्रैक्टर . . .	३६५४—५६
१२४९	आंध्र प्रदेश और राजस्थान मे पंचायती राज .	३६५६—५८
१२५१	विदेशी पर्यटकों द्वारा की गई शिकायतें .	३६५८—६०
१२५२	मुघेरा मन्दिर . . .	३६६०
१२५३	रोगाणु नियंत्रण की राष्ट्रमंडलीय संस्था .	३६६१
१२५४	चिकित्सा का लाइसेंसिएट कोर्स	३६६१—६४
१२५६	खजराहों में हवाई अड्डा . .	३६६४-६५
१२५७	दिल्ली में यातायात	३६६५-६६
१२५८	विद्युत् जनन	३६६६—६८
१२५९	छोटे पैमाने के नमक व्यापारियों की माल डिब्बों का आवंटन	३६६८—७०
१२६०	४२२ डाउन चक्रवरपुर गोमोह पैसेंजर गाड़ी से ट्रक की टक्कर	३६७०-७१
१२६१	परिवार नियोजन . .	३६७१—७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित
प्रश्न संख्या

१२५०	खाद्य उत्पादन	३६७३-७४
१२५५	रेलवे के बुकिंग क्लर्कों द्वारा दशमिक सिक्का प्रणाली का दुरुपयोग	३६७४
१२६२	तटवर्ती जहाजों की रफ्तार . .	३६७४-७५
१२६३	नौ परिवहन के लिये गंगा नदी को गहरा करना .	३६७५

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी		
तारांकित प्रश्न संख्या		
१२६४	पश्चिम कोसी नहर	३९७५
१२६५	स्टील कन्वर्टर का निर्माण	३१७५–७६
१२६६	प्रसंकर मक्का के बीज	३९७६
१२६७	अन्तर्राष्ट्रीय टेलेक्स सेवा	३९७७
१२६८	सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली	३९७७–७८
१२६९	दुधारू पशुओं का निर्यात	३९७८–७९
१२७०	केरल में कन्द-मूल फसल अनुसंधान केन्द्र	
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२४१३	उत्तर रेलवे में नियुक्त आकस्मिक मजदूर	३९७९
२४१४	केरल में पेरियर बांध	३९७९
२४१५	टैपीओका उत्पादन	३९७९–८०
२४१६	दक्षिण में यात्रा सुविधायें	३९८०
२४१७	रूपड़–नंगल बांध सेक्शन में यात्री सुविधायें	३९८०–८१
२४१८	उर्वरकों के लिये उड़ीसा की मांग	३९८१
२४१९	टीकमगढ़ से जतारा तक टेलीफोन लाइन	३९८१–८२
२४२०	निवाड़ी में टेलीफोन सुविधायें	३९८२
२४२१	निवाड़ी (मध्य प्रदेश) मे यात्री सुविधायें	३९८२–८३
२४२२	सड़क निर्माण की नयी प्रणाली	३९८३
२४२३	भारत में पारेषण क्षति	३९८४
२४२४	उड़ीसा को केन्द्रीय सहायता	३९८४
२४२५	उड़ीसा में गन्ने की खेती	३९८४–८५
२४२६	प्रादेशिक मुर्गीपालन फार्म, उड़ीसा	३९८५
२४२७	उड़ीसा में वन विकास कार्यक्रम	३१८५
२४२८	उड़ीसा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	३१८६–८७
२४२९	एस० सी० बी० मेडिकल कालिज, कटक	३९८७
२४३०	उड़ीसा में मलेरिया और फाइलेरिया के रोगी	३९८७–८८
२४३१	उड़ीसा में कोढ़, तपेदिक और याज रोगी	३९८८–८९
२४३३	रेल के चोर	३९८९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२४३४	गांवों में डाक वितरण सेवा	३९८९
२४३५	परिवार नियोजन . .	३९९०
२४३६	उत्तर और पश्चिम रेलवे में राज्य पुलिस	३९९०–९१
२४३७	कृषि संबंधी शिक्षा और अनुसंधान	३९९१
२४३८	खोवाई नदी द्वारा भूमि कटाव	३९९१
२४३९	आंध्र प्रदेश मे सड़कें . . .	३९९२
२४४०	मचेरिया से नागार्जुनसागर तक यात्री गाड़ियां	३९९२
२४४१	डाक व तार कर्मचारी . .	३९९२–९३
२४४२	बीकानेर डिवीजन में रेलवे स्टेशनों पर साइडिंग	३९९३
२४४३	कुसीनगर में आउट एजेंसी .	३९९३
२४४४	कलकत्ता पत्तन के लिये "हौपर" नौकायें	३९९४
२४४५	दिल्ली दुग्ध संभरण योजना	३९९४
२४४६	पश्चिम बंगाल में चीनी की मिल	३९९४–९५
२४४७	दिल्ली में क्षय रोगियों का घर पर इलाज	३९९५
२४४८	खाद्यान्नों का आयात और परिवहन . . .	३९९५–९६
२४४९	नैरोबी में एयर इंडिया इन्टरनेशनल का इंजीनियर कारावास में .	३९९६
२४५०	अगरतला नगरपालिका . . .	३९९६
२४५१	त्रिपुरा में गैर आदिम जातियों के लिये भूमि पर बिक्री	३९९६–९७
२४५२	त्रिपुरा में बिजली का उत्पादन . .	३९९७
२४५३	मोटर गाड़ी के किराये . .	३९९७–९८
२४५४	टेलीफोन राजस्व पदाधिकारियों का वेतन क्रम	३९९८
२४५५	रायपुर जगदालपुर राष्ट्रीय राजपथ . . .	३९९८
२४५६	दिल्ली और बंगलौर को जोड़ने वाली मीटर गेज लाइन	३९९९
२४५७	१९६१ की बाढ़ में झाझा स्टेशन पर बेची गई खाने की चीजें	३९९९
२४५८	इडुक्की परियोजना .	३९९९
२४५९	केरल में गैर सरकारी वनभूमि .	४०००
२४६०	दोषसिद्ध रेलवे कर्मचारियों की बरखास्तगी . .	४०००
२४६१	समितियों और जिला परिषदों में विधान मंडलों के सदस्यों के मतदान अधिकार	४०००–०१
२४६२	भारतीय कृषि अनुसंधान शाला के हल जोतने वालों की वर्दियां	४००१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

	विषय	पृष्ठ
अतारांकित		
प्रश्न संख्या		
२४६३	मध्य रेलवे में लातुर मिरज सेक्शन	४००१–०२
२४६४	ग्रामों का उत्पादन	४००२–०३
२४६५	रेलवे वर्कशाप	४००३
२४६६	उत्तर प्रदेश में सूग्ररों का बुखार	४००३
२४६७	केरल में सिंचाई और परियोजनायें	४००३–०४
२४६८	चन्द्रपुर गांव	४००४
२४६९	कोसी नहर . .	४००५
२४७०	ग्रफजलगढ़ में डाक की सुविधायें .	४००५
२४७१	कोरबा–चम्पा लाइन के लिये माल डिब्बे .	४००५–०६
२४७२	सोने के डिब्बे	४००६
२४७३	दक्षिण रेलवे में ग्रनुसूचित जातियों और ग्रनुसूचित ग्रादिम जातियों के कर्मचारी	४००६–०७
२४७४	मंद्रास में उद्यान विद्या का विकास . .	४००७
२४७६	भरमार रेलवे स्टेशन पर पीने के पानी की सुविधा	४००८
२४७७	ज्वार भाटे से विद्युत् निर्माण . . .	४००८
२४७८	ए० एच० मेडिकल कालिज कोट्टयम् (केरल) .	४००८–०९
२४७९	हिमाचल प्रदेश में कृषि का विकास	४००९
२४८०	हिम्मतनगर–उदयपुर लाइन .	४००९
२४८१	मेहसाना और पालनपुर तक दुहरी लाइन . .	४०१०
२४८२	हिसार के डाक व तार कर्मचारियों को वर्दियां दिया जाना	४०१०
२४८३	पश्चिम रेलवे के सैंदड़ा स्टेशन पर प्रतीक्षालय	४०११
२४८४	केरल के गांवों में बिजली लगाना	४०११
२४८५	पूना से हड़पसर तक दुहरी लाइन	४०११
२४८६	पूना से घोंड तक ग्रतिरिक्त शटल	४०११–१२
२४८७	तुंगभद्रा परियोजना . . .	४०१२
२४८८	मैसूर राज्य में घटप्रभा के बायें किनारे की नहर	४०१३
२४८९	गारो पहाड़ियों तक रेलवे लाइन बनाना	४०१३
२४९०	जोरहाट और जोरहाट टाउन स्टेशन	४०१३
२४९१	उकई परियोजना	४०१३–१४
२४९२	प्रादेशिक नारियल ग्रनुसंधान केन्द्र . .	४०१४

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	
	अतारांकित	
	प्रश्न संख्या	
२४९३	वाई० एम० सी० ए० और वाई० डब्ल्यू० सी० ए० को अनुदान	४०१४–१५
२४९४	दिल्ली और नरेला में बिजली का संभरण	४०१५
२४९५	नरेला (दिल्ली) की गलियों में बिजली	४०१५–१६
२४९६	टेलीफोन के कोल का किराया	४०१६
२४९७	जनता एक्सप्रेस में सोने का स्थान	४०१६–१७
२४९८	जाली रेलवे टिकट	४०१६–१८
२४९९	मैसूर राज्य में सिंचाई	४०१८
२५००	मैसूर में छोटी सिंचाई परियोजनाओं का सर्वेक्षण	४०१८
२५०१	उत्तर प्रदेश में सिंगरोली में विद्युत् संयंत्र	४०१९
२५०२	पश्चिम यमुना नहर योजना	४०१९–२०
२५०३	नजफगढ़ क्षेत्र में बाढ़	४०१९–२०
२५०४	बिहार में विद्युत् संभरण	४०२०
२५०५	दिल्ली दुग्ध संभरण योजना	४०२०–२१
२५०६	दिल्ली में जल संभरण	४०२१
२५०७	नकली दवाइयां	४०२१–२२
२५०८	दिल्ली खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला	४०२२
२५०९	दिल्ली में दूध में मिलावट	४०२३
२५१०	रेलवे में द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी	४०२३
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	४०२४
	(१) संविधान के अनुच्छेद १४१(१) के अन्तर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन असैनिक १९६२ ।	
	(२) विनियोग लेखे (असैनिक) १९६०–६१ ।	
	मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	४०२४–२६
	(१) प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने पूर्वी पाकिस्तान में हुये उपद्रवों और उसके परिणामस्वरूप हुये प्रव्रजन के बारे में वक्तव्य दिया ।	
	(२) रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) ने ४ जून, १९६२ को हुगली के पास हुई रेलवे दुर्घटना के बारे में एक वक्तव्य दिया ।	

विषय पृष्ठ

अनुदानों की मांगें . . . . . ४०२६—८०

(१) निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई । मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुईं ।

(२) गृह-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

मंगलवार, ५ जून, १९६२/१५ ज्येष्ठ १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि

गृह-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा ।

———

GIPND—LS III—1196(Ai)LSD—24-9-62—150.